2025

राज्य सभा

उत्तर

मानसून सत्र, 2025

[268वाँ राज्यसभा सत्र]

[21 जुलाई, 2025 से 21 अगस्त, 2025]

अनुक्रमणिका

पृष्ठ संख्या	पृष्ठ संख्या	पृष्ठ संख्या	पृष्ठ संख्या	पृष्ठ संख्या	पृष्ठ संख्या	पृष्ठ संख्या
1.	**51**	**तारांकित**	**24.07.2025**	**न्यायालयों में जूड्स की संख्या और रिक्तियां**	नियुक्ति	**1-5**
2.	**54**	**तारांकित**	**24.07.2025**	**प्रस्तावना में संशोधन**	**कानूनी मामले**	**6-7**
3.	56	अतारांकित	24.07.2025	न्यायिक बुनियादी ढांचे के लिए धन आवंटन	जे आर	**8-9**
4.	590	अतारांकित	24.07.2025	कानूनी जागरूकता शिविर और कार्यक्रम	एल. ए .पी	10-12
5.	591	अतारांकित	24.07.2025	कॉलेजियम की सिफारिशें और नियुक्तियों में देरी	नियुक्ति	13-14
6.	593	अतारांकित	24.07.2025	कानूनी शिक्षा का प्रसार	इम्प्लांट सेल (डी.एल.ए)	15-16
7.	594	अतारांकित	24.07.2025	शिक्षा की लागत और पहूंच	एडीआर सेल	17-18
8.	595	अतारांकित	24.07.2025	देश में मध्यस्थता कार्यवाही का समय पर कार्यान्वयन	लेग-II (एल डी)	19-20
9.	597	अतारांकित	24.07.2025	उच्च न्यायालय में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति	नियुक्ति	21-22
10.	598	अतारांकित	24.07.2025	ओडिशा के जनजातीय क्षेत्रों में न्यायिक बुनियादी ढांचे में सुधार	जे आर	23-24
11.	599	अतारांकित	24.07.2025	निःशुल्क कानूनी सहायता सेवाओं की प्रभावशीलता	एल. ए .पी	25-26
12.	600	अतारांकित	24.07.2025	न्याय और कानूनी सहायता तक पहुंच	ए 2 जे	27-30
13.	606	अतारांकित	24.07.2025	न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में लंबित सिफारिशें	नियुक्ति	31-32
14.	1360	अतारांकित	31.07.2025	न्याय विभाग के अंतर्गत कार्यान्वयन और सुगम्यता सुधार।	**ई-कोर्ट**	33-34
15.	1382	अतारांकित	31.07.2025	कानूनी अनुसंधान और न्यायिक प्रशासन में एआई	**ई-कोर्ट**	35-36

16.	1383	अतारांकित	31.07.2025	अदालतों में बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं।	एन एम	37-52
18.	1385	अतारांकित	31.07.2025	फास्ट ट्रैक कोर्ट	जे-II	53-64
19.	1386	अतारांकित	31.07.2025	उच्च न्यायालय में नियुक्तियों के लिए सिफारिश स्वीकार करने में देरी	नियुक्ति	65-66
21	1388	अतारांकित	31.07.2025	न्याय बंधु कानूनी सहायता कार्यक्रम	ए 2 जे	67-68
22	1389	अतारांकित	31.07.2025	उच्च न्यायपालिका में हाशिए पर पड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व	नियुक्ति	69-70
23	1390	अतारांकित	31.07.2025	उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियां	नियुक्ति	70-79
25	1392	अतारांकित	31.07.2025	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचारों को रोकने के उपाय	जे-II	80-82
26	**204**	**तारांकित**	**07.08.2025**	**उच्च न्यायालयों में प्रांतीय न्यायिक सेवा अधिकारी**	नियुक्ति	**83-84**
27	**206**	**तारांकित**	**07.08.2025**	**पुडुचेरी में उच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना**	नियुक्ति	**85-86**
28	2188	अतारांकित	07.08.2025	उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियां	नियुक्ति	87-88
29	2189	अतारांकित	07.08.2025	लंबित सिविल और आपराधिक मामले	एन एम	89-113
31	2191	अतारांकित	07.08.2025	न्यायपालिका में एआई के उपयोग पर एक समान नीति	**ई-कोर्ट**	114-115
32	2192	अतारांकित	07.08.2025	कॉलेजियम प्रणाली की कार्यप्रणाली	नियुक्ति	116-117
33	2193	अतारांकित	07.08.2025	न्यायाधिकरण स्थापित करने की योजना	एन एम	118-119
34	2194	अतारांकित	07.08.2025	अदालतों में लंबित मामलों का बोझ	जे-II	120-124
35	2195	अतारांकित	07.08.2025	ग्राम न्यायालय	जे आर	125-131
36	**302**	**तारांकित**	**21.08.2025**	**ओडिशा उच्च न्यायालय की पैरामेंट पीठें**	नियुक्ति	**132-133**
37	3307	अतारांकित	21.08.2025	न्याय प्रणाली में विकलांग व्यक्तियों की पहुँच	एल. ए .पी	134-135
38	3308	अतारांकित	21.08.2025	महिलाओं के लिए कार्यस्थल में समावेशिता	एडीएमएन-II (डीएलए)	136-137

39	3309	अतारांकित	21.08.2025	न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली.	नियुक्ति	138-139
40	3310	अतारांकित	21.08.2025	झारखंड में ई-कोर्ट परियोजना	**ई-कोर्ट**	140-141
41	3311	अतारांकित	21.08.2025	तीन वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम	इम्प्लांट सेल (डीएलए)	142-143
42	3312	अतारांकित	21.08.2025	न्यायिक लंबितता और लंबित मामले	एन एम	144-148
43	3313	अतारांकित	21.08.2025	संविधान पीठ के पास लंबित मामलों की संख्या	एन एम	149-150
44	3314	अतारांकित	21.08.2025	ओडिशा में उप-मंडल और जिला न्यायालय परिसरों का उन्नयन	जे आर	151-157

भारत सरकार

विधि एवं न्याय मंत्रालय

विभाग का न्याय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 51

24.07.2025 को उत्तर दिया गया

न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या और रिक्तियां

*51. डॉ. जॉन ब्रिटास:

क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

a. आज की तारीख में उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या और रिक्तियां;
b. वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम या सरकार के पास लंबित प्रस्तावों की संख्या ;
c. उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियां जिनकी सिफारिश उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा सरकार को अभी तक नहीं की गई है ;
d. आज की तारीख तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों से आने वाले न्यायाधीशों की संख्या, राज्यवार और श्रेणीवार ब्यौरा; और
e. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के गैर-न्यायिक स्टाफ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के वर्तमान प्रतिनिधित्व का श्रेणीवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या और रिक्तियां' के संबंध में दिनांक 24.07.2025 को उत्तर दिए जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 51 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ङ): 21.07.2025 तक, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 34 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 33 न्यायाधीश कार्यरत हैं। उच्च न्यायालयों में, 1122 स्वीकृत न्यायाधीशों के सापेक्ष 751 न्यायाधीश कार्यरत हैं और विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 371 पद रिक्त हैं। इन रिक्तियों के सापेक्ष, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के 175 प्रस्ताव सरकार और सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम के बीच प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। 196 रिक्तियों के लिए उच्च न्यायालय कॉलेजियम से सिफारिशें अभी प्राप्त होनी बाकी हैं।

सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 224 के तहत की जाती है, जो किसी भी जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं करते हैं। इसलिए, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बीच एससी, एसटी और ओबीसी के प्रतिनिधित्व से संबंधित श्रेणीवार डेटा केंद्रीय रूप से उपलब्ध नहीं है। हालांकि, सरकार सामाजिक विविधता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और 2018 से, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद के लिए सिफारिश करने वालों को निर्धारित प्रारूप (सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श से तैयार) में अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि का विवरण प्रदान करना आवश्यक है। अनुशंसाकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर , 2018 से 21.07.2025 तक नियुक्त 743 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से 23 एससी वर्ग के, 17 एसटी वर्ग के और 93 ओबीसी वर्ग के हैं। 21.07.2025 तक, एक महिला न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में कार्यरत हैं और 105 महिला न्यायाधीश विभिन्न उच्च न्यायालयों में कार्यरत हैं।

प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्तावों को आरंभ करने की जिम्मेदारी भारत के मुख्य न्यायाधीश की है, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्तावों को आरंभ करने की जिम्मेदारी संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की है। हालाँकि, सरकार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध करती रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव भेजते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं से संबंधित उपयुक्त उम्मीदवारों पर उचित विचार किया जाए ताकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित हो सके। केवल वे व्यक्ति जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित किया जाता है, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में गैर-न्यायिक कर्मचारियों से संबंधित जानकारी केंद्रीय रूप से नहीं रखी जाती है। हालाँकि, गैर-न्यायिक कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व के संबंध में 7 उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी **अनुलग्नक में दी गई है** ।

अनुलग्नक

उच्च न्यायालय	**सामान्य**	**अनुसूचित जाति**	**अनुसूचित जनजाति**	**ओबीसी (बीसी/ईबीसी/ ईडब्ल्यूएस/डीक्यू)**
उत्तराखंड	98	19	3	15
मध्य प्रदेश	-	191	111	446
पटना	650	175	12	402
शिलांग	31	-	88	-
कर्नाटक	-	439	101	1642
उड़ीसा	-	184	107	*
राजस्थान	-	72	72	203
कुल	**779**	**1080**	**494**	**2708**

*** उड़ीसा उच्च न्यायालय (कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियम, 2019 के अनुसार, ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। हालाँकि, ये नियम सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण प्रदान करते हैं।**

***

भारत सरकार

विधि एवं न्याय मंत्रालय

कानूनी मामलों का विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 54

24.07.2025 को उत्तर दिया गया

प्रस्तावना में संशोधन

54 # श्री रामजी लाल सुमन :

क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्दों के प्रयोग पर पुनर्विचार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है;

(ख) क्या इस संबंध में कुछ सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा माहौल बनाया जा रहा है; और

(ग) संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्दों के प्रयोग पर पुनर्विचार के संबंध में सरकार का क्या रुख है?

उत्तर

विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

a. (ग) : एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

<u>प्रस्तावना में संशोधन' के संबंध में दिनांक 24.07.2025 को उत्तर दिए जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 54 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण</u>

(ए) भारत सरकार ने संविधान की प्रस्तावना से "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्दों को हटाने के लिए कोई औपचारिक कानूनी या संवैधानिक प्रक्रिया शुरू नहीं की है। हालाँकि कुछ सार्वजनिक या राजनीतिक हलकों में इस पर चर्चा या बहस हो सकती है, लेकिन सरकार द्वारा इन शब्दों में संशोधन के संबंध में कोई औपचारिक निर्णय या प्रस्ताव घोषित नहीं किया गया है ।

नवंबर 2024 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डॉ. बलराम सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में, 1976 के संशोधन (42 वें संविधान संशोधन) को चुनौती देने वाली याचिकाओं को भी खारिज कर दिया और कहा कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति प्रस्तावना तक भी विस्तारित है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भारतीय संदर्भ में "समाजवाद" एक कल्याणकारी राज्य का प्रतीक है और निजी क्षेत्र के विकास में बाधा नहीं डालता, जबकि "धर्मनिरपेक्षता" संविधान के मूल ढांचे का अभिन्न अंग है।

(बी) कुछ सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा बनाए गए माहौल के संबंध में, यह संभव है कि कुछ समूह अपनी राय व्यक्त कर रहे हों या इन शब्दों पर पुनर्विचार की वकालत कर रहे हों। ऐसी गतिविधियाँ इस मुद्दे पर एक सार्वजनिक चर्चा या माहौल तो बना सकती हैं, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि सरकार के आधिकारिक रुख या कार्यों को प्रतिबिंबित करे।

(ग) सरकार का आधिकारिक रुख यह है कि संविधान की प्रस्तावना से "समाजवाद" और "धर्मनिरपेक्षता" शब्दों पर पुनर्विचार करने या उन्हें हटाने की कोई योजना या इरादा फिलहाल नहीं है। प्रस्तावना में संशोधन संबंधी किसी भी चर्चा के लिए गहन विचार-विमर्श और व्यापक सहमति की आवश्यकता होगी, लेकिन अभी तक सरकार ने इन प्रावधानों को बदलने के लिए कोई औपचारिक प्रक्रिया शुरू नहीं की है।

****

भारत सरकार

विधि एवं न्याय मंत्रालय

विभाग का न्याय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 56

24/07/2025 को उत्तर दिया गया

न्यायिक बुनियादी ढांचे के लिए निधि आवंटन

*56. श्री नीरज शेखर:

क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों को वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या हाल ही में न्यायालयों, विशेषकर निचली न्यायपालिका में जनशक्ति और बुनियादी सुविधाओं के उन्नयन के लिए कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

'न्यायिक अवसंरचना के लिए निधि आवंटन' के संबंध में दिनांक 24.07.2025 को उत्तरार्थ हेतु राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *56 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों में न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों को आवंटित धनराशि राज्यवार निम्नानुसार है :-

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (अस्थायी आवंटन)#
1	उतार प्रदेश।	0.00*	102.96	174.12	144.19
2.	बिहार	0.00*	67.45	107.81	64.78

* निधियां जारी नहीं की जा सकीं, क्योंकि राज्य के एकल नोडल एजेंसी *(एसएनए)* खाते में निधियों का अप्रयुक्त शेष स्वीकार्य सीमा से अधिक था और इसलिए, राज्य केंद्रीय निधियों के नए अनुदान के लिए पात्र नहीं थे।

बिहार को *32.38* करोड़ रुपये की प्रारंभिक स्वीकृति जारी की गई है। उत्तर प्रदेश के मामले में, कोई प्रारंभिक स्वीकृति जारी नहीं की गई है क्योंकि राज्य के एसएनए खाते में *50.11* करोड़ रुपये की अप्रयुक्त राशि पड़ी है।

(ख) से (घ) जिला न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। केंद्र सरकार सीएसएस के माध्यम से जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के बुनियादी ढांचे के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के संसाधनों की पूर्ति करती है। निचली न्यायपालिका में जनशक्ति के आकलन के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 के साथ अनुच्छेद 309 के प्रावधान के अनुसार, संबंधित राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, भर्ती आदि के मुद्दों के संबंध में नियम और विनियम बनाती है। इस प्रकार, जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों का चयन और नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। सर्वोच्च न्यायालय ने मलिक मजहर सुल्तान मामले में जनवरी 2007 में पारित न्यायिक आदेश के तहत कुछ समयसीमा निर्धारित की है, जिनका राज्यों और संबंधित उच्च न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए पालन करना है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या 3,445 है, जबकि कार्यरत संख्या 2,473 है। राज्य में 2,623 न्यायालय कक्ष हैं, जबकि 454 अतिरिक्त न्यायालय कक्ष निर्माणाधीन हैं। राज्य के स्वामित्व वाले आवासों की संख्या 1,719 है और 371 आवास निर्माणाधीन हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के समन्वय से एकीकृत न्यायालय परिसरों के निर्माण की योजना को अंतिम रूप दिया है। एक पायलट परियोजना के रूप में, 10 न्यायाधीश पदों की पहचान की गई है, जिनमें से अमेठी, औरैया , चंदौली , हाथरस , महोबा और शामली नामक 06 न्यायाधीश पदों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी दी गई है।

बिहार राज्य में न्यायिक अधिकारियों के स्वीकृत पदों की तुलना में कार्यरत संख्या 1,680 है। कुल उपलब्ध न्यायालय कक्ष 1,667 हैं, जबकि 207 अतिरिक्त न्यायालय कक्ष निर्माणाधीन हैं। आवासीय भवनों की कुल संख्या 1,242 है, जबकि 296 निर्माणाधीन हैं। पटना उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, बिहार के न्यायाधीशों के अवसंरचना विकास की निगरानी के लिए एक राज्य न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण (एसजेआईए) है।

*****

भारत सरकार

विधि एवं न्याय मंत्रालय

विभाग का न्याय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 590

उत्तर दिया गया - 24/07/2025

कानूनी जागरूकता शिविर और कार्यक्रम

590 # डॉ. सुधांशु त्रिवेदी:

श्री रयाग कृष्णैया:

श्री नारायण कोरगप्पा:

श्री मदन राठौर:

श्री मयंक कुमार नायक:

श्री मनन कुमार मिश्रा:

डॉ. के. लक्ष्मण:

श्री बृजलाल:

क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

a. पिछले तीन वर्षों के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से न्याय तक पहुंच को मजबूत करने में सरकार की उपलब्धियां;
b. कार्यक्रमों का प्रभाव पूरे देश में आयोजित ; और
c. बचाव का दायरा और परिणाम क्या पात्र लाभार्थियों को आपराधिक मामलों में निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने में काउंसिल सिस्टम (एलएडीसीएस) की भूमिका महत्वपूर्ण है?

उत्तर

विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क): राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के तहत एलएसए अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों सहित समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया था, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न किया जाए और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया जाए । इसके अतिरिक्त, एनएएलएसए ने निवारक और रणनीतिक कानूनी सेवा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न योजनाएं भी तैयार की हैं, जिन्हें विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा विभिन्न स्तरों अर्थात राज्य, जिला और तालुका स्तर पर कार्यान्वित किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा किए गए विभिन्न गतिविधियों/ कार्यक्रमों के तहत कानूनी सहायता और सलाह के माध्यम से लाभान्वित व्यक्तियों का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	कानूनी सहायता और सलाह से लाभान्वित व्यक्ति
2022-23	12,14,769
2023-24	15,50,164
2024-25	16,57,527
कुल	44,22,460

अदालतों के माध्यम से निपटाए गए मामलों/मुद्दों का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	राज्य लोक अदालत	स्थायी लोक अदालत	राष्ट्रीय लोक अदालत*
2022-23	8,51,309	1,71,138	4,19,26,010
2023-24	12,07,103	2,32,763	8,53,42,217
2024-25	13,44,814	2,37,980	10,45,26,119
कुल	34,03,226	6,41,881	23,17,94,346

* राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में डेटा कैलेंडर वर्ष 2022, 2023 और 2024 से संबंधित है।

(ख): विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा देश भर में बच्चों, मजदूरों, आपदा पीड़ितों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजनों आदि से संबंधित विभिन्न कानूनों एवं योजनाओं के संबंध में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

विधिक सेवा प्राधिकरण विभिन्न कानूनों पर सरल भाषा में पुस्तिकाएँ और पैम्फलेट भी तैयार करते हैं, जिन्हें लोगों में वितरित किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा आयोजित विधिक जागरूकता शिविरों/कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	कार्यक्रमों की संख्या का गठन कर दिया	उपस्थित व्यक्तियों की संख्या
2022-23	4,90,055	6,75,17,665
2023-24	4,30,306	4,49,22,092
2024-25	4,62,988	3,72,32,850
कुल	13,83,349	14,96,72,607

(ग): भारत सरकार 2023-24 से नालसा के माध्यम से एक केंद्रीय क्षेत्र योजना, कानूनी सहायता बचाव परामर्शदाता प्रणाली (एलएडीसीएस) भी लागू कर रही है। इस योजना का उद्देश्य एलएसए अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अंतर्गत कानूनी सहायता के पात्र लाभार्थियों को आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता प्रदान करना है। 30 जून 2025 तक , देश भर के 662 जिलों में एलएडीसी कार्यालय कार्यरत हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान कानूनी सहायता बचाव परामर्शदाताओं (एलएडीसीएस) को सौंपे गए और उनके द्वारा निपटाए गए मामलों का विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	LADCs को सौंपे गए मामले	एलएडीसी द्वारा निपटाए गए मामले
2023-24	3,36,830	2,12,505
2024-25	5,32,413	3,72,750
कुल	8,69,243	5,85,255

*****

भारत सरकार

विधि एवं न्याय मंत्रालय

विभाग का न्याय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 591

उत्तर दिया गया- 24/07/2025

कॉलेजियम की सिफारिशें और नियुक्तियों में देरी

591. श्री विवेक के. तन्खाः

क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

a. पिछले पांच वर्षों में उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिशों की कुल संख्या, वर्षवार;
b. स्वीकृत, अस्वीकृत तथा सरकार के पास अभी भी लंबित सिफारिशों की संख्या ;
c. प्रत्येक सिफारिश पर प्रतिक्रिया देने में सरकार द्वारा लिया गया औसत समय और क्या देरी या अस्वीकृति के लिए कोई कारण बताए गए थे; और
d. क्या सरकार ने किसी नाम को कई बार वापस किया है और यदि हां, तो ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ): 18.07.2025 तक, विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के स्वीकृत 1122 पदों के सापेक्ष 751 न्यायाधीश कार्यरत हैं और न्यायाधीशों के 371 पद रिक्त हैं। इन रिक्तियों के सापेक्ष, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के 178 प्रस्ताव सरकार और सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम के बीच प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। 193 रिक्तियों के लिए उच्च न्यायालय कॉलेजियम से सिफारिशें अभी प्राप्त होनी बाकी हैं।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और 224 के तहत तथा तैयार किए गए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है।

1998 में सर्वोच्च न्यायालय के 6 अक्टूबर, 1993 के निर्णय (द्वितीय न्यायाधीशों का मामला) और 28 अक्टूबर, 1998 की उनकी सलाहकार राय (तृतीय न्यायाधीशों का मामला) के अनुसरण में। MoP के अनुसार, ज़िम्मेदारी

सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्तावों को शुरू करने की जिम्मेदारी भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास है, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्तावों को शुरू करने की जिम्मेदारी उच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम अवर न्यायाधीशों के परामर्श से संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास है। MoP के अनुसार, उच्च न्यायालयों को रिक्ति होने से कम से कम 06 महीने पहले सिफारिशें करने की आवश्यकता होती है। हालाँकि, इस समय सीमा का पालन शायद ही कभी किया जाता है। उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के लिए, संबंधित राज्य सरकार के विचार MoP के अनुसार प्राप्त किए जाते हैं। सिफारिशों पर ऐसी अन्य रिपोर्टों के आलोक में भी विचार किया जाना चाहिए जो विचाराधीन नामों के संबंध में सरकार को उपलब्ध हो सकती हैं। उच्च न्यायालय कॉलेजियम, राज्य सरकारों और भारत सरकार की सिफारिशें फिर सलाह के लिए सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम (SCC) को भेज दी जाती हैं।

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है। इसके लिए राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन आवश्यक है। केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है जिनके नाम राज्य न्यायिक आयोग द्वारा अनुशंसित किए गए हों।

01.01.2020 से 18.07.2025 तक, सर्वोच्च न्यायालय में 35 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है और विभिन्न उच्च न्यायालयों में 554 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त, इसी अवधि के दौरान 349 नाम उच्च न्यायालयों को प्रेषित किए गए हैं।

***

भारत सरकार मंत्रालय का कानून और न्याय

विभाग का कानूनी मामलों

राज्यसभा अतारांकित सवाल नहीं। 593

उत्तर दिए पर 24.07.2025

प्रसार का कानूनी शिक्षा

593 श्री राजीव शुक्ला:

इच्छा मंत्री का कानून और न्याय होना प्रसन्न को राज्य:

a. क्या सरकार उपाय करने की योजना बना रहा है प्रसार के लिए देश में कानूनी जागरूकता और शिक्षा;
b. अगर इसलिए, विवरण उसके;
c. प्रगति बनाया जैसा भाग का वही; और
d. प्रस्तावित पैमाने को होना लिया में यह आदर करना?

उत्तर

मंत्री का राज्य (स्वतंत्र शुल्क) का मंत्रालय का विधि एवं न्याय; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन टक्कर मारना मेघवाल)

a. (घ) तक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) द्वारा देश भर में बच्चों, मजदूरों , आपदा पीड़ितों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, विकलांग व्यक्तियों आदि से संबंधित विभिन्न कानूनों और योजनाओं पर नियमित रूप से कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं । सरल भाषा में जानकारीपूर्ण पुस्तिकाएं और पैम्फलेट भी वितरित किए जाते हैं।

कार्यक्रमों का विवरण विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा आयोजित कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:

वर्ष	PROGRAM'S का गठन कर दिया	व्यक्तियों में भाग लिया
2022–23	4,90,055	6,75,17,665
2023–24	4,30,306	4,49,22,092
2024–25	4,62,988	3,72,32,850
कुल	**13,83,349**	**14,96,72,607**

अखिल भारतीय योजना के तहत न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना भारत (दिशा) (2021–26), सरकार है कार्यान्वयन कानूनी

साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम *(एलएलएलएपी)* । कार्यक्रम के तहत पूर्वोत्तर राज्यों की 22 अनुसूचित भाषाओं/बोलियों में विभिन्न सूचना शिक्षा संचार (आईईसी) सामग्री विकसित की गई है।

दूरदर्शन के सहयोग से , 6 भाषाओं में 56 टीवी कार्यक्रम प्रसारित किए गए, जिनकी पहुँच 70.70 लाख से ज़्यादा लोगों तक पहुँची। इसके साथ ही, 20 वेबिनार (सितंबर 2021-अक्टूबर 2023) भी आयोजित किए गए। 10 जुलाई, 2025 को साइबर अपराध पर 21वाँ राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया गया। यह नागरिकों के लिए विभिन्न सोशल मीडिया चैनलों पर उपलब्ध है। सरकार आने वाले वर्षों में भी ऐसे वेबिनार आयोजित करती रहेगी। एलएलएलएपी की कुल पहुँच 1 करोड़ से ज़्यादा नागरिकों तक है।

में आदर का कानूनी शिक्षा, जानकारी है प्राणी एकत्र किया हुआ से बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा पारित प्रस्ताव सदन के पटल पर रखा जाएगा।

*****

भारत सरकार

विधि एवं न्याय मंत्रालय

कानूनी मामलों का विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 594

24.07.2025 को उत्तर दिया गया

देश में मध्यस्थता कार्यवाही की लागत और पहुंच

594 श्री सना सतीश बाबू:

विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों में राज्य-वार, विशेषकर आंध्र प्रदेश में, कुल कितनी मध्यस्थता कार्यवाहियां की गईं;

(ख) क्या सरकार ने देश में मध्यस्थता की उच्च लागत का अध्ययन किया है और यदि हां, तो इसे विनियमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में मध्यस्थता कार्यवाही के लिए लगाए जाने वाले शुल्कों पर सीमा लगाने पर विचार किया है ताकि आम आदमी मध्यस्थता कार्यवाही का लाभ उठा सके, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या पहुंच में सुधार लाने और मुकदमेबाजी की लागत को कम करने के लिए जिला स्तरीय मध्यस्थता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) सरकार द्वारा ऐसा कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

(बी) और (सी) सरकार द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है। हालांकि, मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के समाधान के लिए पार्टी स्वायत्तता केंद्रीय है। मध्यस्थ न्यायाधिकरण को पार्टियों द्वारा सहमत प्रक्रिया के अनुसार मध्यस्थता का संचालन करना आवश्यक है, जो एक मध्यस्थ संस्था के तत्वावधान में या तदर्थ तरीके से आयोजित किया जा सकता है। यदि मध्यस्थता एक मध्यस्थ संस्था के तत्वावधान में आयोजित और प्रशासित की जाती है, तो मध्यस्थों को देय शुल्क आम तौर पर उक्त संस्था के नियमों के अनुसार होता है। तदर्थ मध्यस्थता के मामले में, जहां प्रक्रिया मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा केस-दर-केस आधार पर तय की जाती है, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम एफकॉन्स गुनानुसा जेवी *(*एआईआर *2022* एससी *4413)* के मामले में मध्यस्थों की फीस तय करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 चौथी अनुसूची के तहत मध्यस्थों को देय मॉडल शुल्क निर्धारित करता है।

(घ) वर्तमान में, जिला स्तरीय मध्यस्थता केन्द्रों की स्थापना हेतु सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

***

भारत सरकार

विधि एवं न्याय मंत्रालय

विधायी विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 595

24.07.2025 को उत्तर दिया गया

महिला आरक्षण विधेयक का समय पर कार्यान्वयन

595 **सुश्री सुष्मिता देव:**

विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

2029 के लोकसभा चुनावों से नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण विधेयक) को लागू करने की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने 2029 के आम चुनावों से पहले परिसीमन प्रक्रिया पूरी करने की व्यवहार्यता का आकलन किया है; और

(ग) क्या सरकार ने 2029 के आम चुनावों के लिए महिला आरक्षण विधेयक, 2023 के कार्यान्वयन हेतु एक निश्चित रोडमैप तैयार किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग): संविधान (एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम, 2023 द्वारा सम्मिलित संविधान का अनुच्छेद 334ए यह प्रावधान करता है कि लोक सभा, राज्य विधान सभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण संविधान (एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम, 2023 के लागू होने के बाद

की गई पहली जनगणना के प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित होने के बाद इस प्रयोजन के लिए परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद प्रभावी होगा।

****

भारत सरकार

विधि एवं न्याय मंत्रालय

विभाग का न्याय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 597

24.07.2025 को उत्तर दिया गया

उच्च न्यायालय में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति

#597. श्री संजय सिंह :

क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

a. प्रांतीय न्यायिक सेवाओं के न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के लिए नियम/विनियम/अधिनियम और इस संबंध में प्रत्येक उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का विवरण;
b. क्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायिक अधिकारियों की न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए कोई निश्चित प्रतिशत कोटा निर्धारित है; और
c. यदि हां, तो कुल नियुक्तियों में न्यायिक अधिकारियों के लिए निर्धारित कोटा का प्रतिशत क्या है तथा वह कानूनी प्रावधान या दिशानिर्देश क्या है जिसके तहत यह कोटा निर्धारित किया गया है?

उत्तर

विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग): उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और 224 के अंतर्गत और सर्वोच्च न्यायालय के 6 अक्टूबर, 1993 के निर्णय (द्वितीय न्यायाधीश मामला) और 28 अक्टूबर, 1998 की उनकी सलाहकार राय (तृतीय

न्यायाधीश मामला) के अनुसरण में 1998 में तैयार किए गए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। अनुच्छेद 217(2) में प्रावधान है कि " कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तभी योग्य होगा जब वह भारत का नागरिक हो और—

(क) भारत के राज्यक्षेत्र में कम से कम दस वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो*:* या

(ख) कम से कम दस वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय या दो या अधिक ऐसे न्यायालयों का लगातार अधिवक्ता रहा हो।

एमओपी के अनुसार , उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्तावों को आरंभ करने की ज़िम्मेदारी संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की होती है, जो उच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से ऐसा करते हैं। उच्च न्यायालय कॉलेजियम, राज्य सरकारों और भारत सरकार की सिफ़ारिशें परामर्श के लिए सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) को भेजी जाती हैं। केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनके नामों की सिफ़ारिश सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा की गई हो।

1999 में मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में पारित प्रस्ताव और 29 अप्रैल, 2002 को WP (C) संख्या 410/2001 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में , उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में 66⅔% रिक्तियाँ बार के सदस्यों से और 33⅓% रिक्तियाँ न्यायिक सेवा से भरी जाती हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय सहित सभी उच्च न्यायालयों में इस दिशानिर्देश का पालन किया जा रहा है।

***

भारत सरकार

विधि एवं न्याय मंत्रालय

विभाग का न्याय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 598

24.07.2025 को उत्तर दिया गया

ओडिशा के जनजातीय क्षेत्रों में न्यायिक बुनियादी ढांचे में सुधार

598 **श्री निरंजन बिशी :**

विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्या सरकार न्यायिक बुनियादी ढांचे के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत ओडिशा के दूरदराज और आदिवासी क्षेत्रों में अदालती भवनों और न्यायिक बुनियादी ढांचे के निर्माण और आधुनिकीकरण के लिए धन आवंटित करेगी?

उत्तर

विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

केंद्र सरकार 1993-94 से न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढाँचा सुविधाओं के विकास हेतु केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) का क्रियान्वयन कर रही है। इस योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार न्यायालय कक्षों, आवासीय इकाइयों, अधिवक्ता कक्षों, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के निर्माण हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के संसाधनों में वृद्धि करती है।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को धनराशि का आवंटन योजना दिशानिर्देशों में दिए गए भारांक सूत्र और किसी दिए गए वर्ष में बजटीय आवंटन के अनुसार योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास धनराशि की समग्र उपलब्धता के आधार पर होता है। राज्यों को राज्य के हिस्से के लिए राज्य बजट में पर्याप्त प्रावधान करना आवश्यक है। अनुदान का अनुरोध राज्यों द्वारा संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से तैयार की गई और राज्यों द्वारा मंत्रालय को भेजी गई कार्य योजना पर आधारित होना चाहिए।

1993-94 में इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक ओडिशा राज्य को 262.28 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से 2014-15 से 30.06.2025 तक 172.04 करोड़ रुपये जारी किए गए। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, ओडिशा को 30.57 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिनमें से अब तक 7.64 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। 30.06.2025 तक, ओडिशा राज्य में जिला एवं अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों के लिए 905 न्यायालय भवन और 769 आवासीय इकाइयाँ हैं। इसके अलावा, 156 न्यायालय भवन और 101 आवासीय इकाइयाँ निर्माणाधीन हैं।

******

भारत सरकार

विधि एवं न्याय मंत्रालय

विभाग का न्याय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 599

24.07.2025 को उत्तर दिया गया

नि:शुल्क कानूनी सहायता सेवाओं की प्रभावशीलता

599. डॉ. सैयद नसीर हुसैन :

विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा होगी:

(क) क्या सरकार ने आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए लंबित मामलों को कम करने में दिशा योजना के अंतर्गत नि:शुल्क कानूनी सहायता सेवाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए हाल ही में कोई अध्ययन या परामर्श किया है; और

(ख) यदि हां, तो इन सेवाओं को सुदृढ़ करने तथा मामले के समाधान में देरी को कम करने के लिए चिन्हित प्रमुख सुधारों या रणनीतियों का विस्तृत ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क): न्याय विभाग "भारत में न्याय तक समग्र पहुँच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना (दिशा)" नामक एक अखिल भारतीय योजना का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 39ए, 14 और 21 में निहित संवैधानिक अधिदेश को पूरा करना है। वर्तमान में, दिशा योजना 2021-26 की अवधि के लिए स्वीकृत है। अगले वित्त आयोग चक्र के दौरान 31.03.2026 से आगे योजना को जारी रखने के लिए, योजना को परिणाम समीक्षा के आधार पर मूल्यांकन और अनुमोदन प्रक्रिया से गुजरना आवश्यक है ।

दिशा योजना अपने घटकों जैसे टेली-लॉ, न्याय बंधु (प्रो बोनो लीगल सर्विसेज) और कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से आसान, सुलभ, सस्ती और नागरिक केंद्रित कानूनी सेवाएं प्रदान करती है और इसमें लंबित मामलों का निपटान शामिल नहीं है। टेली-लॉ नागरिकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं और मोबाइल ऐप "टेली-लॉ" के माध्यम से वकीलों से जोड़ता है और मुकदमेबाजी-पूर्व सलाह देने के लिए टोल फ्री नंबर के माध्यम से भी जोड़ता है। न्याय बंधु (प्रो बोनो लीगल सर्विसेज) इच्छुक प्रो बोनो एडवोकेट्स और पंजीकृत लाभार्थियों, जो कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत मुफ्त कानूनी सहायता के हकदार हैं, के बीच न्याय बंधु एप्लिकेशन (एंड्रॉइड/आईओएस पर उपलब्ध) के माध्यम से निर्बाध संपर्क को सक्षम बनाता है। इसके अलावा, दिशा का तीसरा घटक कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम है, जिसके माध्यम

से लाभार्थियों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और हकों के बारे में संवेदनशील बनाया जाता है । 30 जून, 2025 तक दिशा योजना अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से देश में लगभग 2.10 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंच चुकी है।

(b) नागरिकों तक सेवाओं की पहुंच को व्यापक और मजबूत बनाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। पहुंच बढ़ाने के लिए, टेली लॉ वेब पोर्टल और टेली-लॉ एप्लीकेशन का 22 अनुसूचित भाषाओं में अनुवाद किया गया है। प्रिंट और डिजिटल मीडिया दोनों के माध्यम से इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। इसके अलावा, लाभार्थियों के मुकदमे-पूर्व सलाह और कानूनी प्रतिनिधित्व के लिए टेली-लॉ को न्याय बंधु (निशुल्क कानूनी सेवाएं) मंच के साथ एकीकृत करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। तत्काल सलाह और परामर्श के लिए नागरिकों के लिए 14454 के माध्यम से टोल फ्री नंबर भी चालू किया गया है। कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम को विभिन्न क्षेत्रीय कार्यान्वयन एजेंसियों जैसे सिक्किम राज्य महिला आयोग, अरुणाचल प्रदेश एसएलएसए, आदि के माध्यम से विकसित और मुख्यधारा में लाया गया है। दूरदर्शन के सहयोग से , 6 भाषाओं में 56 कानूनी जागरूकता टीवी कार्यक्रम विकसित किए गए इसके अलावा, सामाजिक-कानूनी मुद्दों पर सितंबर, 2021 से अक्टूबर, 2023 तक 20 विषयगत कानूनी जागरूकता वेबिनार भी आयोजित किए गए हैं।

******

भारत सरकार

विधि एवं न्याय मंत्रालय

विभाग का न्याय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 600

उत्तर दिया गया - 24/07/2025

न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता तक पहुंच

600 डॉ. सस्मित पात्रा:

क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

a. पिछले दो वर्षों में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) और सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति (एससीएलएससी) के तहत वास्तव में कानूनी सहायता प्राप्त करने वाले पात्र नागरिकों (एससी/एसटी, महिलाएं, विकलांग, विचाराधीन) का प्रतिशत;
b. क्या कानूनी सहायता प्राप्त करने में क्षेत्रीय असमानताएं हैं, और ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में पहुंच में सुधार के लिए क्या सुधार प्रस्तावित किए जा रहे हैं; और
c. सूचीबद्ध कानूनी सहायता वकीलों के प्रदर्शन का ऑडिट किया है और गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क): अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, दिव्यांगजन और हिरासत में रहने वाले व्यक्ति , अन्य बातों के साथ-साथ, विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अंतर्गत कानूनी सहायता के हकदार हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान नालसा के तत्वावधान में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा एलएसए अधिनियम, 1987 के अंतर्गत प्रदान की गई कानूनी

सहायता से लाभान्वित होने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, दिव्यांगजन और हिरासत में रहने वाले व्यक्तियों का विवरण निम्नानुसार है:

कानूनी सहायता के लिए श्रेणी	2023-24		2024-25	
	संख्या	प्रतिशत*	संख्या	प्रतिशत *
अनुसूचित जाति	1,07,673	6.94	1,29,402	7.80
अनुसूचित जनजातियों	1,00,823	6.50	1,28,440	7.74
औरत	2,83,738	18.30	3,16,151	19.07
विकलांग व्यक्ति	11,591	0.74	8,313	0.50
हिरासत में	3,53,924	22.83	4,72,954	28.53

* वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए कुल लाभार्थी क्रमशः 15,50,164 और 16,57,527 थे।

पिछले दो वर्षों के दौरान एससीएलएससी के माध्यम से एलएसए अधिनियम, 1987 के अंतर्गत कानूनी सहायता प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों और हिरासत में लिए गए व्यक्तियों तथा उनके निपटाए गए मामलों का विवरण इस प्रकार है:

कानूनी सहायता के लिए श्रेणी	2023-24		2024-25	
	संख्या	प्रतिशत^	संख्या	प्रतिशत ^
अनुसूचित जाति	53	3.23	37	3.76
अनुसूचित जनजातियों	11	0.67	10	1.01
औरत	502	30.60	214	21.74
विकलांग व्यक्ति	26	1.58	6	0.60
हिरासत में	476	29.02	262	26.62

^ वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए कुल लाभार्थी क्रमशः 1640 और 984 थे।

(ख): न्याय तक पहुँच में विद्यमान क्षेत्रीय असमानताएँ आमतौर पर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, जहाँ भौगोलिक दूरस्थता, बुनियादी ढाँचे का अभाव, कम कानूनी जागरूकता और गहरी सामाजिक बाधाएँ विधिक सेवा संस्थानों की पहुँच और प्रभावशीलता को काफी सीमित कर देती हैं। हाशिए पर रहने वाले समुदाय, विशेष रूप से आदिवासी और विमुक्त /घुमंतू जनजातियाँ, अक्सर भाषाई, सांस्कृतिक और संस्थागत विसंगतियों के कारण औपचारिक न्याय प्रणालियों से वंचित रह जाते हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए, वर्ष 2025 में निम्नलिखित योजनाएँ शुरू की गई हैं:

i. नालसा (संवाद - हाशिये पर पड़े, कमजोर आदिवासियों और विमुक्त /घुमंतू जनजातियों के लिए न्याय तक पहुंच को सुदृढ़ करना) योजना, 2025 जो जागरूकता और सहायता पर आधारित समुदाय-संचालित दृष्टिकोण को अपनाकर विशेष रूप से हाशिये पर पड़े आदिवासी और घुमंतू समुदायों पर ध्यान केंद्रित करती है।
ii. नालसा (जागृति - जमीनी स्तर पर सूचना और पारदर्शिता पहल के लिए न्याय जागरूकता) योजना, 2025 जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में कानूनी जागरूकता को संस्थागत बनाना है।

(ग): राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 में सभी स्तरों पर निगरानी एवं परामर्श समिति (एमएमसी) की स्थापना का प्रावधान है, अर्थात भारत के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (एसएलएसए)/जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (डीएलएसए) और तालुका विधिक सेवा समितियों (टीएलएससी) में न्यायालय आधारित विधिक सेवाओं की गहन निगरानी और विधिक सहायता मामलों में मामलों की प्रगति तथा गुणवत्तापूर्ण विधिक सेवाएं प्रदान करने में पैनल वकीलों को मार्गदर्शन एवं सलाह प्रदान करने के लिए।

*****

भारत सरकार

विधि एवं न्याय मंत्रालय

विभाग का न्याय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 606

उत्तर दिया गया- 24/07/2025

न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में लंबित सिफारिशें

606. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:

क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

a. विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा की गई लंबित सिफारिशों का ब्यौरा, साथ ही ऐसे लंबित रहने की अवधि और कारण; और
b. क्या मंत्रालय ने ऐसी लंबित सिफारिशों पर कार्रवाई करने और उन्हें मंजूरी देने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है?

उत्तर

विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख): 18.07.2025 तक, विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या 1122 के सापेक्ष 751 न्यायाधीश कार्यरत हैं और न्यायाधीशों के 371 पद रिक्त हैं। इन रिक्तियों के सापेक्ष, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के 178 प्रस्ताव सरकार और सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम के बीच प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। 193 रिक्तियों के लिए उच्च न्यायालय कॉलेजियम से सिफारिशें अभी प्राप्त होनी बाकी हैं।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और 224 के तहत तथा तैयार किए गए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है।

1998 में सर्वोच्च न्यायालय के 6 अक्टूबर, 1993 के निर्णय (द्वितीय न्यायाधीशों का मामला) के अनुसरण में, 28 अक्टूबर, 1998 (तृतीय न्यायाधीशों का मामला) की उनकी सलाहकार राय के साथ पठित। MoP के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्तावों को आरंभ करने की ज़िम्मेदारी भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास है, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्तावों को आरंभ करने की ज़िम्मेदारी संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास है, जो उच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से ऐसा करते हैं।

एमओपी के अनुसार, उच्च न्यायालयों को रिक्ति होने से कम से कम छह महीने पहले सिफ़ारिशें देनी होती हैं। हालाँकि, इस समय-सीमा का पालन कम ही होता है। उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के लिए, एमओपी के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों के विचार प्राप्त किए जाते हैं। इन सिफ़ारिशों पर विचाराधीन नामों के संबंध में सरकार को उपलब्ध अन्य रिपोर्टों के आलोक में भी विचार किया जाना होता है। उच्च न्यायालय कॉलेजियम, राज्य सरकारों और भारत सरकार की सिफ़ारिशें फिर सलाह के लिए सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) को भेजी जाती हैं। केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है जिनके नाम एससीसी द्वारा अनुशंसित किए गए हों।

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है। इसके लिए राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन आवश्यक है। इसलिए, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने में लगने वाले समय का उल्लेख नहीं किया जा सकता।

***

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1360

जिसका उत्तर गुरुवार, 31 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

न्याय विभाग के अंतर्गत कार्यान्वयन और सुगम्यता सुधार

1360 **श्री सुजीत कुमार :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ई-न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण के कार्यान्वयन में, विशेष रूप से ग्रामीण जिला न्यायालयों में, देरी के संबंध में न्याय विभाग द्वारा किए गए किसी भी आंतरिक लेखापरीक्षा के निष्कर्ष क्या हैं और परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए प्रस्तावित सुधारात्मक उपाय क्या हैं ;

(ख) जनजातीय बहुल जिलों में कानूनी सहायता की पहुँच बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा शुरू किए गए किसी भी पायलट कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ;

(ग) केंद्रीय कानूनों के अनुरूप कानून का मसौदा तैयार करने की राज्य सरकारों की क्षमता बढ़ाने के लिए आयोजित किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) न्यायालयों, विशेष रूप से अधीनस्थ न्यायालयों में, दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध अवसंरचना का मूल्यांकन हेतु किए गए किसी भी सुगम्यता ऑडिट का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(**श्री अर्जुन राम मेघवाल**)

(क) : ई-न्यायालय परियोजना की निगरानी न्याय विभाग द्वारा, भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के समन्वय से, बारीकी से की जाती है। इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों में परियोजना के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक समर्पित केंद्रीय परियोजना समन्वयक (सीपीसी) होता है। परियोजना के अधीन संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा उठाई गई मांगों के आधार पर निधि जारी की जाती है, जिसकी सम्यक् जांच भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा की जाती है। परियोजना की नियमित निगरानी को देखते हुए, ग्रामीण जिला न्यायालयों के संबंध में ई-न्यायालय परियोजना का कोई अलग आंतरिक संपरीक्षा नहीं की गई है । तथापि, भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, जिला स्तरीय न्यायालयों में प्रमुख उपलब्धियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

i. अब तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) सुविधा के माध्यम से 2.73 करोड़ से अधिक मामलों की सुनवाई की जा चुकी है।

ii.पणधारियों को नागरिक केन्द्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लगभग 1773 ई-सेवा केन्द्र (सुविधा केन्द्र) प्रचालित हैं।

iii. 30.06.2025 तक जिला न्यायालयो मे लगभग 308 करोड़ पृष्ठो का डिजिटलीकरण किया जा चुका है।

iv. आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान राज्यों को छोड़कर देश के सभी जिला न्यायालयों में ई-फाइलिंग नियम लागू कर दिए गए हैं।

v.देश भर के वकीलों/मुवक्किलों को वाद की स्थिति, वाद सूची, निर्णयों आदि से संबंधित जानकारी कई भाषाओं में ऑनलाइन उपलब्ध है। वकीलों/ मुवक्किलों के लिए ई-न्यायालय मोबाइल ऐप और न्यायाधीशों के लिए जस्टआईएस ऐप को क्रमशः 3.16 करोड़ और 21716 से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है।

vi. देश भर के न्यायालयों के मामलों, निर्णयों/आदेशों आदि की जानकारी राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर ऑनलाइन उपलब्ध है ।

(ख) : न्याय विभाग द्वारा ऐसा कोई पायलट कार्यक्रम आरंभ नहीं किया गया है।

(ग) : विधायी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, विधायी प्रारूपण और अनुसंधान संस्थान (आईएलडीआर) ने राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के मध्य-स्तरीय अधिकारियों के लिए हिंदी में विधायी प्रारूपण पर 34 बुनियादी पाठ्यक्रम और 2 पाठ्यक्रम संचालित किए हैं। इसके अतिरिक्त, आईएलडीआर, राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के अनुरोध पर विधायी प्रारूपण पर पाठ्यक्रम भी संचालित करता है।

(घ) : न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के अधीन संशोधित दिशानिर्देशों में दिव्यांगजनों की अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त उपबंध हैं । दिशानिर्देशों में सुगम्य लिफ्ट, रैम्प, सीढ़ियाँ, हथपट्टी और संचलन क्षेत्रों के संबंध में मानदंड और विनिर्देश शामिल हैं। राज्यों को यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि उनके द्वारा प्रस्तावित परियोजनाएँ दिव्यांगजनों के अनुकूल हैं और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा निर्धारित अपेक्षित मानदंडों/सुगम्यता मानकों को पूरा करती हैं। इन उपबंधों को देखते हुए, न्याय विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के लिए अवसंरचना के मूल्यांकन हेतु कोई सुगम्यता लेखा परीक्षा नहीं कराई गई है।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1382

जिसका उत्तर गुरुवार, 31 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

विधिक अनुसंधान और न्यायिक प्रशासन में एआई

1382 श्री एस. निरंजन रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायपालिका या संबंधित संस्थाओं ने विधिक अनुसंधान, मामलों के वर्गीकरण (केस ट्राइएज), अनुलेखन या न्यायिक निर्णय समर्थन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) साधनों को अपनाया है या उनका परीक्षण किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे साधनों, उनके डेवलपर्स और उन्हें किस स्तर पर लगाया गया है या प्रयोग किया जा रहा है, का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लंबित कार्य में कमी, दक्षता या न्याय तक पहुँच के संदर्भ में कोई मापन योग्य परिणाम प्राप्त किए गए हैं ; और

(घ) क्या सरकार इन साधनों के उपयोग को न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में बढ़ावा देने की योजना बना रही है, यदि हाँ, तो इसकी रूपरेखा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ख) : भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मामला प्रबंधन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और यंत्र विद्वता (एमएल) आधारित उपकरणों को तैनात किया जा रहा है। इन उपकरणों का उपयोग सांविधानिक पीठ के मामलों में मौखिक दलीलों के प्रतिलेखन में किया जा रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से सहायता प्राप्त प्रतिलेखित दलीलों को उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट से देखा जा सकता है। भारत का उच्चतम न्यायालय राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के साथ निकट समन्वय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और यंत्र विद्वता आधारित उपकरणों का भी उपयोग, अंग्रेजी भाषा से 18 भारतीय भाषाओं अर्थात् असमिया, बंगाली, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, खासी, कोंकणी, मलयाली, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संथाली, तमिल, तेलुगु और उर्दू में निर्णयों के अनुवाद में कर रहा है। निर्णयों को भारत के उच्चतम न्यायालय के ईएससीआर पोर्टल के माध्यम से देखा जा सकता है।

भारत के उच्चतम न्यायालय ने आईआईटी मद्रास के साथ निकट समन्वय में, त्रुटियों की पहचान के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत कृत्रिम बुद्धिमत्ता और यंत्र विद्वता आधारित उपकरण विकसित और तैनात किए हैं। हाल ही में, प्रोटोटाइप तक 200 अभिलेख अधिवक्ताओं को पहुंच अनुदत्त की गई है। भारत का उच्चतम न्यायालय आईआईटी मद्रास के सहयोग से त्रुटियों के निवारण, डेटा और मेटाडेटा निष्कर्षण हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता और यंत्र विद्वता उपकरणों के प्रोटोटाइप का भी परीक्षण कर रहा है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता और यंत्र विद्वता आधारित उपकरण इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग मॉड्यूल और मामला प्रबंधन सॉफ्टवेयर, अर्थात् एकीकृत मामला प्रबंधन और सूचना प्रणाली (आईसीएमआईएस) के साथ एकीकृत करने के लिए परिकल्पित किया गया है। तथापि, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चय लेने की प्रक्रिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और यंत्र विद्वता आधारित उपकरणों का उपयोग नहीं किया जा रहा है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरण, न्यायालय दक्षता में सहायता के लिए उच्चतम न्यायालय पोर्टल (एसयूपीएसीई), जिसका उद्देश्य मामलों की पहचान के अलावा पूर्व निर्णयों की बुद्धिमानी से खोज करके मामलों के तथ्यात्मक मैट्रिक्स को समझने हेतु एक

मॉड्यूल विकसित करना है, विकास के प्रायोगिक चरण में है। ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट (यूनिटों) और टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट जैसी अन्य नवीनतम प्रौद्योगिकी-आधारित यूनिटों के उपापन और तैनाती के पश्चात् एसयूपीएसीई को तैनात किया जा सकता है।

(ग) से (घ) : न्यायालयों में मामलों का समय पर निपटान कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों की उपलब्धता, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृन्द और भौतिक अवसंरचना, शामिल तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति और पणधारियों अर्थात् बार, अन्वेषण अभिकरणों, साक्षियों और वादियों का सहयोग शामिल है।

तथापि, भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा प्रदान किया गया डाटा उपदर्शित करता है कि प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप न्याय की दक्षता और सुगमता में वृद्धि हुई है। आज की स्थिति के अनुसार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) सुविधा के माध्यम से जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 2.73 करोड़ से अधिक मामलों की सुनवाई की गई है। पणधारियों को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लगभग 1773 ई-सेवा केंद्र (सुविधा केंद्र) प्रचालनीय हैं। 30.06.2025 तक जिला न्यायालयों में लगभग 308 करोड़ पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान के मामले के सिवाय, देश भर के सभी जिला न्यायालयों में ई-फाइलिंग नियम लागू किए गए हैं। देश भर के वकीलों/वादियों के पास कई भाषाओं में मामलों की प्रास्थिति, वाद सूची, निर्णयों आदि से संबंधित सूचना तक ऑनलाइन पहुंच है। वकीलों/वादियों के लिए ई-कोर्ट्स मोबाइल ऐप और न्यायाधीशों के लिए जस्टआईएस ऐप को क्रमशः 3.16 करोड़ और 21,716 से अधिक बार डाउनलोड किया गया है। देश भर के न्यायालयों के मुकदमों, निर्णयों/आदेशों आदि की सूचना राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर ऑनलाइन उपलब्ध है। देश भर के न्यायालयों के कामकाज में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने के लिए, ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का चरण-3 कार्यान्वयनाधीन है, जिसका बजटीय परिव्यय 7,210 करोड़ रुपये है, जिसे मार्च 2027 तक समाप्त होने वाली 4 वर्षों की अवधि में खर्च किया जाना है।

*****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1383

जिसका उत्तर गुरुवार, 31 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित मामले

1383 **डा. कनिमोझी एनवीएन सोमू :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में फास्ट ट्रैक न्यायालयों और ग्राम न्यायालयों की स्थापना जैसे कई कदम उठाए जाने के बावजूद अभी भी बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो फास्ट ट्रैक न्यायालयों और ग्राम न्यायालयों की स्थापना के बाद से, उनके द्वारा निपटाए गए लंबित मामलों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या सरकार लंबित मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए और अधिक न्यायालय स्थापित करने और मौजूदा न्यायालयों में और अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का विचार रखती है ;

(घ) यदि हॉ, तो तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ड) सरकार द्वारा लंबित मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने हेतु प्रस्तावित है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(**श्री अर्जुन राम मेघवाल**)

(क) और (ख) : राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 25.07.2025 तक उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	लंबित मामलों की संख्या
1.	उच्चतम न्यायालय	86,723
2.	उच्च न्यायालय	63,29,222
3.	जिला और अधीनस्थ न्यायालय	4,66,24,074

उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 30.06.2025 तक 21 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्र में 865 त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीसी) कार्यरत हैं। राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र -वार विवरण **उपाबंध-**1 में दिया गया है । इन त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीसी) ने अब तक 76,57,175 मामलों का निपटारा किया है, जबकि वर्तमान में उनके पास 14,38,198 मामले लंबित हैं। एफटीसी द्वारा निपटाए गए मामलों का राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र -वार आँकड़ा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है ।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार अक्टूबर 2019 से विशेष पाक्सो (ई-पाक्सो) न्यायालयों सहित त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम लागू कर रही है। ये न्यायालय बलात्संग और लैंगिक अपराधों से बालकों का निवारण (पाक्सो) अधिनियम, 2012 के अधीन अपराधों से संबंधित लंबित मामलों के समयबद्ध परीक्षण और निपटान के लिए समर्पित हैं। 30.06.2025 तक, 392 विशेष पोक्सो (ई-पाक्सो) न्यायालयों सहित 725 एफटीएससी 29 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में कार्यात्मक हैं। स्कीम की शुरुआत के बाद से, इन न्यायालयों ने सामूहिक रूप से 3,34,213 का निपटारा किया है, जबकि वर्तमान में उनके पास 2,00,349 मामले लंबित हैं। राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र -वार विवरण **उपाबंध-** 2 में संलग्न हैं।

ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 को जमीनी स्तर पर, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, नागरिकों को सुलभ और त्वरित न्याय प्रदान करने और नियमित न्यायालयों पर बोझ कम करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार, राज्य सरकारें, संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद, प्रत्येक पंचायत या निकटवर्ती पंचायतों के समूह के लिए एक या एक से अधिक ग्राम न्यायालय (जीएन) स्थापित कर सकती हैं। न्याय विभाग राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को और अधिक ग्राम न्यायालयों के संचालन के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। ग्राम न्यायालय स्कीम, जो न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम की एक उप-स्कीम है, के अंतर्गत राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्र को जीएन की स्थापना और प्रभावी संचालन में सहायता के लिए धनराशि जारी की जाती है। वर्तमान में, राज्यों में 488 जीएन अधिसूचित हैं, जिनमें से 331 कार्यरत हैं। अधिसूचित और कार्यरत ग्राम न्यायालयों का राज्यवार विवरण **उपाबंध-**3 में दिया गया है।

ग्राम न्यायालय पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2020 से जून 2025 तक की अवधि के दौरान ग्राम न्यायालयों में 5,39,200 मामले दर्ज किए गए। इसी अवधि में ग्राम न्यायालयों ने 4,11,071 मामलों का निपटारा किया। 30 जून 2025 तक, ग्राम न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या 1,28,129 है।

(**ग) और (घ) :** वर्तमान में, सरकार के पास किसी भी उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए कोई पूर्ण प्रस्ताव लंबित नहीं है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के मामले में, अधिक न्यायालयों की स्थापना का विनिश्चय राज्य सरकार और संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा लिया जाता है।

संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है। इसके लिए राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन की अपेक्षा होती है । उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 224 द्वारा शासित होती हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया 6 अक्टूबर, 1993 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय (द्वितीय न्यायाधीशों का मामला) के अनुसरण में 1998 में तैयार किए गए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में निर्धारित की गई है, जिसे 28 अक्टूबर, 1998 (तृतीय न्यायाधीशों का मामला) की उनकी सलाहकार राय के साथ पढ़ा गया है । एमओपी के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव की शुरुआत भारत के मुख्य न्यायामूर्ति के पास है और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव की शुरुआत संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के पास है । केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है जिनकी सिफारिश उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) द्वारा की जाती है । मई 2014 से 25.07.2025 तक, उच्चतम न्यायालय में 70 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है और 1068 न्यायाधीशों को विभिन्न उच्च न्यायालयों में नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त, 01.07.2014 से

25.07.2025 की अवधि के दौरान, संबंधित राज्य सरकारों, संबंधित उच्च न्यायालयों और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों अर्थात् 216 पदों के लिए न्यायाधीश संख्या 906 से बढ़ाकर 1122 कर दी गई है ।

जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में अधिक न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन, राज्यों में जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित उच्च न्यायालय में निहित है। संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 के साथ अनुच्छेद 309 के उपबंध के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य सरकारें, उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति आदि के मुद्दों के संबंध में नियम और विनियम तैयार करती हैं। न्याय विभाग के एमआईएस पोर्टल के अनुसार, न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या 19,518 (वर्ष 2014 में) से बढ़कर 25.07.2025 तक 25,843 हो गई है। पिछले 5 वर्षों के दौरान जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के संबंध में राज्यवार स्वीकृत संख्या और कार्यरत संख्या का विवरण **उपाबंध-**4 में है।

(ङ) : लंबित मामलों का समयबद्ध रीति से निपटारा न्यायपालिका के विशेष अधिकार क्षेत्र में है। तथापि, केंद्रीय सरकार मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र को सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य से, सरकार ने 2011 में न्याय प्रदान करने और कानूनी सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की, जिसके दोहरे उद्देश्य हैं: प्रणाली में देरी और लंबित मामलों को कम करके पहुँच बढ़ाना और संरचनात्मक परिवर्तनों तथा प्रदर्शन मानकों और क्षमताओं को निर्धारित करके जवाबदेही बढ़ाना। यह मिशन न्यायिक प्रशासन में लंबित मामलों और लंबित मामलों के चरणबद्ध समाधान के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, कम्प्यूटरीकरण सहित न्यायालयों के लिए बेहतर बुनियादी ढाँचा, अधीनस्थ न्यायपालिका की क्षमता में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटारे के लिए अदालती प्रक्रिया का पुनर्गठन और मानव संसाधन विकास पर ज़ोर शामिल है।

ई-न्यायालय परियोजना को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के एक भाग के रूप में भारतीय न्यायपालिका के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) विकास के लिए एक एकीकृत मिशन मोड परियोजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। ई- न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण (2023 से 2027 की अवधि के लिए) को सितंबर 2023 में ₹7,210 करोड़ के परिव्यय के साथ मंज़ूरी दी गई थी। तीसरे चरण के अधीन, न्यायालय प्रबंधन प्रक्रियाओं में सुधार और वकीलों, वादियों और न्यायाधीशों सहित विभिन्न हितधारकों के लिए सेवाओं के डिजिटलीकरण हेतु कई कदम उठाए गए हैं।

****

उपाबंध- 1

'न्यायालयो में बड़ी संख्या में लंबित मामलों' के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1383 जिसका उत्तर 31.07.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

30.06.2025 **तक कार्यरत त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीसी) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण**

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कार्यरत त्वरित निपटान न्यायालय की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	21
2	अंदमान और निकोबार द्वीप	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0
4	असम	16
5	बिहार	0
6	चंडीगढ़	0
7	छत्तीसगढ	27
8	दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव	0
9	दिल्ली	26
10	गोवा	4
11	गुजरात	54
12	हरियाणा	6
13	हिमाचल प्रदेश	3
14	जम्मू - कश्मीर	8
15	झारखंड	41

16	कर्नाटक	0
17	केरल	0
18	लद्दाख	0
19	लक्षद्वीप	0
20	मध्य प्रदेश	0
21	महाराष्ट्र	102
22	मणिपुर	6
23	मेघालय	0
24	मिजोरम	2
25	नागालैंड	0
26	ओडिशा	0
27	पुदुचेरी	1
28	पंजाब	7
29	राजस्थान	0
30	सिक्किम	2

31	तमिलनाडु	72
32	तेलंगाना	0
33	त्रिपुरा	2
34	उत्तर प्रदेश	373
35	उत्तराखंड	4
36	पश्चिमी बंगाल	88
	कुल	865

उपाबंध- 2

'न्यायालयो में बड़ी संख्या में लंबित मामलों' के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1383 जिसका उत्तर 31.07.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

विशेष पाक्सो न्यायालयों सहित कार्यरत त्वरित निपटान विशेष न्यायालय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण (30.06.2025 **तक**)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	क्रियात्मक न्यायालय		स्कीम की शुरुआत से अब तक संचयी निपटान			लंबित मामले
		अनन्य पाक्सो सहित एफटीएससी	अनन्य पाक्सो	एफटीएससी	अनन्य पाक्सो	कुल	
क्रियात्मक							
1	आंध्र प्रदेश	16	16	0	7487	7487	6303
2	असम	17	17	0	8943	8943	6435
3	बिहार	46	46	0	17232	17232	18459
4	चंडीगढ़	1	0	374	0	374	214
5	छत्तीसगढ	15	11	1289	5139	6428	1739
6	दिल्ली	16	11	760	1958	2718	3560
7	गोवा	1	0	82	34	116	155
8	गुजरात	35	24	3389	13227	16616	5315
9	हरियाणा	18	14	2018	6069	8087	4420
10	हिमाचल प्रदेश	6	3	600	807	1407	643
11	जम्मू - कश्मीर	4	2	144	167	311	497
12	कर्नाटक	30	17	5377	8654	14031	5220
13	केरल	55	14	18256	7946	26202	6292
14	मध्य प्रदेश	67	56	4920	27193	32113	10713
15	महाराष्ट्र	2	1	8727	12017	20744	290
16	मणिपुर	2	0	194	0	194	49

17	मेघालय	5	5	0	733	733	1097
18	मिजोरम	3	1	199	70	269	75
19	नागालैंड	1	0	65	3	68	59
20	ओडिशा	44	23	7218	13036	20254	9065
21	पुदुचेरी	1	1	0	162	162	218
22	पंजाब	12	3	2785	2480	5265	1451
23	राजस्थान	45	30	5830	13602	19432	4892
24	तमिलनाडु	14	14	0	10199	10199	5234
25	तेलंगाना	36	0	8648	2731	11379	8782
26	त्रिपुरा	3	1	252	237	489	224
27	उत्तराखंड	4	0	1930	0	1930	1094
28	उत्तर प्रदेश	218	74	43558	47901	91459	92700
29	पश्चिमी बंगाल	8	8	0	457	457	5154
अक्रियात्मक							
30	झारखण्ड*	0	0	2777	6337	9114	0
31	अंदमान एवं निकोबार द्वीपसमूह**	0	0	0	0	0	0
32	अरुणाचल प्रदेश***	0	0	0	0	0	0
33	दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव	0	0	0	0	0	0

34	लद्दाख	0	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
36	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
	कुल	**725**	**392**	**119392**	**214821**	**334213**	**200349**

टिप्पण: स्कीम की शुरुआत में, देश भर में त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीएससी) का आवंटन प्रति न्यायालय 65 से 165 लंबित मामलों के मानदंड पर आधारित था, अर्थात प्रत्येक 65 से 165 लंबित मामलों के लिए एक त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित किया जाएगा। इसके आधार पर, केवल 31 राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र ही इस स्कीम में शामिल होने के पात्र थे।

*झारखंड राज्य ने त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीएससी) स्कीम से बाहर निकलने का फैसला किया है। तथापि, स्कीम की शुरुआत से लेकर मई 2025 तक 9,114 मामलों के संचयी निपटान को त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीएससी) स्कीम के अधीन दर्ज किए गए समग्र निपटान आंकड़ों में शामिल किया जाना जारी रहेगा।

** अंदमान और निकोबार द्वीप समूह ने इस स्कीम में शामिल होने के लिए सहमति दे दी है, लेकिन अभी तक कोई भी न्यायालय चालू नहीं हुई है।

*** अरुणाचल प्रदेश ने बलात्संग और पाक्सो अधिनियम के लंबित मामलों की बहुत कम संख्या का हवाला देते हुए इस स्कीम से बाहर होने का विकल्प चुना है।.

उपाबंध- 3

'न्यायालयो में बड़ी संख्या में लंबित मामलों' के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1383 जिसका उत्तर 31.07.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

राज्य-वार ग्राम न्यायालय (30.06.2025 तक)

क्र. सं.	राज्य	अधिसूचित ग्राम न्यायालय	क्रियाशील ग्राम न्यायालय
1.	मध्य प्रदेश	89	89
1.	राजस्थान	45	45
1.	कर्नाटक	2	2
1.	ओडिशा	31	21
1.	महाराष्ट्र	39	26
1.	झारखंड	6	4
1.	गोवा	2	2
1.	पंजाब	9	2
1.	हरियाणा	3	2
1.	उत्तर प्रदेश	113	108
1.	केरल	30	30
1.	आंध्र प्रदेश	42	0
1.	तेलंगाना	55	0
1.	जम्मू कश्मीर	20	0
1.	लद्दाख	2	0
कुल		**488**	**331**

उपाबंध- 4

'न्यायालयो में बड़ी संख्या में लंबित मामलों' के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1383 जिसका उत्तर 31.07.2025 को दिया जाना है, के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	31.12.2021 के अनुसार		31.12.2022 के अनुसार		31.12.2023 के अनुसार		31.12.2024 के अनुसार		25.07.2025 के अनुसार	
		स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या
1	आंध्र प्रदेश	607	491	607	534	618	535	623	564	639	574
2	तेलंगाना	474	425	560	410	560	445	560	445	560	445
3	अरुणाचल प्रदेश	41	32	41	33	44	34	44	33	44	39
4	असम	467	436	485	425	485	439	485	461	485	461
5	बिहार	1954	1394	2016	1349	2016	1550	2021	1517	2022	1679
6	चंडीगढ़	30	30	30	30	30	29	30	30	30	30
7	छत्तीसगढ	482	409	527	437	562	423	663	465	663	465
8	दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव	7	6	7	6	7	6	7	6	7	6
9	दिल्ली	884	692	884	681	887	798	897	803	897	788
10	गोवा	50	40	50	40	50	40	50	40	50	40
11	गुजरात	1523	1123	1582	1151	1720	1175	1720	1185	1720	1185
12	हरियाणा	772	482	772	464	772	564	781	551	781	661
13	हिमाचल प्रदेश	175	160	179	163	179	158	179	160	179	160
14	जम्मू - कश्मीर	300	241	314	223	317	223	322	279	322	272
15	लद्दाख	17	9	17	9	17	10	17	11	17	10
16	झारखंड	675	523	694	508	693	512	707	504	707	501
17	कर्नाटक	1363	1087	1365	1132	1375	1150	1375	1156	1394	1167
18	केरल	569	488	595	473	605	514	612	533	614	579
19	लक्षद्वीप	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4
20	मध्य प्रदेश	2021	1552	2021	1649	2028	1730	2028	1692	2028	1669
21	महाराष्ट्र	2190	1940	2190	1940	2190	1940	2190	1940	2190	1940
22	मणिपुर	59	42	59	42	59	49	62	49	62	49
23	मेघालय	97	49	99	51	99	57	99	57	99	57
24	मिजोरम	65	42	74	41	74	41	74	45	74	45
25	नागालैंड	34	24	34	24	34	24	34	24	34	24

26	ओडिशा	976	785	1001	767	1008	803	1041	841	1043	835
27	पुदुचेरी	26	11	28	11	29	10	38	26	38	26
28	पंजाब	692	607	797	589	797	585	804	723	811	716
29	राजस्थान	1549	1274	1587	1256	1638	1342	1641	1313	1683	1506
30	सिक्किम	28	20	30	21	35	23	35	23	35	23
31	तमिलनाडु	1316	1082	1340	1068	1371	1040	1374	1256	1375	1240
32	त्रिपुरा	122	97	128	108	128	108	133	109	133	106
33	उत्तर प्रदेश	3634	2542	3647	2474	3696	2449	3700	2704	3700	2675
34	उत्तराखंड	299	271	299	269	298	271	298	270	298	270
35	पश्चिमी बंगाल	1014	918	1014	918	1014	918	1105	863	1105	863
36	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	13	0	13	0	13	0	12	0	12
कुल		**24515**	**19340**	**25077**	**19313**	**25439**	**20011**	**25753**	**20694**	**25843**	**21122**

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1385

जिसका उत्तर गुरुवार, 31 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

फास्ट ट्रैक न्यायालय

1385 श्री राजीव शुक्ला :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख तक देश में कार्यरत फास्ट ट्रैक न्यायालयों (एफटीसी) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या तथा वर्तमान में इन न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इन न्यायालयों की स्थापना के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितनी धनराशि आवंटित और व्यय की गई है ;

(घ) क्या सरकार देश में और अधिक फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित करने का विचार रखती है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ङ) : त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीसी) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा उनकी आवश्यकता और संसाधनों के अनुसार, उनके संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से स्थापित किए जाते हैं। 14वें वित्त आयोग ने जघन्य प्रकृति के विशिष्ट मामलों, महिलाओं, बालकों, वरिष्ठ नागरिकों, विकलांगों, टर्मिनल रोग से संक्रमित व्यक्तियों आदि से संबंधित सिविल मामलों और 5 वर्षों से अधिक समय से लंबित संपत्ति संबंधी मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए 2015-2020 के दौरान 1800 त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीसी) स्थापित करने की सिफारिश की थी। वित्त आयोग ने राज्य सरकारों से इस उद्देश्य के लिए कर हस्तांतरण के माध्यम से उपलब्ध बढ़ी हुई राजकोषीय जगह का उपयोग करने का आग्रह किया था। केंद्रीय सरकार ने राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों से वित्तीय वर्ष 2015-16 से एफटीसी की स्थापना के लिए निधि आवंटित करने का अनुरोध किया है। उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 30.06.2025 तक देश भर में 865 एफटीसी कार्यरत हैं। वर्ष 2023, 2024 और 2025 (जून तक) के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या और 30.06.2025 तक लंबित मामलों के साथ-साथ कार्यात्मक त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीसी) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **उपाबंध-1** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, आपराधिक विधिक (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अधिनियमन के अनुसरण में और माननीय उच्चतम न्यायालय के स्वप्रेरणा रिट (आपराधिक) संख्या 1/2019 के निर्देशों के अनुपालन में, केंद्रीय सरकार अक्टूबर 2019 से विशेष पाक्सो (ई-पाक्सो) न्यायालयों सहित त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम लागू कर रही है। ये न्यायालय बलात्संग और लैंगिक अपराधों से बालकों का निवारण (पाक्सो) अधिनियम, 2012 के अधीन अपराधों से संबंधित लंबित मामलों के समयबद्ध परीक्षण और निपटान के लिए समर्पित हैं। 30.06.2025 तक, 392 विशेष पोक्सो (ई-पाक्सो) न्यायालयों सहित 725 एफटीएससी 29 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में कार्यात्मक हैं, जिन्होंने स्कीम की शुरुआत के बाद से 3,34,213 मामलों का निपटारा किया है। वर्ष 2023, 2024 और 2025 (जून तक) के दौरान निपटाए गए

मामलों की संख्या और 30.06.2025 तक लंबित मामलों के साथ-साथ कार्यात्मक त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **उपाबंध-2** में दिया गया है।

इस स्कीम को दो बार बढ़ाया जा चुका है, जिसमें नवीनतम विस्तार 31 मार्च 2026 तक है, जिसके अंतर्गत 790 न्यायालयों की स्थापना की जाएगी। इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय परिव्यय ₹1952.23 करोड़ है, जिसमें ₹1207.24 करोड़ केंद्रीय अंश के रूप में सीएसएस पैटर्न पर निर्भया कोष से खर्च किए जाएंगे।

केंद्रीय सरकार ने इसकी शुरुआत से अब तक राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को ₹1034.55 करोड़ की राशि जारी की है। यह धनराशि सीएसएस पैटर्न (केंद्रीय अंश: राज्य अंश:: 60:40, 90:10) पर जारी की जाती है, जिससे प्रति न्यायालय 1 न्यायिक अधिकारी और 7 सहायक कर्मचारियों के वेतन और न्यायालय के दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए एक लचीला अनुदान दिया जाता है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25) में प्रत्येक वर्ष ₹200 करोड़ का आवंटन किया गया और पूरी राशि राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को जारी कर दी गई। चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹200 करोड़ का आवंटन किया गया है; तथापि, चालू वित्त वर्ष के दौरान अभी तक कोई निधि जारी नहीं की गई है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान जारी की गई धनराशि में केंद्र के हिस्से का राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण **उपाबंध -3** में दिया गया है।

****

उपाबंध –1

30.06.2025 तक कार्यरत त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीसी) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	30.06.2025 तक कार्यरत एफटीसी	2023 में कुल निपटान	2024 में कुल निपटान	2025 में कुल निपटान(जून तक)	30.06.2025 तक लंबित मामलों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	21	2385	4601	1290	6915
2	अंदमान और निकोबार द्वीप	0	0	0	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
4	असम	16	8265	7385	3107	13713
5	बिहार	0	0	0	0	0
6	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ	27	3788	4635	2516	5816
8	दादर और नागर हवेली और दमण और दीव	0	0	0	0	0
9	दिल्ली	26	1688	3276	1809	6625
10	गोवा	4	7722	901	1009	1349
11	गुजरात	54	4787	5625	2165	5316
12	हरियाणा	6	474	358	187	774
13	हिमाचल प्रदेश	3	160	212	69	332
14	जम्मू - कश्मीर	8	83	106	81	1423
15	झारखंड	41	2107	2531	1227	9110

16	कर्नाटक	0	0	0	0	0
17	केरल	0	0	0	0	0
18	लद्दाख	0	0	0	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0
21	महाराष्ट्र	102	164182	133818	157048	153896
22	मणिपुर	6	155	89	42	199
23	मेघालय	0	0	0	0	0
24	मिजोरम	2	320	393	162	259
25	नागालैंड	0	0	0	0	0
26	ओडिशा	0	0	0	0	0
27	पुदुचेरी	1	0	2	351	4458
28	पंजाब	7	291	247	75	152
29	राजस्थान	0	0	0	0	0
30	सिक्किम	2	10	14	2	17
31	तमिलनाडु	72	25295	34767	11759	80244

32	तेलंगाना	0	0	0	0	0
33	त्रिपुरा	2	242	224	113	1049
34	उत्तर प्रदेश	373	1200766	953274	500611	1057849
35	उत्तराखंड	4	386	485	177	1103
36	पश्चिमी बंगाल	88	98087	21942	12403	87599
	कुल	**865**	**1521193**	**1174885**	**696203**	**1438198**

उपाबंध – 2

30.06.2025 तक कार्यरत त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	30.06.2025 तक कार्यरत एफटीसी	2023 में कुल निपटान	2024 में कुल निपटान	2025 में कुल निपटान (जून तक)	30.06.2025 तक लंबित मामलों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	16	2368	2138	1266	6303
2	असम	17	2300	2685	1279	6435
3	बिहार	46	4464	4556	2737	18459
4	चंडीगढ़	1	128	73	57	214
5	छत्तीसगढ	15	1450	1365	686	1739
6	दिल्ली	16	756	833	382	3560
7	गोवा	1	23	51	21	155
8	गुजरात	35	4275	4228	2093	5315
9	हरियाणा	18	2094	1911	834	4420
10	हिमाचल प्रदेश	6	299	432	127	643
11	जम्मू - कश्मीर	4	41	112	48	497
12	झारखण्ड*	0	2189	2313	979	0
13	कर्नाटक	30	3713	3553	1581	5220
14	केरल	55	7044	6324	3000	6292
15	मध्य प्रदेश	67	8130	6152	2348	10713

16	महाराष्ट्र	2	6811	3716	121	290
17	मणिपुर	2	48	45	22	49
18	मेघालय	5	135	265	86	1097
19	मिजोरम	3	60	73	27	75
20	नागालैंड	1	6	11	0	59
21	ओडिशा	44	5153	5747	2547	9065
22	पुदुचेरी	1	44	78	40	218
23	पंजाब	12	1502	1127	573	1451
24	राजस्थान	45	4213	4288	2141	4892
25	तमिलनाडु	14	1861	2670	1301	5234
26	तेलंगाना	36	1720	2499	1081	8782
27	त्रिपुरा	3	163	89	51	224
28	उत्तराखंड	4	383	437	138	1094
29	उत्तर प्रदेश	218	14898	27640	8798	92700
30	पश्चिमी बंगाल	8	48	184	225	5154
31	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह**	0	0	0	0	0

32	अरुणाचल प्रदेश***	0	0	0	0	0
	कुल	**725**	**76319**	**85595**	**34589**	**200349**

टिप्पण: स्कीम की शुरुआत में, देश भर में त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीएससी) का आवंटन प्रति न्यायालय 65 से 165 लंबित मामलों के मानदंड पर आधारित था, अर्थात प्रत्येक 65 से 165 लंबित मामलों के लिए एक त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित किया जाएगा।

इसके आधार पर, केवल 31 राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र ही इस स्कीम में शामिल होने के पात्र थे।

* झारखंड राज्य ने तारीख 07.07.2025 के पत्र के माध्यम से एफटीएससी स्कीम से बाहर निकलने का विनिश्चय किया है।

** अंदमान और निकोबार द्वीप समूह ने इस स्कीम में शामिल होने के लिए सहमति दे दी है, लेकिन अभी तक कोई भी न्यायालय चालू नहीं हुई है।

*** अरुणाचल प्रदेश ने बलात्संग और पाक्सो अधिनियम के लंबित मामलों की बहुत कम संख्या का हवाला देते हुए इस स्कीम से बाहर होने का विकल्प चुना है।.

उपाबंध – 3

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान जारी की गई निधि में केंद्रीय हिस्से का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2022-23 में जारी की गई राशि	2023-24 में जारी की गई राशि	2024-25 में जारी की गई राशि
1	आंध्र प्रदेश	0	0	0
2	असम	6.7325	5.528655	10.975085
3	बिहार	11.895	9.874035	11.35878
4	चंडीगढ़	0	0	0
5	छत्तीसगढ	3.93	3.25215	3.70395
6	दिल्ली	4.2225	3.46896	1.97544
7	गोवा	0.47255	0.21681	0.49386
8	गुजरात	9.26	7.58835	8.64255
9	हरियाणा	4.2225	3.46896	7.90176
10	हिमाचल प्रदेश	2.375	1.95129	2.22237
11	जम्मू - कश्मीर	1.58	2.32086	1.48158
12	झारखण्ड*	5.825	4.76982	0
13	कर्नाटक	7.3925	7.45091	7.65483
14	केरल	7.405	25.39836	13.58115
15	मध्य प्रदेश	17.72	15.37627	16.54431

16	महाराष्ट्र	8.72	6.59259	1.23465
17	मणिपुर	0.785	0.65043	0.74079
18	मेघालय	1.977	1.626075	1.851975
19	मिजोरम	1.18	0.975645	1.111185
20	नागालैंड	0.3875	0.325215	0.370395
21	ओडिशा	11.64	9.52128	10.86492
22	पुदुचेरी	0	0.195975	0.24693
23	पंजाब	4.312	3.95972	5.92632
24	राजस्थान	11.895	21.1383	22.2237
25	तमिलनाडु	6.6225	6.496035	6.91404
26	तेलंगाना	8.9875	7.60671	4.44474
27	त्रिपुरा	1.1725	0.975645	1.111185
28	उत्तराखंड	1.53	1.30086	1.48158
29	उत्तर प्रदेश	57.68	47.26458	53.83074
30	पश्चिमी बंगाल	0	0.70551	1.111185

31	अंदमान एवं निकोबार द्वीपसमूह**	0	0	0
32	अरुणाचल प्रदेश***	0	0	0
	कुल	**199.92155**	**200.00**	**200.00**
	तृतीय पक्ष मूल्यांकन लागत	**0.07788**		
	कुल योग	**200.00**	**200.00**	**200.00**

टिप्पण: चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अभी तक कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।

* झारखंड राज्य ने तारीख 07.07.2025 के पत्र के माध्यम से एफटीएससी स्कीम से बाहर निकलने का विनिश्चय किया है।

** अंदमान और निकोबार द्वीप समूह ने इस स्कीम में शामिल होने के लिए सहमति दे दी है, लेकिन अभी तक कोई भी न्यायालय चालू नहीं हुई है।

*** अरुणाचल प्रदेश ने बलात्संग और पाक्सो अधिनियम के लंबित मामलों की बहुत कम संख्या का हवाला देते हुए इस स्कीम से बाहर निकलने का विकल्प चुना है।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1386

जिसका उत्तर गुरुवार, 31 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

उच्च न्यायालय में नियुक्तियों के लिए सिफारिशें स्वीकार करने में विलंब

1386 श्री देरेक ओब्राईन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के लिए की गई कितनी सिफारिशें सरकार के समक्ष लंबित हैं और उनके प्राप्त होने की तिथि क्या हैं;

(ख) विगत पांच वर्षों में न्यायिक पदोन्नति के लिए उम्मीदवारों द्वारा अपनी सहमति वापस लेने के मामलों की संख्या कितनी है और कॉलेजियम द्वारा उनके नाम कब भेजे गए थे और उन्होंने अपनी सहमति कब वापस ली; और

(ग) कॉलेजियम द्वारा भेजे गए नामों के एक ही समूह से कुछ सिफारिशों को मंजूरी देने में अत्यधिक विलंब और निष्क्रियता के क्या कारण हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : 28.07.2025 तक, विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों 1122 के सापेक्ष 760 न्यायाधीश कार्यरत हैं और 362 पद रिक्त हैं । इन रिक्तियों के सापेक्ष, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के 158 प्रस्ताव सरकार और उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के बीच प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं । 204 रिक्तियों के सापेक्ष उच्च न्यायालय कॉलेजियम से सिफारिशें अभी प्राप्त होनी बाकी हैं । 01.01.2020 से 18.07.2025 तक, उच्चतम न्यायालय में 35 न्यायाधीश और विभिन्न उच्च न्यायालयों में 554 न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं । इसके अतिरिक्त, इसी अवधि के दौरान उच्च न्यायालयों को 349 नाम भेजे गए हैं ।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन और के उच्चतम न्यायालय की 28 अक्तूबर, 1998 की सलाहकार राय (तीसरा न्यायाधीश के मामला) के साथ पठित 6 अक्तूबर, 1993 के उसके निर्णय (दूसरा न्यायाधीश के मामला) के अनुसरण में 1998 में तैयार किए गए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है । एमओपी के अनुसार, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्तावों को शुरू करने की जिम्मेदारी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की है, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्तावों को शुरू करने की जिम्मेदारी उच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की है । एमओपी के अनुसार, उच्च न्यायालयों को रिक्तियां होने से कम से कम 06 महीने पहले सिफारिशें करने की आवश्यकता होती है । उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के लिए, संबंधित राज्य सरकारों के विचार एमओपी के अनुसार प्राप्त किए जाते हैं । इन सिफारिशों पर विचाराधीन नामों के संबंध में सरकार को उपलब्ध अन्य रिपोर्टों के आलोक में भी विचार किया जाना होता है । उच्च न्यायालय कॉलेजियम, राज्य सरकारों और भारत सरकार की सिफारिशें सलाह के लिए उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) को भेजी जाती हैं । केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है जिनके नामों की सिफारिश एससीसी द्वारा की गई हो ।

उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है । इसके लिए राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन आवश्यक है ।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1388

जिसका उत्तर गुरुवार, 31 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

न्याय बंधु विधिक सहायता कार्यक्रम

1388 **श्री सुजीत कुमार :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूरदराज के क्षेत्रों में न्याय बंधु कार्यक्रम की पहुंच और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए हाल ही में कोई उपाय किए हैं ;

(ख) क्या सरकार ने महिलाओं, विशेषकर घरेलू हिंसा, संपत्ति विवाद या कार्यस्थल पर उत्पीड़न का सामना कर रही महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए न्याय बंधु के अंतर्गत कोई विशेष पहल की हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या 'टेली-लॉ' जैसी अन्य विधिक सहायता पहलों के साथ इसका कोई एकीकरण किया गया है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(**श्री अर्जुन राम मेघवाल**)

(**क**) **से** (**ग**) : न्याय बंधु (प्रो बोनो लीगल सर्विस), "न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना" (दिशा) स्कीम के अधीन कार्यक्रमों में से एक है, जिसे न्याय विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है । न्याय बंधु कार्यक्रम इच्छुक प्रो बोनो अधिवक्ताओं को रजिस्ट्रीकृत करता है और उन्हें न्याय बंधु एप्लिकेशन (आईओएस/एंड्रॉइड/उमंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध) के माध्यम से लाभार्थियों (जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन मुफ्त विधिक सहायता के हकदार हैं) से जोड़ता है । वर्तमान में, 9261 अधिवक्ता हैं जिन्होंने स्वेच्छा से न्याय बंधु मंच पर रजिस्ट्रीकरण कराया है । लाभार्थी को प्रो बोनो विधिक सेवाएं प्रदान करने हेतु संस्थागत तंत्र को मजबूत करने के लिए 23 उच्च न्यायालयों में प्रो बोनो अधिवक्ताओं का एक पैनल भी गठित किया गया है । इसके अतिरिक्त, विधि के छात्रों में प्रो बोनो कार्य की भावना जगाने और विधिक सेवा के लिए दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का पोषण करने के लिए, देश के 109 लॉ कॉलेजों में प्रो बोनो क्लब का गठन किया गया है ।

दूरदराज के क्षेत्रों में न्याय बंधु कार्यक्रम की पहुंच और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए, विधि विद्यालयों में प्रो बोनो क्लब (पीबीसी) गांवों में लाभार्थियों को सामुदायिक देखरेख विधिक सहायता और विधिक जागरूकता प्रदान करने में लगे हुए हैं, जिससे राष्ट्रव्यापी स्तर पर निरंतर प्रो बोनो भागीदारी हो सके ।

न्याय बंधु (प्रो-बोनो लीगल सर्विसेज) की पहुंच को व्यापक बनाने के लिए, न्याय बंधु पर एक समर्पित पोर्टल (https://www.probono-doj.in/) देश की 22 अनुसूचित भाषाओं में नागरिकों के लिए उपलब्ध है । न्याय बंधु पर सुसंगत सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री तक पहुंच प्रदान की गई है, जिसमें माननीय विधि और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का संदेश, नागरिकों और अधिवक्ताओं दोनों के लिए न्याय बंधु आवेदन पर रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया से संबंधित प्रिंट और डिजिटल सामग्री, दूरदर्शन पर एल-बैंड और एस्टन बैंड के माध्यम से सूचना का प्रसारण, प्रो बोनो अधिवक्ताओं की आवाज, न्याय बंधु पर लघु फिल्म और जिला न्यायालयों में न्याय बंधु पैम्फलेट का प्रसार और देश में पहुंच बढ़ाने के लिए पेट्रोल पंपों, सुविधा केंद्रों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग्स का प्रदर्शन शामिल है ।

30 जून, 2025 तक लगभग 14888 महिला लाभार्थियों ने न्याय बंधु ऐप के अधीन रजिस्ट्रीकरण कराया है, जो महिला और बाल सुरक्षा, पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, घरेलू हिंसा, संपत्ति विवाद, कार्यस्थल पर उत्पीड़न आदि सहित सिविल और आपराधिक विधियों से संबंधित विधिक सहायता चाहती हैं ।

न्याय बंधु ऐप को दिशा स्कीम के अधीन टेली-लॉ (मुकदमेबाजी-पूर्व सलाह) सेवाओं के साथ एकीकृत किया गया है । टेली-लॉ ऐप के माध्यम से, लाभार्थी न्याय बंधु के निःशुल्क अधिवक्ता से आगे की विधिक सलाह और सहायता प्राप्त करने के लिए पैनल वकील से परामर्श कर सकते हैं । टेली-लॉ के अधीन मुकदमेबाजी-पूर्व सलाह देने में लगे ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) और पैनल वकीलों के सहयोग से, सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) और हेल्पलाइन टोल-फ्री नंबर 14454 के माध्यम से नागरिकों को उनकी क्षेत्रीय भाषा में न्याय बंधु के बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है । इस निर्बाध एकीकरण का उद्देश्य देश भर के जरूरतमंद लाभार्थियों को विधिक सलाह और सहायता प्रदान करने हेतु एक तंत्र तैयार करना है ।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1389

जिसका उत्तर गुरुवार, 31 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

उच्च न्यायपालिका में हाशिये पर मौजूद वर्गों का प्रतिनिधित्व

1389 श्री मस्तान राव यादव बीडा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्च न्यायपालिका में रिक्तियों को भरने और अन्य पिछडे वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और हाशिये पर मौजूद समाज के अन्य वर्गों को उच्च न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व देने के लिए भारतीय न्यायिक सेवा को अखिल भारतीय सेवा के रूप में शुरू करने की योजना बनाई है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा और स्थिति क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उच्च न्यायपालिका में अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और हाशिये पर मौजूद समाज के अन्य वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : संविधान का अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) की स्थापना के लिए उपबंध करता है, जिसमें जिला न्यायाधीश के पद से अवर कोई पद सम्मिलित नहीं होगा।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) के गठन के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव बनाया गया था और उसे नवम्बर, 2012 में सचिवों की समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था । अप्रैल, 2013 में आयोजित मुख्य मंत्रियों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में इस प्रस्ताव को कार्यसूची मद के रुप में सम्मिलित किया गया था और यह विनिश्चय किया गया था कि इस मुद्दे पर और विचार-विमर्श तथा ध्यान देने की आवश्यकता है । इस प्रस्ताव पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों से विचार मांगे गए थे । अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के बीच मत भिन्नता थी। जिला न्यायाधीशों के पद पर भर्ती और सभी स्तरों पर न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के चयन प्रक्रिया के पुनर्विलोकन में सहायता करने के लिए न्यायिक सेवा आयोग के सृजन से संबंधित विषय मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन की कार्यसूची में भी सम्मिलित किया गया था, जो 3 और 4 अप्रैल, 2015 को आयोजित किया गया था, जिसमें यह संकल्प किया गया था कि यह संबंधित उच्च न्यायालयों के लिए खुला छोड़ दिया जाए जिससे कि वे जिला न्यायाधीशों की शीघ्रतापूर्वक नियुक्ति के लिए रिक्तियों को भरने हेतु विद्यमान प्रणाली के भीतर समुचित पदधतियां विकसित कर सकें । अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के लिए प्रस्ताव के साथ राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों से प्राप्त विचारों को 5 अप्रैल, 2015 को आयोजित मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के संयुक्त सम्मेलन के लिए कार्यसूची में भी सम्मिलित किया गया था । तथापि, इस विषय में कोई प्रगति नहीं हुई ।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना के प्रस्ताव पर, 16 जनवरी, 2017 को विधि और न्याय राज्य मंत्री, भारत के महान्यायवादी, भारत के महासॉलिसिटर, न्याय विभाग, विधि कार्य विभाग तथा विधायी विभाग के सचिवों की उपस्थिति में विधि और न्याय मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में पात्रता, आयु, चयन मानदण्ड, अर्हता, आरक्षण आदि के बिन्दुओं पर पुन: चर्चा की गई थी। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा पर मार्च, 2017 में संसदीय परामर्श समिति और तारीख 22.02.2021 को अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण से संबंधित संसदीय समिति की बैठक में भी विचार-विमर्श किया गया था ।

30 अप्रैल, 2022 को आयोजित मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के संयुक्त सम्मेलन की कार्यसूची में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के मुद्दे को सम्मिलित करने का प्रस्ताव रखा गया था। तथापि, इसे सम्मेलन की कार्यसूची में सम्मिलित नहीं किया जा सका। प्रमुख पणधारियों के बीच विद्यमान मत भिन्नता को दृष्टिगत रखते हुए, वर्तमान में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना के प्रस्ताव पर कोई आम सहमति नहीं है।

(ग) : उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 तथा अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है, जो किसी जाति या व्यक्तियों के वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करता है | तथापि, सरकार सामाजिक विविधता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और 2018 से उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पद के लिए सिफारिश किए गए व्यक्तियों के लिए विहित रुपविधान (उच्चतम न्यायालय के परामर्श से तैयार किया गया) में उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित ब्यौरे का उपबंध करना अपेक्षित है । सिफारिश किए गए व्यक्तियों द्वारा उपबंधित सूचना के आधार पर, 2018 से 21.07.2025 तक 743 उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई, जिनमें से 23 अनुसूचित जाति प्रवर्ग से संबंधित हैं, 17 अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग से संबंधित हैं, 93 अन्य पिछड़ा वर्गों के प्रवर्ग से संबंधित है । 21.07.2025 तक, उच्चतम न्यायालय में एक महिला न्यायाधीश कार्यरत हैं और विभिन्न उच्च न्यायालयों में 105 महिला न्यायाधीश कार्यरत है |

प्रक्रिया के ज्ञापन (एमओपी) के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों के आरंभ का उत्तरदायित्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित है, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों के आरंभ का उत्तरदायित्व संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित है ।तथापि, सरकार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से अनुरोध कर रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्तावों को भेजने के दौरान, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं से संबंधित उपयुक्त अभ्यर्थियों पर सम्यक रुप से ध्यान दिया जाए । केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है जिनकी सिफारिश उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा की जाती है ।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1390

जिसका उत्तर गुरुवार, 31 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियां

1390 **श्री विवेक के. तन्खा** :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर के उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों के संस्वीकृत, कार्यरत न्यायाधीशों और रिक्त पदों की वर्तमान राज्य-वार संख्या कितनी है ;

(ख) न्यायपालिका और जनता द्वारा बार-बार व्यक्त की गई चिंताओं के बावजूद न्यायपालिका में रिक्तियों की संख्या निरंतर उच्च बने रहने के क्या कारण हैं ;

(ग) इन रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(घ) क्या न्यायिक नियुक्तियों के लिए कोई समयबद्ध तंत्र प्रस्तावित किया गया है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(**श्री अर्जुन राम मेघवाल**)

(क) : देश भर के उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों के संबंध में जानकारी क्रमशः, **उपाबंध–1** और **उपाबंध–2** में दी गई है ।

(ख) से (घ) : संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है । इसके लिए राज्य और केंद्रीय दोनों स्तरों पर विभिन्न सांवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित है ।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 द्वारा प्रशासित होती है । प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्तावों को प्रारंभ करने का उत्तरदायित्व संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का है ।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रिक्त पद को भरने के प्रस्ताव को रिक्ति होने से छह मास पहले आरंभ करना अपेक्षित है । उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित सभी नाम, सरकार के विचारों के साथ उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) को परामर्श के लिए भेजे जाते हैं । उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में केवल उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है, जिनकी सिफारिश उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा की जाती है । मई 2014 से तारीख 25.07.2025 तक, 1068 न्यायाधीशों की विभिन्न उच्च न्यायालयों में नियुक्ति की जा चुकी है ।

इसके अतिरिक्त, जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने का उत्तरदायित्व संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों का है । संवैधानिक ढाँचे के अनुसार, संबंधित राज्य सरकारें, संविधान के अनुच्छेद 233 और

अनुच्छेद 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से, न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति और भर्ती से संबंधित नियम और विनियम बनाती हैं । माननीय उच्चतम न्यायालय ने जनवरी 2007 में मलिक मज़हर सुल्तान मामले में पारित आदेश द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, कुछ समय-सीमाएँ अवधारित की हैं, जिनका जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती के लिए राज्यों और संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा अनुपालन किया जाना है ।

****

उपाबंध -1

तारीख 25.07.2025 तक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत पदसंख्या, कार्यरत पदसंख्या और रिक्तियां

क्र. सं.	उच्च न्यायालय	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या	रिक्तियां
1	इलाहाबाद	160	80	80
2	आंध्र प्रदेश	37	28	9
3	बंबई	94	67	27
4	कलकत्ता	72	48	24
5	छत्तीसगढ	22	16	6
6	दिल्ली	60	43	17
7	गुवाहाटी	30	21	9
8	गुजरात	52	39	13
9	हिमाचल प्रदेश	17	11	6
10	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	25	15	10
11	झारखंड	25	15	10
12	कर्नाटक	62	47	15
13	केरल	47	43	4
14	मध्य प्रदेश	53	33	20
15	मद्रास	75	57	18
16	मणिपुर	5	3	2

17	मेघालय	4	4	0
18	उड़ीसा	33	20	13
19	पटना	53	36	17
20	पंजाब और हरियाणा	85	49	36
21	राजस्थान	50	43	7
22	सिक्किम	3	3	0
23	तेलंगाना	42	26	16
24	त्रिपुरा	5	4	1
25	उत्तराखंड	11	9	2
	कुल	**1122**	**760**	**362**

<u>उपाबंध - 2</u>

तारीख 23.07.2025 तक जिला न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पद

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या	रिक्तियां
1.	आंध्र प्रदेश	639	574	65
1.	अरुणाचल प्रदेश	44	39	5
1.	असम	485	461	24
1.	बिहार	2022	1679	343
1.	चंडीगढ़	30	30	0
1.	छत्तीसगढ	663	465	198
1.	दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव	7	6	1
1.	दिल्ली	897	788	109
1.	गोवा	50	40	10
1.	गुजरात	1720	1185	535
1.	हरियाणा	781	661	120
1.	हिमाचल प्रदेश	179	160	19
1.	जम्मू-कश्मीर	322	272	50
1.	झारखंड	707	501	206
1.	कर्नाटक	1394	1167	227
1.	केरल	614	579	35

1.	लद्दाख	17	10	7
1.	लक्षद्वीप	4	4	0
1.	मध्य प्रदेश	2028	1669	359
1.	महाराष्ट्र	2190	1940	250
1.	मणिपुर	62	49	13
1.	मेघालय	99	57	42
1.	मिजोरम	74	45	29
1.	नागालैंड	34	24	10
1.	ओडिशा	1043	835	208
1.	पुडुचेरी	38	26	12
1.	पंजाब	811	716	95
1.	राजस्थान	1683	1506	177
1.	सिक्किम	35	23	12
1.	तमिलनाडु	1375	1240	135
1.	तेलंगाना	560	445	115
1.	त्रिपुरा	133	106	27
1.	उत्तर प्रदेश	3700	2675	1025

1.	उत्तराखंड	298	270	28
1.	पश्चिमी बंगाल			
		1105	875	230
1.	अंदमान और निकोबार			
	कुल	**25,843**	**21,122**	**4,721**

स्रोत : न्याय विभाग का एमआईएस पोर्टल ।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1392

जिसका उत्तर गुरुवार, 31 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचारों की रोकथाम हेतु उपाय

1392 #**श्री रामेश्वर तेली :**

श्री रायगा कृष्णैया :

डा. दिनेश शर्मा :

श्री बृज लाल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए स्थापित विशिष्ट विशेष न्यायालयों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की है ;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों से संबंधित मामलों में लंबित मामलों की संख्या को कम करने तथा न्यायालयों में आरोप पत्र दाखिल करने की दर में सुधार हेतु कोई कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(**श्री अर्जुन राम मेघवाल**)

(क) से (ग) : सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए एक केंद्र प्रायोजित स्कीम चलाता है, जिसके अधीन सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है । स्कीम के अधीन मुख्य रूप से केंद्रीय सहायता अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां संरक्षण सेल और विशेष पुलिस स्टेशनों के कामकाज और सुदृढ़ीकरण, विशेष न्यायालयों की स्थापना और कामकाज, अत्याचार पीड़ितों को राहत और पुनर्वास, अंतरजातीय विवाह जहां पति या पत्नी में से एक अनुसूचित जाति का सदस्य है और जागरूकता बढ़ने लिए जारी की जाती है । वित्तीय वर्ष **(FY)** 2022-23 से 2024-25 तक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की गई केंद्रीय सहायता के ब्यौरे निम्नानुसार हैं -

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष (FY)	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)
1. 1.	2022-23	391.45
1. 2.	2023-24	533.48
1. 3.	2024-25	439.20

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14, जो 2015 में संशोधन के पश्चात् यह निर्दिष्ट करती है कि शीघ्र सुनवाई के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से एक या अधिक जिलों के लिए एक अनन्य विशेष न्यायालय की स्थापना करेगी, परंतु ऐसे जिले जहां इस अधिनियम के अधीन कम संख्या में मामले दर्ज किए जाते हैं, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करेगी।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अनुसूचित जातिया /अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन रजिस्ट्रकृत अपराधों से निपटने के लिए देश भर में 211 विशिष्ट विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं।

केंद्रीय स्तर पर, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां(अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन की प्रास्थिति की पुनर्विलोकन हेतु माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। समिति द्वारा अब तक 28 बैठकें आयोजित की जा चुकी है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) एक सलाहकार और मॉनीटरी भूमिका निभाता है। यह राज्य और ज़िला स्तर पर पुनर्विलोकन बैठकें और सुनवाई आयोजित करता है, जिसके माध्यम से यह संबंधित अधिकारियों को अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन अत्याचारों से संबंधित मामलों में अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करने के निदेश जारी करता है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अधीन 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। विधि-व्यवस्था बनाए रखने और अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) सहित नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा का उत्तरदायित्व से संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का है । तथापि, भारत सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों से प्रभावी रुप से निपटने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रयासों का समर्थन और अनुपूरण करती है।

गृह मंत्रालय समय-समय पर राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श जारी करता रहा है, जिसमें दांडिक न्याय प्रणाली के प्रभावपूर्ण प्रशासन, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम और नियंत्रण, और अत्याचार निवारण अधिनियम और उसके नियमों के सख्त कार्यान्वयन के केन्द्रीकरण का आग्रह किया गया है। तारीख 2/7/2024 के अपने परामर्श के माध्यम से, मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सलाह दी है:

i. प्रशासन और पुलिस को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों का पता लगाने और जांच करने में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपराधों की रिपोर्टिंग ;
ii. प्रवर्तन एजेंसियों को स्पष्ट शब्दों में निदेश दिया जाना चाहिए कि कमजोर और असुरक्षित वर्गों के अधिकारों के प्रवर्तन का महत्व कम नहीं होना चाहिए ;
iii. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियांके विरुद्ध अपराधों के मामलों में एफआईआर दर्ज करने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए;
iv. अत्याचार निवारण अधिनियम के उपबंधों को अक्षरश: लागू किया जाना चाहिए; पुलिस अधिकारियों को निदेश दिया जाना चाहिए कि वे उपर्युक्त अधिनियमों के अधीन पीड़ितों के बयानों के अनुसार विधि की उपयुक्त धाराओं को लागू करें और किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जानी चाहिए जिससे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध अपराध करने वालों को मदद मिल सके;
v. समाज के कमजोर, उत्पीड़ित और वंचित वर्गों के खिलाफ अपराध की घटनाओं से तुरंत निपटने के लिए प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए; सरकार को सामान्य रूप से प्रशासन के भीतर और विशेष रूप से पुलिस कर्मियों के बीच अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियांके विरुद्ध अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ठोस उपाय करने चाहिए और न केवल ऐसे अपराधों से निपटने के लिए उपाय करना चाहिए बल्कि उनसे संवेदनशीलता के साथ निपटना चाहिए;

ऐसी सभी सलाहें वेबसाइट लिंक www.mha.gov.in -> गृह मंत्रालय के प्रभाग -> महिला सुरक्षा प्रभाग -> महिला सुरक्षा II अनुभाग -> अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध अपराध पर उपलब्ध हैं।

इसके अतिरिक्त, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) समय-समय पर पुलिस कर्मियों के लिए प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम और वेबिनार आयोजित करता है, ताकि उन्हें अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां(अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संवेदनशील बनाया जा सके।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. *204

जिसका उत्तर गुरुवार, 07 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

उच्च न्यायालयों में प्रांतीय न्यायिक सेवा अधिकारी

***204 श्री संजय सिंह :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार और उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए तैयार प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में प्रांतीय न्यायिक सेवा के अधिकारियों के चयन और नियुक्ति के लिए कोई प्रक्रिया और मानक विहित हैं ; और

(ख) राज्य न्यायिक सेवाओं में भर्ती विभिन्न स्रोतों से होती है, ऐसे में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति के लिए विभिन्न स्रोतों के माध्यम से नियुक्त न्यायिक अधिकारियों की सिफारिश करते समय उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(**श्री अर्जुन राम मेघवाल**)

(क) और (ख) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

उच्च न्यायालयों में प्रांतीय न्यायिक सेवा अधिकारियों के संबंध में श्री संजय सिंह द्वारा पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *204 जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2025 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

(क) और (ख) : उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन और उच्चतम न्यायालय की 28 अक्तूबर, 1998 की सलाहकार राय (तीसरा न्यायाधीश के मामला) के साथ पठित 6 अक्तूबर, 1993 के उसके निर्णय (दूसरा न्यायाधीश के मामला) के अनुसरण में 1998 में तैयार किए गए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है । अनुच्छेद 217(2) में उपबंध है कि "कोई व्यक्ति, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह भारत का नागरिक है और -

(क) भारत के राज्यक्षेत्र में कम से कम दस वर्षों तक न्यायिक पद धारण कर चुका है; या

(ख) किसी उच्च न्यायालय का या दो या अधिक ऐसे न्यायालयों का लगातार कम से कम दस वर्षों तक अधिवक्ता रहा है"।

उच्चतम न्यायालय ने तारीख 06.10.1993 को सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड बनाम भारत संघ (दूसरा न्यायाधीश मामला) में अपने निर्णय में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह टिप्पणी की थी कि न्यायिक चयन के लिए योग्यता चयन प्रमुख तरीका है और चयनित किए जाने वाले अभ्यर्थियों में उच्च निष्ठा, ईमानदारी, कौशल, उच्च कोटि की भावनात्मक स्थिरता, दृढ़ता, शांति, विधिक सुदृढ़ता, योग्यता और सहनशीलता होनी चाहिए।

1999 में मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में पारित प्रस्ताव और 2001 की डब्ल्यूपी (सी) संख्या 410 में उच्चतम न्यायालय के 29 अप्रैल, 2002 आदेश, के अनुसरण में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में 66⅔% रिक्तियां बार के सदस्यों से और 33⅓% रिक्तियां न्यायिक सेवा से भरी जाती हैं। सभी उच्च न्यायालयों द्वारा इस दिशानिर्देश का पालन किया जा रहा है।

एमओपी के अनुसार, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्तावों को प्रारंभ करने की ज़िम्मेदारी संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की होती है, जो उच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम अवर न्यायाधीशों के परामर्श से ऐसा करते हैं। न्यायिक सेवा के अधिकारियों की सिफारिश करते समय, उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा अधिकारियों की वरिष्ठता पर विचार किया जाता है, जो उनकी योग्यता और ईमानदारी के आधार पर उपयुक्तता के अधीन होती है। उच्च न्यायालय कॉलेजियम, अन्य बातों के साथ-साथ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में उनकी नियुक्ति की सिफारिश करने से पहले वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट, सतर्कता स्थिति, निपटान रिकॉर्ड, निर्णय मूल्यांकन समिति द्वारा उनके निर्णयों का मूल्यांकन, सामान्य प्रतिष्ठा आदि को ध्यान में रखता है। उच्च न्यायालय कॉलेजियम, राज्य सरकार और भारत सरकार की सिफारिशें सलाह के लिए उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) को भेजी जाती हैं। केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनके नाम की सिफारिश एससीसी द्वारा की गई हो।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. *206

जिसका उत्तर गुरुवार, 07 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

पुडुचेरी में उच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना

***206 श्री एस. सेल्वागनबेथी :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पुडुचेरी में कोई उच्च न्यायालय पीठ नहीं है ;

(ख) यदि हाँ, तो पुडुचेरी सरकार के बार-बार अनुरोध के बावजूद पुडुचेरी में उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार विकास और जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पुडुचेरी में उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने पर विशेष ध्यान देगी ; और

(घ) क्या मंत्री महोदय ने वर्ष 2023 में पुडुचेरी की अपनी यात्रा के दौरान पुडुचेरी के अनुरोध पर विचार करने का वायदा किया था और क्या इसे शीघ्र पूरा किया जाएगा ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

पुडुचेरी में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना के संबंध में श्री एस. सेल्वागनबेथी द्वारा पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *206, जिसका उत्तर तारीख 07 अगस्त, 2025 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

(क) से (घ) : उच्च न्यायालयों की न्यायपीठें, जसवंत सिंह आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2000 की डब्ल्यू.पी. (सी) सं. 379 में सुनाए गए निर्णय के अनुसार और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, जिससे उच्च न्यायालय के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन को संभालना अपेक्षित होता है, की सहमति के साथ आवश्यक व्यय को पूरा करने तथा अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने के लिए सहमतकारी राज्य सरकार से प्राप्त पूर्ण प्रस्ताव पर सम्यक् विचार करने के पश्चात् स्थापित की जाती हैं । प्रस्ताव के साथ संबंधित राज्य के राज्यपाल की सहमति भी होनी चाहिए ।

वर्तमान में पुडुचेरी में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने के लिए भारत सरकार के समक्ष कोई पूर्ण प्रस्ताव लंबित नहीं है ।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2188

जिसका उत्तर गुरुवार, 07 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद

2188 श्री हारिस बीरान :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के वर्तमान रिक्त पदों की संख्या का ब्यौरा क्या है और सरकार के समक्ष लंबित उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है तथा उनके लंबित रहने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार ने देश में बड़ी संख्या में लंबित मामलों पर रिक्तियों के प्रभाव का मूल्यांकन किया है ;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) विभिन्न न्यायालयों में इन रिक्तियों को भरने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : तारीख 04.08.2025 तक, विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या 1122 के मुकाबले में, 788 न्यायाधीश कार्यरत हैं और न्यायाधीशों के 334 पद रिक्त हैं । इन रिक्तियों के संबंध में, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 126 प्रस्ताव सरकार और उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के बीच प्रक्रिया के विभिन्न प्रक्रमों पर हैं। 208 रिक्तियों के लिए सिफारिशें उच्च न्यायालय कॉलेजियम से अभी प्राप्त होनी हैं।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और 224 के अधीन और उच्चतम न्यायालय के तारीख 6 अक्तूबर, 1993 के निर्णय (द्वितीय न्यायाधीश मामला) के साथ पठित तारीख 28 अक्तूबर, 1998 (तृतीय न्यायाधीश मामला) की उनकी सलाहकारी राय के अनुसरण में वर्ष 1998 में तैयार किए गए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है । एमओपी के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों के आरंभ किए जाने का उत्तरदायित्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित होता है, जबकि उच्च न्यायालय के दो अति वरिष्ठ उत्तरवर्ती न्यायाधीशों से परामर्श करके, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों के आरंभ किए जाने का उत्तरदायित्व संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायामूर्ति में निहित होता है। एमओपी के अनुसार, उच्च न्यायालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे किसी रिक्ति के उद्भूत होने के कम से कम छह मास पहले सिफारिशें करें । तथापि, इस समय सीमा का विरलतया पालन किया जाता है । उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के लिए, संबंधित राज्य सरकार के अभिमत एमओपी के अनुसार प्राप्त किए जाते हैं । इन सिफारिशों पर ऐसी अन्य रिपोर्टों के आलोक में भी विचार किया जाना होता है जो विचाराधीन नामों के संबंध में सरकार के पास उपलब्ध हों । तब उच्च न्यायालय कॉलेजियम, राज्य सरकारों और भारत सरकार की सिफारिशें, उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) को सलाह के लिए अग्रेषित की जाती हैं ।

उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है । यह राज्य और केन्द्रीय स्तर पर विभिन्न सांविधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन दोनों की अपेक्षा करता है । केवल उन्हीं व्यक्तियों को, जिनके नामों की एससीसी द्वारा सिफारिश की गई है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जाता है । मई, 2014 से 4.8.2025 तक, 1099 न्यायाधीशों की नियुक्ति विभिन्न उच्च न्यायालयों में की गई है ।

न्यायालयों में मामलों की लंबित संख्या ऐसे अनेक कारकों के कारण उद्भूत होती है जिनमें, अन्य बातों के साथ साथ, भौतिक अवसंरचना, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृंद की उपलब्धता तथा मामलों की सुनवाई को मॉनीटर करने, उनका पता लगाने तथा उनके समूहीकरण के लिए नियम और प्रक्रियाओं के उचित अनुयोजन के अतिरिक्त अंतवर्लित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों अर्थात् विधिज्ञ, अन्वेषण अभिकरणों, साक्षियों और मुकदमेबाजों का सहयोग भी सम्मिलित है । इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या और न्यायाधीशों के रिक्त पदों की स्थिति आवश्यक रूप से प्रत्यक्षत: संबद्ध नहीं है ।

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों को भरना संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। संवैधानिक कार्यढ़ांचे के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य सरकार, संबंधित राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों नियुक्ति और सेवानिवृत्ति के बारे में नियम और विनियम उच्च न्यायालय के परामर्श से बनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ-साथ, मलिक मजहार सुल्तान मामले में जनवरी, 2007 में पारित आदेश द्वारा कतिपय समय सीमाएं नियत की हैं जिनका जिला और अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राज्यों ओर संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा पालन किया जाना है ।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2189

जिसका उत्तर गुरुवार, 07 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

लंबित सिविल और आपराधिक मामले

2189 श्री नीरज शेखर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में क्रमश: 50 वर्ष, 40 वर्ष, 30 वर्ष और 20 वर्ष से भी अधिक समय से लंबित सिविल और आपराधिक मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान ऐसे मामलों में हुई वृद्धि/कमी का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) **:** उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में 50 वर्ष, 40 वर्ष, 30 वर्ष और 20 वर्ष से अधिक समय से लंबित सिविल और दांडिक मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा इस प्रकार है **उपाबंध- *1* और उपाबंध - *2*** क्रमानुसार।

(ख) : पिछले एक वर्ष के दौरान उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि/कमी के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे हैं **उपाबंध - *3* और उपाबंध - *4*** क्रमानुसार।

******

उपाबंध-**1**

<u>'सिविल और आपराधिक मामलों की लंबितता' के संबंध में 07.08.2025 को उत्तर के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2189 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित विवरण</u>

उच्च न्यायालयों में 50, 40, 30 और 20 वर्षों से अधिक समय से लंबित मामले

क्रमांक	उच्च न्यायालय का नाम	50 से अधिक वर्षों			50-40 वर्ष			40-30 वर्ष			30-20 वर्ष			20-10 साल		
		नागरिक	अनुचित	कुल	नागरिक	अनुचित	कुल	नागरिक	अनुचित	कुल	नागरिक	अनुचित	कुल	नागरिक	अनुचित	कुल
1	इलाहाबाद	17	0	17	12136	4394	16530	23850	17406	41256	52021	45613	97634	171787	146492	318279
2	बम्बई	2	0	2	9	0	9	2993	8	3001	51957	3646	55603	110597	19246	129843
3	कलकत्ता	2179	6	2185	4515	138	4653	7216	1245	8461	21084	2484	23568	36619	5836	42455
4	गुवाहाटी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	6	43	2439	1337	3776
5	तेलंगाना	9	0	9	197	0	197	1525	674	2199	3068	104	3172	32245	1754	33999
6	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	4	0	4	89	167	256	2428	3064	5492
7	राजस्थान	0	0	0	9	3	12	425	1108	1533	14196	12821	27017	68035	24251	92286
8	आंध्र प्रदेश	0	0	0	142	0	142	979	433	1412	5558	52	5610	41687	6159	47846
9	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	2	0	2	578	1000	1578	12042	6131	18173
10	गुजरात	0	0	0	3	0	3	29	0	29	535	1553	2088	14727	9127	23854
11	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	2	0	2	84	2	86	6022	1378	7400
12	जम्मू - कश्मीर और लद्दाख	0	0	0	1	0	1	2	0	2	313	20	333	5723	793	6516
13	झारखंड	0	0	0	0	0	0	65	13	78	525	2691	3216	3524	8655	12179
14	कर्नाटक	0	0	0	1	0	1	30	2	32	474	1	475	18520	1165	19685
15	केरल	0	0	0	0	0	0	12	0	12	1734	201	1935	24082	14017	38099
16	मध्य प्रदेश	4	0	4	2	0	2	10	3	13	7156	12690	19846	80705	48530	129235
17	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	65	32	97
18	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7
19	पंजाब और हरियाणा	2	0	2	42	1	43	332	7	339	21682	2531	24213	57851	46978	104829
20	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
21	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
22	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	9	2	11	708	156	864	2247	1938	4185
23	मद्रास	56	0	56	128	0	128	2158	2	2160	56280	3080	59360	51200	2268	53468
24	उड़ीसा	8	0	8	24	0	24	279	137	416	3121	3073	6194	18010	11575	29585
25	पटना	46	0	46	1084	0	1084	2222	55	2277	2344	5283	7627	8748	18033	26781
	कुल	**2323**	**6**	**2329**	**18293**	**4536**	**22829**	**42144**	**21095**	**63239**	**243545**	**97174**	**340719**	**769315**	**378760**	**1148075**

स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)

उपाबंध - 2

<u>'सिविल और आपराधिक मामलों की लंबितता' के संबंध में 07.08.2025 को उत्तर के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2189 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित विवरण</u>

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 50, 40, 30 और 20 वर्षों से अधिक समय से लंबित मामले।

क्रमांक	राज्य का नाम	50 से अधिक वर्षों			50-40 वर्ष			40-30 वर्ष			30-20 वर्ष			20-10 साल		
		नागरिक	अनुचित	कुल	नागरिक	अनुचित	कुल	नागरिक	अनुचित	कुल	नागरिक	अनुचित	कुल	नागरिक	अनुचित	कुल
1	अंदमान और निकोबार	0	0	0	0	1	1	0	5	5	20	83	103	549	915	1464
2	आंध्र प्रदेश	0	0	0	4	13	17	27	22	49	363	287	650	11419	2917	14336
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	21	21	0	286	286	28	809	837
4	असम	0	0	0	9	1	10	12	6	18	117	87	204	2880	6080	8960
5	बिहार	121	59	180	460	376	836	2783	3549	6332	14862	97084	111946	82366	637310	719676
6	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	1	0	1	8	4	12	204	137	341
7	छत्तीसगढ़	0	0	0	2	0	2	4	0	4	45	16	61	508	442	950
8	दिल्ली	5	0	5	13	0	13	78	16	94	467	436	903	8140	23688	31828
9	गोवा	8	0	8	45	1	46	203	20	223	529	13	542	2446	681	3127
10	गुजरात	0	0	0	6	1	7	134	85	219	2252	5471	7723	23698	34123	57821
11	हरियाणा	0	0	0	2	0	2	8	2	10	35	18	53	2907	1385	4292
12	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	1	0	1	29	3	32	5057	4279	9336
13	जम्मू - कश्मीर	1	0	1	1	0	1	23	7	30	312	159	471	5993	12034	18027
14	झारखंड	6	1	7	5	10	15	50	39	89	535	427	962	7368	35356	42724
15	कर्नाटक	2	0	2	18	0	18	164	9	173	1894	1246	3140	49173	35419	84592
16	केरल	2	0	2	16	1	17	87	20	107	488	194	682	10267	24921	35188
17	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	10
18	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	7	8	15
19	मध्य प्रदेश	16	0	16	5	2	7	49	10	59	461	335	796	8995	18269	27264
20	महाराष्ट्र	72	92	164	389	1196	1585	1854	12958	14812	11216	49529	60745	148542	280353	428895
21	मणिपुर	0	0	0	0	4	4	2	10	12	22	8	30	461	170	631
22	मेघालय	0	0	0	4	6	10	11	29	40	69	137	206	550	1275	1825
23	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	6	27
24	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	17	211	228
25	ओडिशा	1	0	1	12	95	107	181	3503	3684	2578	34858	37436	30670	206393	237063
26	पुडुचेरी	0	0	0	1	0	1	1	0	1	30	13	43	615	1661	2276
27	पंजाब	0	0	0	1	0	1	9	0	9	60	18	78	2302	1261	3563
28	राजस्थान	10	0	10	64	2	66	253	19	272	1580	1220	2800	19960	50375	70335
29	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30	तमिलनाडु	0	0	0	26	4	30	356	99	455	2195	1794	3989	32301	30581	62882
31	तेलंगाना	0	1	1	1	8	9	108	65	173	984	373	1357	8600	6521	15121
32	दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	23	25	203	132	335
33	त्रिपुरा	0	2	2	1	15	16	1	40	41	6	92	98	121	496	617
34	उत्तर प्रदेश	281	3	284	2613	668	3281	14681	19535	34216	54009	235513	289522	241386	1566686	1808072
35	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	3	0	3	68	34	102	1044	4874	5918
36	पश्चिमी बंगाल	135	295	430	511	2905	3416	2231	10207	12438	10388	74170	84558	82100	530078	612178
	कुल	**660**	**453**	**1113**	**4209**	**5309**	**9518**	**23315**	**50277**	**73592**	**105627**	**503935**	**609562**	**790904**	**3519853**	**4310757**

स्त्रोत राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)।

उपाबंध - **3**

'सिविल और आपराधिक मामलों की लंबितता' के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2189 जिसका उत्तर 07.08.2025 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

उच्च न्यायालयों में 50, 40, 30 और 20 वर्षों से अधिक समय से लंबित मामले

		31.07.2024 तक के आंकड़े			01.08.2025 तक डेटा			
क्रमांक	उच्च न्यायालय का नाम	50 से अधिक वर्षों			50 से अधिक वर्षों			बढ़ोतरी/कमी
		नागरिक	अनुचित	कुल	नागरिक	अनुचित	कुल	
1	इलाहाबाद	13	0	13	17	0	17	4
2	बम्बई	3	0	3	2	0	2	-1
3	कलकत्ता	2043	2	2045	2179	6	2185	140
4	गुवाहाटी	0	0	0	0	0	0	0
5	तेलंगाना	11	0	11	9	0	9	-2
6	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0
7	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0
8	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
9	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0
10	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0
11	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
12	जम्मू - कश्मीर और लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0
13	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0
14	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0
15	केरल	0	0	0	0	0	0	0
16	मध्य प्रदेश	4	0	4	4	0	4	0
17	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0
18	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0
19	पंजाब और हरियाणा	2	0	2	2	0	2	0
20	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0
21	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0

22	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0
23	मद्रास	49	0	49	56	0	56	7
24	उड़ीसा	2	0	2	8	0	8	6
25	पटना	23	0	23	46	0	46	23
	कुल	**2150**	**2**	**2152**	**2323**	**6**	**2329**	177

स्त्रोत राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)।

		31.07.2024 तक के आंकड़े			01.08.2025 तक डेटा			
क्रमांक	उच्च न्यायालय का नाम	50-40 वर्ष			50-40 वर्ष			बढ़ोतरी/कमी
		नागरिक	अनुचित	कुल	नागरिक	अनुचित	कुल	
1	इलाहाबाद	10657	2573	13230	12136	4394	16530	3300
2	बम्बई	11	0	11	9	0	9	-2
3	कलकत्ता	4262	130	4392	4515	138	4653	261
4	गुवाहाटी	0	0	0	0	0	0	0
5	तेलंगाना	156	0	156	197	0	197	41
6	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0
7	राजस्थान	8	3	11	9	3	12	1
8	आंध्र प्रदेश	127	0	127	142	0	142	15
9	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0
10	गुजरात	4	0	4	3	0	3	-1
11	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
12	जम्मू - कश्मीर और लद्दाख	1	0	1	1	0	1	0
13	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0
14	कर्नाटक	1	0	1	1	0	1	0
15	केरल	1	0	1	0	0	0	-1
16	मध्य प्रदेश	2	0	2	2	0	2	0
17	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0
18	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0
19	पंजाब और हरियाणा	36	0	36	42	1	43	7
20	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0

21	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0
22	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0
23	मद्रास	120	0	120	128	0	128	8
24	उड़ीसा	23	0	23	24	0	24	1
25	पटना	943	0	943	1084	0	1084	141
	कुल	**16352**	**2706**	**19058**	**18293**	**4536**	**22829**	3771

स्त्रोत राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)।

क्रमांक	उच्च न्यायालय का नाम	31.07.2024 तक के आंकड़े			01.08.2025 तक डेटा			बढ़ोतरी/कमी
		40-30 वर्ष			40-30 वर्ष			
		नागरिक	अनुचित	कुल	नागरिक	अनुचित	कुल	
1	इलाहाबाद	24375	17924	42299	23850	17406	41256	-1043
2	बम्बई	2204	10	2214	2993	8	3001	787
3	कलकत्ता	7716	1218	8934	7216	1245	8461	-473
4	गुवाहाटी	0	0	0	0	0	0	0
5	तेलंगाना	1482	641	2123	1525	674	2199	76
6	छत्तीसगढ़	4	0	4	4	0	4	0
7	राजस्थान	308	808	1116	425	1108	1533	417
8	आंध्र प्रदेश	893	413	1306	979	433	1412	106
9	दिल्ली	0	0	0	2	0	2	2
10	गुजरात	35	0	35	29	0	29	-6
11	हिमाचल प्रदेश	1	0	1	2	0	2	1
12	जम्मू - कश्मीर और लद्दाख	8	0	8	2	0	2	-6
13	झारखंड	58	12	70	65	13	78	8
14	कर्नाटक	21	1	22	30	2	32	10
15	केरल	15	0	15	12	0	12	-3
16	मध्य प्रदेश	7	0	7	10	3	13	6
17	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0
18	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0
19	पंजाब और हरियाणा	562	8	570	332	7	339	-231
20	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0

21	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0
22	उत्तराखंड	7	2	9	9	2	11	2
23	मद्रास	1536	2	1538	2158	2	2160	622
24	उड़ीसा	287	106	393	279	137	416	23
25	पटना	2189	24	2213	2222	55	2277	64
	कुल	**41708**	**21169**	**62877**	**42144**	**21095**	**63239**	362

स्त्रोत राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)।

क्रमांक	उच्च न्यायालय का नाम	31.07.2024 तक के आंकड़े 30-20 वर्ष			01.08.2025 तक डेटा 30-20 वर्ष			वृद्धि करना/ घटाव
		नागरिक	अनुचित	कुल	नागरिक	अनुचित	कुल	
1	इलाहाबाद	48091	40031	88122	52021	45613	97634	9512
2	बम्बई	47713	2820	50533	51957	3646	55603	5070
3	कलकत्ता	19963	2230	22193	21084	2484	23568	1375
4	गुवाहाटी	24	3	27	37	6	43	16
5	तेलंगाना	2961	126	3087	3068	104	3172	85
6	छत्तीसगढ़	100	335	435	89	167	256	-179
7	राजस्थान	11544	11898	23442	14196	12821	27017	3575
8	आंध्र प्रदेश	5216	65	5281	5558	52	5610	329
9	दिल्ली	385	568	953	578	1000	1578	625
10	गुजरात	564	1095	1659	535	1553	2088	429
11	हिमाचल प्रदेश	68	1	69	84	2	86	17
12	जम्मू - कश्मीर और लद्दाख	281	19	300	313	20	333	33
13	झारखंड	493	2207	2700	525	2691	3216	516
14	कर्नाटक	218	2	220	474	1	475	255
15	केरल	1427	159	1586	1734	201	1935	349
16	मध्य प्रदेश	4287	10640	14927	7156	12690	19846	4919
17	मणिपुर	1	0	1	1	0	1	0
18	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0
19	पंजाब और हरियाणा	20565	1599	22164	21682	2531	24213	2049
20	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0
21	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0

22	उत्तराखंड	626	134	760	708	156	864	104
23	मद्रास	45068	1564	46632	56280	3080	59360	12728
24	उड़ीसा	2866	2233	5099	3121	3073	6194	1095
25	पटना	2340	4071	6411	2344	5283	7627	1216
	कुल	**214801**	**81800**	**296601**	**243545**	**97174**	**340719**	44118

स्त्रोत राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)।

क्रमांक	उच्च न्यायालय का नाम	31.07.2024 तक के आंकड़े			01.08.2025 तक डेटा			बढ़ोतरी/कमी
		20-10 साल			20-10 साल			
		नागरिक	अनुचित	कुल	नागरिक	अनुचित	कुल	
1	इलाहाबाद	160351	140698	301049	171787	146492	318279	17230
2	बम्बई	104078	17630	121708	110597	19246	129843	8135
3	कलकत्ता	38246	6009	44255	36619	5836	42455	-1800
4	गुवाहाटी	2013	1158	3171	2439	1337	3776	605
5	तेलंगाना	31479	2030	33509	32245	1754	33999	490
6	छत्तीसगढ़	2340	3638	5978	2428	3064	5492	-486
7	राजस्थान	66333	24123	90456	68035	24251	92286	1830
8	आंध्र प्रदेश	43264	5869	49133	41687	6159	47846	-1287
9	दिल्ली	11047	5634	16681	12042	6131	18173	1492
10	गुजरात	14740	9742	24482	14727	9127	23854	-628
11	हिमाचल प्रदेश	4803	1123	5926	6022	1378	7400	1474
12	जम्मू - कश्मीर और लद्दाख	6031	747	6778	5723	793	6516	-262
13	झारखंड	3438	9326	12764	3524	8655	12179	-585
14	कर्नाटक	17384	1115	18499	18520	1165	19685	1186
15	केरल	19479	13589	33068	24082	14017	38099	5031
16	मध्य प्रदेश	76803	44084	120887	80705	48530	129235	8348
17	मणिपुर	54	33	87	65	32	97	10
18	मेघालय	5	0	5	7	0	7	2
19	पंजाब और हरियाणा	59844	42143	101987	57851	46978	104829	2842
20	सिक्किम	1	0	1	4	0	4	3

21	त्रिपुरा	0	0	0	1	1	2	2
22	उत्तराखंड	1809	1429	3238	2247	1938	4185	947
23	मद्रास	64798	3871	68669	51200	2268	53468	-15201
24	उड़ीसा	16042	11718	27760	18010	11575	29585	1825
25	पटना	7841	18580	26421	8748	18033	26781	360
	कुल	**752223**	**364289**	**1116512**	**769315**	**378760**	**1148075**	31563

उपाबंध-4

'सिविल और आपराधिक मामलों की लंबितता' के संबंध में लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2189 जिसका उत्तर तारीख 07.08.2025 को दिया जाना है के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 50, 40, 30 और 20 वर्षों से अधिक समय से लंबित मामले।

क्रमांक	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	31.07.2024 तक के आंकड़े 50 से अधिक वर्षों			01.08.2025 तक डेटा 50 से अधिक वर्षों			वृद्धि करना/ घटाव
		नागरिक	अनुचित	कुल	नागरिक	अनुचित	कुल	
1	अंदमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
4	असम	0	0	0	0	0	0	0
5	बिहार	202	138	340	121	59	180	-160
6	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0
8	दिल्ली	7	0	7	5	0	5	-2
9	गोवा	8	0	8	8	0	8	0
10	गुजरात	1	0	1	0	0	0	-1
11	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0
12	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
13	जम्मू - कश्मीर	1	0	1	1	0	1	0
14	झारखंड	10	5	15	6	1	7	-8
15	कर्नाटक	1	0	1	2	0	2	1
16	केरल	2	0	2	2	0	2	0
17	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0
18	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
19	मध्य प्रदेश	19	13	32	16	0	16	-16
20	महाराष्ट्र	68	140	208	72	92	164	-44
21	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0

22	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0
23	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0
24	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0
25	ओडिशा	2	0	2	1	0	1	-1
26	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0
27	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0
28	राजस्थान	12	2	14	10	0	10	-4
29	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0
30	तमिलनाडु	2	0	2	0	0	0	-2
31	तेलंगाना	0	0	0	0	1	1	1
32	दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	0
33	त्रिपुरा	0	1	1	0	2	2	1
34	उत्तर प्रदेश	338	2	340	281	3	284	-56
35	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0
36	पश्चिमी बंगाल	137	283	420	135	295	430	10
	कुल	**810**	**584**	**1394**	**660**	**453**	**1113**	**-281**

स्त्रोत राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)।

		31.07.2024 तक के आंकड़े			01.08.2025 तक डेटा		
क्रमांक	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश		50-40 वर्ष			50-40 वर्ष		वृद्धि करना /घटाव
		नागरिक	अनुचित	कुल	नागरिक	अनुचित	कुल	
1	अंदमान और निकोबार	0	0	0	0	1	1	1
2	आंध्र प्रदेश	3	35	38	4	13	17	-21
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
4	असम	7	0	7	9	1	10	3
5	बिहार	746	955	1701	460	376	836	-865
6	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ़	5	5	10	2	0	2	-8
8	दिल्ली	15	0	15	13	0	13	-2
9	गोवा	41	1	42	45	1	46	4
10	गुजरात	26	5	31	6	1	7	-24
11	हरियाणा	4	0	4	2	0	2	-2
12	हिमाचल प्रदेश	1	6	7	0	0	0	-7
13	जम्मू-कश्मीर	3	1	4	1	0	1	-3
14	झारखंड	13	43	56	5	10	15	-41
15	कर्नाटक	22	0	22	18	0	18	-4
16	केरल	17	3	20	16	1	17	-3
17	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0
18	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
19	मध्य प्रदेश	8	100	108	5	2	7	-101
20	महाराष्ट्र	380	2540	2920	389	1196	1585	-1335
21	मणिपुर	0	7	7	0	4	4	-3

22	मेघालय	5	5	10	4	6	10	0
23	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0
24	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0
25	ओडिशा	18	73	91	12	95	107	16
26	पुडुचेरी	2	0	2	1	0	1	-1
27	पंजाब	1	0	1	1	0	1	0
28	राजस्थान	86	9	95	64	2	66	-29
29	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0
30	तमिलनाडु	31	5	36	26	4	30	-6
31	तेलंगाना	3	5	8	1	8	9	1
32	दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	0
33	त्रिपुरा	1	35	36	1	15	16	-20
34	उत्तर प्रदेश	3156	813	3969	2613	668	3281	-688
35	उत्तराखंड	1	2	3	0	0	0	-3
36	पश्चिमी बंगाल	573	3472	4045	511	2905	3416	-629
	कुल	**5168**	**8120**	**13288**	**4209**	**5309**	**9518**	**-3770**

स्त्रोत राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)।

क्र.सं.	राज्य का नाम	31.07.2024 तक के आंकड़े 40-30 वर्ष			01.08.2025 तक डेटा 40-30 वर्ष			वृद्धि करना/ घटाव
		नागरिक	अनुचित	कुल	नागरिक	अनुचित	कुल	
1	अंडमान और निकोबार	0	6	6	0	5	5	-1
2	आंध्र प्रदेश	34	67	101	27	22	49	-52
3	अरुणाचल प्रदेश	1	10	11	0	21	21	10
4	असम	15	8	23	12	6	18	-5
5	बिहार	4092	8271	12363	2783	3549	6332	-6031
6	चंडीगढ़	1	1	2	1	0	1	-1
7	छत्तीसगढ़	13	16	29	4	0	4	-25
8	दिल्ली	104	16	120	78	16	94	-26
9	गोवा	203	24	227	203	20	223	-4
10	गुजरात	311	1011	1322	134	85	219	-1103
11	हरियाणा	16	8	24	8	2	10	-14
12	हिमाचल प्रदेश	2	0	2	1	0	1	-1
13	जम्मू - कश्मीर	22	7	29	23	7	30	1
14	झारखंड	112	109	221	50	39	89	-132
15	कर्नाटक	172	12	184	164	9	173	-11
16	केरल	140	34	174	87	20	107	-67
17	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0
18	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
19	मध्य प्रदेश	58	121	179	49	10	59	-120
20	महाराष्ट्र	1957	24118	26075	1854	12958	14812	-11263
21	मणिपुर	1	22	23	2	10	12	-11

22	मेघालय	10	32	42	11	29	40	-2
23	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0
24	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0
25	ओडिशा	302	2990	3292	181	3503	3684	392
26	पुडुचेरी	1	1	2	1	0	1	-1
27	पंजाब	16	2	18	9	0	9	-9
28	राजस्थान	361	116	477	253	19	272	-205
29	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0
30	तमिलनाडु	429	110	539	356	99	455	-84
31	तेलंगाना	21	66	87	108	65	173	86
32	दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव	0	10	10	0	1	1	-9
33	त्रिपुरा	1	103	104	1	40	41	-63
34	उत्तर प्रदेश	17005	27707	44712	14681	19535	34216	-10496
35	उत्तराखंड	1	0	1	3	0	3	2
36	पश्चिमी बंगाल	2337	11632	13969	2231	10207	12438	-1531
	कुल	**27738**	**76630**	**104368**	**23315**	**50277**	**73592**	**-30776**

स्त्रोत राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)।

		31.07.2024 तक डेटा			01.08.2025 तक डेटा			
क्रमांक	राज्य का नाम	30-20 वर्ष			30-20 वर्ष			बढ़ोतरी/कमी
		नागरिक	अनुचित	कुल	नागरिक	अनुचित	कुल	
1	अंदमान और निकोबार	23	77	100	20	83	103	3
2	आंध्र प्रदेश	349	268	617	363	287	650	33
3	अरुणाचल प्रदेश	2	357	359	0	286	286	-73
4	असम	126	154	280	117	87	204	-76
5	बिहार	15515	91576	107091	14862	97084	111946	4855
6	चंडीगढ़	9	8	17	8	4	12	-5
7	छत्तीसगढ़	64	102	166	45	16	61	-105
8	दिल्ली	506	454	960	467	436	903	-57
9	गोवा	559	14	573	529	13	542	-31
10	गुजरात	3625	11060	14685	2252	5471	7723	-6962
11	हरियाणा	34	111	145	35	18	53	-92
12	हिमाचल प्रदेश	83	6	89	29	3	32	-57
13	जम्मू - कश्मीर	308	135	443	312	159	471	28
14	झारखंड	718	678	1396	535	427	962	-434
15	कर्नाटक	1737	1064	2801	1894	1246	3140	339
16	केरल	620	405	1025	488	194	682	-343
17	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0
18	लक्षद्वीप	2	0	2	2	0	2	0
19	मध्य प्रदेश	496	542	1038	461	335	796	-242
20	महाराष्ट्र	11203	55374	66577	11216	49529	60745	-5832
21	मणिपुर	20	11	31	22	8	30	-1

22	मेघालय	69	122	191	69	137	206	15
23	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0
24	नागालैंड	1	1	2	1	4	5	3
25	ओडिशा	2852	33576	36428	2578	34858	37436	1008
26	पुडुचेरी	51	29	80	30	13	43	-37
27	पंजाब	73	50	123	60	18	78	-45
28	राजस्थान	2840	3128	5968	1580	1220	2800	-3168
29	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0
30	तमिलनाडु	2699	2144	4843	2195	1794	3989	-854
31	तेलंगाना	994	369	1363	984	373	1357	-6
32	दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव	1	17	18	2	23	25	7
33	त्रिपुरा	9	276	285	6	92	98	-187
34	उत्तर प्रदेश	59622	239798	299420	54009	235513	289522	-9898
35	उत्तराखंड	69	69	138	68	34	102	-36
36	पश्चिमी बंगाल	10450	64718	75168	10388	74170	84558	9390
	कुल	**115729**	**506693**	**622422**	**105627**	**503935**	**609562**	**-12860**

स्त्रोत राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)।

क्रमांक	राज्य का नाम	31.07.2024 तक के आंकड़े			01.08.2025 तक डेटा			बढ़ोतरी/कमी
		20-10 साल			20-10 साल			
		नागरिक	अनुचित	कुल	नागरिक	अनुचित	कुल	
1	अंदमान और निकोबार	547	918	1465	549	915	1464	-1
2	आंध्र प्रदेश	9743	2279	12022	11419	2917	14336	2314
3	अरुणाचल प्रदेश	22	879	901	28	809	837	-64
4	असम	2770	6255	9025	2880	6080	8960	-65
5	बिहार	76040	592449	668489	82366	637310	719676	51187
6	चंडीगढ़	165	159	324	204	137	341	17
7	छत्तीसगढ़	619	936	1555	508	442	950	-605
8	दिल्ली	7232	20335	27567	8140	23688	31828	4261
9	गोवा	2278	532	2810	2446	681	3127	317
10	गुजरात	29850	46270	76120	23698	34123	57821	-18299
11	हरियाणा	2772	1689	4461	2907	1385	4292	-169
12	हिमाचल प्रदेश	4438	3722	8160	5057	4279	9336	1176
13	जम्मू - कश्मीर	5456	10142	15598	5993	12034	18027	2429
14	झारखंड	8103	33020	41123	7368	35356	42724	1601
15	कर्नाटक	44380	30038	74418	49173	35419	84592	10174
16	केरल	10165	20241	30406	10267	24921	35188	4782
17	लद्दाख	6	1	7	6	4	10	3
18	लक्षद्वीप	5	8	13	7	8	15	2
19	मध्य प्रदेश	8540	14868	23408	8995	18269	27264	3856
20	महाराष्ट्र	137970	262382	400352	148542	280353	428895	28543

21	मणिपुर	365	108	473	461	170	631	158
22	मेघालय	422	1127	1549	550	1275	1825	276
23	मिजोरम	27	7	34	21	6	27	-7
24	नागालैंड	14	188	202	17	211	228	26
25	ओडिशा	31471	194195	225666	30670	206393	237063	11397
26	पुडुचेरी	621	1416	2037	615	1661	2276	239
27	पंजाब	2329	1389	3718	2302	1261	3563	-155
28	राजस्थान	30036	85453	115489	19960	50375	70335	-45154
29	सिक्किम	0	3	3	0	3	3	0
30	तमिलनाडु	35452	31773	67225	32301	30581	62882	-4343
31	तेलंगाना	9516	4583	14099	8600	6521	15121	1022
32	दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव	170	114	284	203	132	335	51
33	त्रिपुरा	92	780	872	121	496	617	-255
34	उत्तर प्रदेश	240543	1476607	1717150	241386	1566686	1808072	90922
35	उत्तराखंड	1008	5310	6318	1044	4874	5918	-400
36	पश्चिमी बंगाल	76923	478390	555313	82100	530078	612178	56865
	कुल	**780090**	**3328566**	**4108656**	**790904**	**3519853**	**4310757**	202101

स्त्रोत राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2191

जिसका उत्तर गुरुवार, 07 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

न्यायपालिका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के लिए एकसमान नीति

2191 श्री एस. निरंजन रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायपालिका द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उपयोग के लिए एकसमान नीति पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्तावित रूपरेखा और समय-सीमा का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह नीति नैतिक सुरक्षा उपायों, एल्गोरिथम संबंधी पूर्वाग्रह और डेटा निजता से संबंधित

चिंताओं का समाधान करेगी ; और

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में न्यायिक अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों या प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ परामर्श किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(**श्री अर्जुन राम मेघवाल**)

(क) से (घ) : उच्चतम न्यायालय की ई-समिति, जिसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के एक न्यायमूर्ति द्वारा की जाती है, देश के विभिन्न न्यायालयों में ई न्यायालय परियोजना के कार्यान्वयन हेतु नीति नियोजन, रणनीतिक दिशा और मार्गदर्शन के लिए उत्तरदायी है। न्यायिक क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उपयोग की खोज करने हेतु, उच्चतम न्यायालय द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता समिति का गठन किया गया था। ई न्यायालय परियोजना के तृतीय चरण के अंतर्गत, जो 2023-24 से प्रभावी 4 वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित है, भावी तकनीकी उन्नति (एआई, ब्लॉकचेन इत्यादि) के घटक के लिए 53.57 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। एआई को न्यायपालिका के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एकीकृत किया जाना है, जिसमें प्रशासनिक दक्षता में सुधार, वाद की लंबितता की भविष्यवाणी, प्रक्रियाओं का स्वचालन और न्यायालय संचालन का सुव्यवस्थीकरण सम्मिलित है। एआई का न्यायपालिका में उपयोग ई न्यायालय परियोजना के तृतीय चरण- की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार किया जाना है। ई न्यायालय परियोजना के अंतर्गत एआई का उपयोग करके विकसित उपकरण और प्लेटफॉर्म का उपयोग देश भर में न्यायपालिका द्वारा किया जाना है।

सर्वोच्च न्यायालय , भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के साथ निकट समन्वय में, त्रुटियों की पहचान हेतु ई-फाइलिंग सॉफ्टवेयर में एकीकृत एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) और एमएल (मशीन लर्निंग) आधारित उपकरण विकसित एवं नियोजित कर चुका है। इस प्रोटोटाइप तक 200 अधिवक्ता अभिलेख की पहुंच सक्षम की गई है। सर्वोच्च

न्यायालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के साथ सहयोग से, त्रुटि निवारण तथा डेटा और मेटाडेटा निष्कषण हेतु एआई एवं एमएल उपकरणों के प्रोटोटाइप का भी परीक्षण कर रहा है। इस एआई/एमएल आधारित उपकरण को ई-फाइलिंग मॉड्यूल और वाद प्रबंधन सॉफ्टवेयर, अर्थात् 'एकीकृत प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली' (ICMIS) के साथ एकीकृत करने की परिकल्पना की गई है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विधिक अनुसंधान सहायक उपकरण, SUPACE (सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी), का विकास कृत्रिम बुद्धिमत्ता समिति द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य वादों के तथ्यात्मक स्वरूप को समझना तथा पूर्ववर्ती निर्णयों की बुद्धिमत्तापूर्ण खोज के माध्यम से वादों का विश्लेषण करना है।

इसके अतिरिक्त, एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सॉफ़्टवेयर उपकरण, जिसका नाम "विधिक अनुसंधान विश्लेषण सहायक"(LegRAA) है, को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) की कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाग तथा पुणे स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (ई न्यायालय), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की टीम द्वारा, उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के मार्गदर्शन में विकसित किया गया है। यह उपकरण न्यायाधीशों को विधिक अनुसंधान, दस्तावेज़ विश्लेषण एवं न्यायिक निर्णय समर्थन में सहायता प्रदान करने हेतु अभिकल्पित किया गया है। इसके अतिरिक्त, "डिजिटल न्यायालय 2.1" मंच को परियोजना के तृतीय चरण के अंतर्गत विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य न्यायालयों को पूर्णतः डिजिटल एवं कागज-रहित बनाना है जो न्यायाधीशों को वेब एप्लिकेशन के माध्यम से वाद आधारित अभिवचनों, आरोप-पत्र, दस्तावेज़ आदि देखने की सुविधा प्रदान करता है। "डिजिटल न्यायालय 2.1" में वॉइस-टू-टेक्स्ट सुविधा [स्वतः भाषण पहचान एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित पाठ रूपांतरण सॉफ़्टवेयर] समाहित है, जो अंग्रेज़ी एवं अन्य स्थानीय भाषाओं में बोले गए आदेशों और न्यायालय में हुई कार्यवाही का श्रुतलेखन एवं अनुवाद करने हेतु सक्षम है। "विधिक अनुसंधान विश्लेषण सहायक"(LegRAA) तथा "डिजिटल न्यायालय 2.1", दोनों उपकरण, डेटा गोपनीयता एवं नैतिक सुरक्षा के विषयों का संवेदनशीलता से ध्यान रखते हैं और केवल न्यायालय के अपने आँकड़ों, जैसे कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा जिला न्यायालयों द्वारा निर्णयों और पारित आदेशों का ही उपयोग करते हैं। ये उपकरण न्यायिक अधिकारियों को आंतरिक रूप से उपलब्ध कराए जाएँगे, जिससे डेटा गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2192

जिसका उत्तर गुरुवार, 07 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

कॉलेजियम प्रणाली का कार्यकरण

2192 डा. सस्मित पात्रा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2023-24 में उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा की गई कितनी सिफारिशें, अभी भी सरकार के समक्ष लंबित हैं और कितने समय से ;

(ख) कॉलेजियम प्रणाली में सार्वजनिक परामर्श, विविधता ट्रैकिंग या शिकायत निवारण के लिए किसी औपचारिक तंत्र के अभाव का क्या कारण है ;

(ग) सरकार, कॉलेजियम की सिफारिशों को चयनात्मक रूप से रोक कर रखने या वापस करने के लिए कौन से मानदंड अपनाती है ; और

(घ) क्या सरकार ने जवाबदेही को बेहतर करने के लिए कॉलेजियम प्रस्तावों की अस्वीकृति या देरी के कारणों को प्रकाशित करने जैसे कोई सुधार प्रस्तावित किये हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : तारीख 01.08.2025 तक, विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या 1122 के सापेक्ष 778 न्यायाधीश कार्यरत हैं और न्यायाधीशों के 344 पद रिक्त हैं। इन रिक्तियों के सापेक्ष, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के 138 प्रस्ताव सरकार और उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के बीच प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। 206 रिक्तियों के लिए सिफारिशें उच्च न्यायालय कॉलेजियम से अभी प्राप्त होनी हैं।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन और उच्चतम न्यायालय के तारीख 6 अक्तूबर, 1993 के निर्णय (द्वितीय न्यायाधीश मामला) और तारीख 28 अक्तूबर, 1998 की उनकी सलाहकारी राय (तृतीय न्यायाधीश मामला) के अनुसरण में 1998 में तैयार किए गए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड बनाम भारत संघ (द्वितीय न्यायाधीश मामला) में तारीख 06.10.1993 को दिए गए अपने निर्णय में, अन्य बातों के साथ-साथ यह संप्रेक्षण किया कि न्यायिक चयनों के लिए योग्यता के आधार पर चयन प्रमुख पद्धति है और चयन किए जाने वाले उम्मीदवारों में उच्च सत्य निष्ठा, ईमानदारी, कौशल, उच्च कोटि की भावनात्मक स्थिरता, दृढ़ता, शांति, विधिक सुदृढ़ता, योग्यता और सहनशक्ति होनी चाहिए । उपरोक्त के अतिरिक्त, अपेक्षित अत्यंत सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत योग्यताओं की पहचान नैतिक शक्ति, नैतिक दृढ़ता और भ्रष्ट या भ्रष्टाचारी प्रभावों के प्रति अभेद्यता, विनम्रता और संबद्धताओं का अभाव, न्यायिक स्वभाव, उत्साह और कार्य करने की क्षमता है ।

उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है। इसके लिए राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन की आवश्यकता होती है। सरकार, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण पणधारी के रूप में होती है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर प्रक्रिया ज्ञापन में निर्धारित जानकारी प्रदान करती है जिसमें मुख्य रूप से न्यायपालिका में उच्च संवैधानिक पद पर नियुक्ति के लिए विचाराधीन उम्मीदवारों की उपयुक्तता, क्षमता और ईमानदारी के बारे में जानकारी होती है। तब सुझावों के साथ सिफारिशों को सलाह के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम (एससीसी) को भेजा जाता है । केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है जिनके नाम की सिफारिश उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा की गई है। जबकि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि नियुक्तियां शीघ्रता से की जाए हैं इसी के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि सहयोगात्मक प्रक्रिया के अधीन केवल अति उपयुक्त उम्मीदवारों को ही उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए ।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2193

जिसका उत्तर गुरुवार, 07 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

अधिकरणों को स्थापित करने की योजना

2193 श्री आर. गिरिराजन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में विवादों के समाधान के लिए स्थापित अधिकरणों को समाप्त करने की कोई योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि देश के न्यायालय लंबित आपराधिक और दीवानी मामलों की अत्यधिक संख्या से बुरी तरह प्रभावित हैं ;

(ग) यदि हॉ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों में लंबित आपराधिक और दीवानी मामलों की कुल संख्या कितनी-कितनी है और इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार द्वारा चेन्नई में उच्चतम न्यायालय का स्थायी खंडपीठ स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(**श्री अर्जुन राम मेघवाल**)

(**क**) :विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में विवादों के समाधान के लिए स्थापित अधिकरणों को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(**ख**) **और** (**ग**) : राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, 05.08.2025 तक उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों के ब्यौरे निम्नानुसार है:

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	सिविल **मामले**	**दांडिक मामले**
1.	भारत का उच्चतम न्यायालय	68195	18533
2.	उच्च न्यायालय	44,44,001	18,93,264
3.	जिला और अधीनस्थ न्यायालय	1,10,30,644	3,57,96,446

ऐसे अनेकों कारण हैं, जो विभिन्न न्यायालयों में मामलों के लंबन को बढ़ाते हैं, इन कारणों में,अन्य बातों के साथ, भौतिक अवसंरचना और न्यायालय के सहायक कर्मचारिवृंद, अन्तर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों का सहयोग अर्थात बार, अन्वेषण अभिकरण, साक्षी तथा मुवक्किल तथा नियमों और कार्यवाहियों का उचित अनुप्रयोग, की उपलब्धता भी है । अन्य घटक जो मामलों के निपटान में विलंब बढ़ाते हैं, के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मामलों में निपटान के लिए संबंधित न्यायालयों द्वारा विहित समय-सीमा की कमी, बारंबार स्थगन तथा सुनवाई के लिए समान प्रकृति के मामलों की मानीटरी, खोज तथा उन्हें समूहबद्ध करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था की कमी भी है । इसके अतिरिक्त, दांडिक मामलों के लंबन की दशा में, दांडिक न्याय प्रणाली विभिन्न अभिकरणों अर्थात पुलिस, अभियोजन, न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, हस्तलेख विशेषज्ञ तथा चिकित्सा-विधिक विशेषज्ञों, की सहायता द्वारा कार्य करती है । सहबद्ध अभिकरणों **से अपेक्षित सहायता में** विलंब **से मामलों के निपटान में भी** विलंब होता **है । तथापि, न्यायालयों में लंबित दांडिक और सिविल मामलों का निपटान न्यायपालिका** की **अनन्य अधिकारिता में आता है।**

(घ) : भारत के संविधान का अनुच्छेद 130 उपबंध करता है कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर, नियत करे ।

देश के विभिन्न भागों में उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठों की स्थापना के लिए समय-समय पर विभिन्न पक्षों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। ग्यारहवें विधि आयोग ने 1988 में प्रस्तुत "उच्चतम न्यायालय-एक नई दृष्टि विषयों पर" नामक अपनी 125वीं रिपोर्ट में उच्चतम न्यायालय को दो अर्थात् (i) दिल्ली स्थित सांविधानिक न्यायालय और (ii) उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी तथा मध्य भारत में आसीन अपील न्यायालय या फेडरल न्यायालय में विभाजित करने के लिए दसवें विधि आयोग की उसकी 95वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को पुन: दोहराया है । अठारहवें विधि आयोग ने वर्ष 2009 में प्रस्तुत अपनी 229वीं रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया था कि एक सांविधानिक न्यायपीठ दिल्ली में स्थापित की जाए और चार मनसूखी न्यायपीठें उत्तरी क्षेत्र दिल्ली में, दक्षिणी क्षेत्र चेन्नई/हैदराबाद में, पूर्वी क्षेत्र कोलकाता में और पश्चिमी क्षेत्र मुंबई में स्थापित की जाए ।

यह मामला भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को निर्दिष्ट किया गया था, जिन्होंने सूचित किया कि मामले पर विचार-विमर्श करने के पश्चात्, पूर्ण न्यायालय ने 18 फरवरी, 2010 को हुई बैठक में दिल्ली से बाहर उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठों को स्थापित करने का न्यायोचित्य नहीं पाया है । भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने इससे पूर्व अगस्त, 2007 में वैसे ही विचार व्यक्त किए थे ।

राष्ट्रीय अपील न्यायालय की स्थापना संबंधी रिट याचिका डब्ल्यूपी(सी) सं. 36/2016 में उच्चतम न्यायालय ने अपने तारीख 13.07.2016 के निर्णय द्वारा मुद्दे को प्राधिकारिक उदघोषणा के लिए सांविधानिक न्यायपीठ को निर्दिष्ट करना उचित समझा । मामला वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है ।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2194

जिसका उत्तर गुरुवार, 07 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

अदालतों में लंबित मामलों का बैकलॉग

2194 # श्री रामजी लाल सुमन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष कानूनों के तहत दर्ज मामलों हेतु विशेष अदालतों की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसे मामलों की सुनवाई हेतु आवश्यकता से कम संसाधन हैं जिनकी वजह से मामलों की सुनवाई में दिक्कतें आ रही हैं ; और

(ग) गत तीन वर्षो में स्थापित की गई विशेष अदालतों की राज्य-वार संख्या कितनी है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(**श्री अर्जुन राम मेघवाल**)

(क) से (ग) : विशेष न्यायालय भारत में न्यायिक निकाय हैं, जो विनिर्दिष्ट प्रकार के मामले, जिनमें अक्सर जटिल मुद्दे अंतर्वलित होते हैं, की कार्यवाहियों को त्वरित करने हेतु स्थापित किए गए हैं। ये न्यायालय विभिन्न विधियों/कानूनों के अधीन स्थापित किए गए हैं तथा नियमित न्यायिक प्रणाली के साथ-साथ परिचालन करते हैं। उनका प्राथमिक उद्देश्य मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करना है, जिसके लिए उनकी प्रकृति के कारण विशेषीकृत ज्ञान और रख-रखाव अपेक्षित है। विशेष न्यायालयों की स्थापना तथा कार्यकरण का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के, उच्च न्यायालयों के साथ परामर्श से, उनकी आवश्यकता तथा संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार, प्रभाव क्षेत्र में आता है।

त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी), जिसके अंतर्गत अनन्य रूप से पोक्सो (ई-पोक्सो) न्यायालय भी हैं, की स्थापना के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम, दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अधिनियमन तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश [स्वतः संज्ञान रिट (दंड) सं. 01/2019], का अनुसरण करते हुए अक्तूबर, 2019 में आरंभ की गई थी। ये न्यायालय, बलात्संग और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 के अधीन अपराधों से संबंधित लंबित मामलों के समयबद्ध विचारण तथा निपटान के लिए समर्पित हैं। 790 न्यायालयों की स्थापना के लिए स्कीम को दो बार, 31 मार्च, 2026 तक के नवीनतम विस्तारण के साथ विस्तारित किया जा चुका है। स्कीम के अधीन वित्तीय परिव्यय 1952.23 करोड़ रुपए है, जिसमें 1207.24 करोड़ रुपए केंद्रीय भाग के रूप में सीएसएस पैटर्न पर निर्भया निधि में से उपगत किया जाना है।

30.06.2025 से, 29 राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों में 725 एफटीएससी, जिसके अंतर्गत 392 अनन्य रूप से पोक्सो (ई-पोक्सो) न्यायालय कार्यात्मक हैं, जिन्होंने स्कीम के आरंभ से 3,34,213 मामलों का निपटान किया है। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कार्यात्मक त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) का ब्यौरा **उपाबंध-1** पर है।

मामले की सुनवाई में कठिनाईयों के संबंध में, समयोचित मामलों के निपटान में विभिन्न कारक निर्णायक भूमिका निभाते हैं, जिसके अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों का सहयोग अर्थात् बार, अन्वेषण अभिकरण, साक्षी तथा वादी और नियमों तथा प्रक्रियाओं की उचित प्रयोज्यता भी आते हैं। अन्य कारक, जो मामलों के निपटान में विलम्ब पैदा करते हैं, के अंतर्गत निरंतर स्थगन तथा सुनवाई के लिए मॉनीटरी, ट्रैक और समूह में मामलों की पर्याप्त व्यवस्था की कमी भी हैं।

****

उपाबंध-1

30.06.2025 की स्थिति के अनुसार, कार्यात्मक त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	कार्यात्मक न्यायालय	
		एफटीएससी सहित अनन्य रूप से पोक्सो	अनन्य रूप से पोक्सो
1	आन्ध्र प्रदेश	16	16
2	असम	17	17
3	बिहार	46	46
4	चंडीगढ़	1	0
5	छत्तीसगढ़	15	11
6	दिल्ली	16	11
7	गोवा	1	0
8	गुजरात	35	24
9	हरियाणा	18	14
10	हिमाचल प्रदेश	6	3
11	जम्मू-कश्मीर	4	2
12	कर्नाटक	30	17
13	केरल	55	14
14	मध्य प्रदेश	67	56
15	महाराष्ट्र	2	1

16	मणिपुर	2	0
17	मेघालय	5	5
18	मिजोरम	3	1
19	नागालैंड	1	0
20	ओडिशा	44	23
21	पुदुचेरी	1	1
22	पंजाब	12	3
23	राजस्थान	45	30
24	तमिलनाडु	14	14
25	तेलंगाना	36	0
26	त्रिपुरा	3	1
27	उत्तराखंड	4	0
28	उत्तर प्रदेश	218	74
29	पश्चिमी बंगाल	8	8
30	झारखंड*	0	0
31	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह**	0	0
32	अरूणाचल प्रदेश***	0	0

योग	725	392

टिप्पण: स्कीम के प्रारंभ पर, देश भर में एफटीएससी का आबंटन प्रति न्यायालय 65 से 165 लंबित मामलों के मानदंड पर आधारित था, जिससे अभिप्रेत है कि प्रत्येक 65 से 165 लंबित मामलों के लिए एक एफटीएससी स्थापित होगा। उस पर आधारित होते हुए केवल 31 राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्कीम में शामिल होने के लिए पात्र थे।

* तारीख 07.07.2025 के पत्र द्वारा झारखंड राज्य ने एफटीएससी स्कीम से बाहर निकलने का विनिश्चय किया है।

** अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह ने स्कीम में शामिल होने की सहमति दी है, किंतु अभी तक कोई न्यायालय परिचालन में नहीं है।

*** अरूणाचल प्रदेश ने बलात्संग तथा पोक्सो अधिनियम के लंबित मामलों के बहुत कम संख्या में होने का हवाला देते हुए स्कीम से बाहर रहने का विकल्प चुना है।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2195

जिसका उत्तर गुरुवार, 07 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

ग्राम न्यायालय

2195 # श्री संजय सिंह :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि तक देशभर में स्थापित ग्राम न्यायालयों की वर्तमान संख्या कितनी है एवं कितने ग्राम न्यायालय सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या ग्राम न्यायालयों के कार्य निष्पादन और कार्यप्रणाली पर नियमित रूप से नजर रखने के लिए कोई निगरानी तंत्र है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या ग्राम न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या और उनकी सफलता दर पर कोई रिपोर्ट उपलब्ध है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) गत तीन वर्षों में ग्राम न्यायालयों के लिए सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(**श्री अर्जुन राम मेघवाल**)

(क) : देश भर में स्थापित और कार्यरत ग्राम न्यायालयों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **उपाबंध-1** में दिया गया है।

(ख) और (ग) : स्कीम के दिशानिर्देशों में ग्राम न्यायालयों के प्रदर्शन और कार्यप्रणाली की निगरानी के लिए क्रमशः केंद्र और राज्य स्तर पर दो समितियों का उपबंध है। इसके अतिरिक्त, एक ऑनलाइन ग्राम न्यायालय पोर्टल भी है, जिसमें संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा मामलों की स्थापना, निपटान, लंबित मामलों का विवरण, न्यायाधिकारियों की नियुक्ति की तारीख आदि के संबंध में डेटा भरा जाता है। डेटा को हर महीने की 5 तारीख तक पोर्टल पर अपलोड/अपडेट करना आवश्यक है। ग्राम न्यायालय पोर्टल पर उपलब्ध विवरण के अनुसार, 10 राज्यों में कार्यरत 331 ग्राम न्यायालयों ने 30.06.2025 तक 4,11,071 मामलों का निपटारा किया है। ग्राम न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या का विवरण **उपाबंध-2** में दिया गया है।

(घ) : यह स्कीम प्रतिपूर्ति के आधार पर क्रियान्वित की जा रही है, इसलिए धनराशि राज्यवार आवंटित नहीं की जाती है। राज्य सरकारें अपने-अपने उच्च न्यायालयों के परामर्श से ग्राम न्यायालयों की स्थापना के संबंध में विनिश्चय करती हैं। वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, **केन्द्रीय** सरकार राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्र को ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए एकमुश्त सहायता प्रदान करती है, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति ग्राम न्यायालय 18 लाख रुपये है। इसके अतिरिक्त, **केन्द्रीय** सरकार पहले तीन वर्षों के लिए ग्राम न्यायालयों के संचालन के लिए सहायता प्रदान करती है, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति ग्राम न्यायालय प्रति वर्ष 3.20 लाख रुपये है। स्कीम के अंतर्गत वर्षवार आवंटन और धनराशि जारी करने का विवरण इस प्रकार है:

	वित्तीय वर्ष	आवंटित धनराशि (करोड़ रुपये)	जारी धनराशि (करोड़ रुपये)	टिप्पणियाँ
1.	2022-23	2.00	0.00	
2.	2023-24	2.00	0.80	**ओडिशा को 0.80 करोड़ रुपये जारी किए गए।**
3.	2024-25	10.00	10.00	**उत्तर प्रदेश को 9.44 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र को 0.56 करोड़ रुपये जारी किए गए।**

उपाबंध- 1

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या **2195** जिसका उत्तर **07.08.2025** को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	अधिसूचित ग्राम न्यायालय	कार्यात्मक ग्राम न्यायालय
1.	गोवा	2	2
2.	हरियाणा	3	2
3.	झारखंड	6	4
4.	कर्नाटक	2	2
5.	केरल	30	30
6.	मध्य प्रदेश	89	89
7.	महाराष्ट्र	39	26
8.	ओडिशा	31	21
9.	पंजाब	9	2
10.	राजस्थान	45	45
11.	उत्तर प्रदेश	113	108
12.	आंध्र प्रदेश	42	0
13.	तेलंगाना	55	0
14.	जम्मू कश्मीर	20	0
15.	लद्दाख	2	0
	कुल	**488**	**331**

स्रोतः ग्राम न्यायालय पोर्टल

उपाबंध- 2

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या **2195** जिसका उत्तर **07.08.2025** को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

क्र.सं.	राज्य	कुल रजिस्ट्रीकृत मामले	कुल निपटाए गए मामले	मामला निपटान प्रतिशत
1	हरियाणा	2369	1333	56%
2	झारखंड	395	117	30%
3	कर्नाटक	224	116	52%
4	केरल	77763	61954	80%
5	मध्य प्रदेश	37077	24118	65%
6	महाराष्ट्र	13427	9894	74%
7	ओडिशा	3294	1666	51%
8	पंजाब	2206	1370	62%
9	राजस्थान	140993	102173	72%
10	उत्तर प्रदेश	261787	208330	80%
कुल (30.06.2025)		**539535**	**411071**	**76%**

स्रोतः ग्राम न्यायालय पोर्टल

टिप्पण: गोवा ग्राम न्यायालय के संबंध में रजिस्ट्रीकृत और निपटान से संबंधित मामलों का आंकड़ा उच्च न्यायालय द्वारा पोर्टल पर उपलोड़ नहीं किया गया है ।

****

भारत सरकार
विधि एवं न्याय मंत्रालय
विभाग का न्याय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 302

21.08.2025 को उत्तर दिया गया

ओडिशा उच्च न्यायालय की स्थायी पीठें

302 श्री निरंजन बिशी:

क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(a) न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पश्चिमी ओडिशा (जैसे, संबलपुर या बलांगीर) में ओडिशा उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ स्थापित करने की कोई योजना है ; और

(b) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) एवं (ख): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

श्री निरंजन बिशी द्वारा पूछे गए 'ओडिशा उच्च न्यायालय की स्थायी पीठों' के संबंध में 21.08.2025 को उत्तर के लिए राज्यसभा तारांकित प्रश्न संख्या 302 के संबंध में भाग (ए) और (बी) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) एवं (ख): उच्च न्यायालय की पीठें जसवंत सिंह आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2000 के WP(C) संख्या 379 में दिए गए निर्णय के अनुसार स्थापित की जाती हैं। इसके लिए राज्य सरकार से प्राप्त पूर्ण प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया जाता है, जिसमें आवश्यक व्यय वहन करने और अवसंरचनात्मक सुविधाएँ प्रदान करने की सहमति दी जाती है। साथ ही, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो उच्च न्यायालय के दैनिक प्रशासन की देखरेख करते हैं, की भी सहमति ली जाती है। प्रस्ताव पर संबंधित राज्य के राज्यपाल की भी सहमति होनी चाहिए।

पश्चिमी ओडिशा में ओडिशा उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ स्थापित करने के लिए भारत सरकार के पास कोई पूर्ण प्रस्ताव लंबित नहीं है।

***

भारत सरकार

विधि एवं न्याय मंत्रालय

विभाग का न्याय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 3307

उत्तर दिया गया - 21/08/2025

न्याय प्रणाली में विकलांग व्यक्तियों की पहुँच

3307 # श्री धैर्यशील मोहन पाटिल:

क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

a. क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 2023-24 में कानूनी सहायता लाभार्थियों में से केवल 0.29% विकलांग व्यक्ति हैं, जो न्याय सेवाओं से उनके बहिष्कार का संकेत देता है;
b. उच्चतम न्यायालय की सुगम्यता समिति की सिफारिशों के बाद न्यायालयों, पुलिस थानों और जेलों में पहुंच से संबंधित दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए उठाए जा रहे कदम;
c. क्या सरकार न्याय प्रणाली के भीतर विकलांगता-विभाजित डेटा के संग्रह को अनिवार्य बनाने की योजना बना रही है; और
d. न्यायिक संस्थाओं में सांकेतिक भाषा व्याख्या, स्पर्शनीय पथ और दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाओं की स्थापना के लिए क्या उपाय किए जाएंगे?

उत्तर

विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

a. (घ): दिव्यांगजन , अन्य बातों के साथ-साथ, विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अंतर्गत कानूनी सहायता के हकदार हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) द्वारा देश भर के विधिक सेवा संस्थानों (एलएसआई) से प्राप्त रिपोर्टों के माध्यम से दिव्यांगजनों सहित प्रदान की गई कानूनी सेवाओं से लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों का डेटा नियमित रूप से संकलित किया जाता है। वर्ष 2023-24 में, 15,50,164 लाभार्थियों ने एनएएलएसए के तत्वावधान में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा एलएसए अधिनियम, 1987 के अंतर्गत प्रदान की गई कानूनी सहायता का लाभ उठाया, जिनमें से 11,591 लाभार्थी दिव्यांगजन थे , जो कुल लाभार्थियों का 0.74% है।

नालसा विकलांग व्यक्तियों के लिए विशिष्ट योजनाएं भी लागू कर रहा है जिसमें नालसा (मानसिक रूप से बीमार और बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों के लिए कानूनी सेवाएं) योजना, 2024 शामिल है। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कानूनी सेवाएं मानसिक बीमारी और बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों की विशिष्ट कानूनी और सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी हों। इस योजना के माध्यम से, यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऐसी कानूनी सेवाएं विकलांग व्यक्तियों के लिए सभी नागरिक, प्रशासनिक, आपराधिक या संबंधित मामलों में सुलभ हों। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक जिले में पैनल वकीलों और पैरा-लीगल स्वयंसेवकों की एक विशेष इकाई बनाना है, जिनके पास मानसिक बीमारी और बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों की विशेष आवश्यकताओं के बारे में अपेक्षित ज्ञान हो और ऐसे व्यक्तियों के पास योजनाओं, कार्यक्रमों, सुविधाओं या सेवाओं तक समान पहुंच हो। इस योजना के तहत, अधिकांश राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मानसिक बीमारी और बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष कानूनी सेवा इकाई (एलएसयूएम) एलएसयूएम में न्यायालयों (विशेष न्यायालयों सहित), जेलों और पुलिस स्टेशनों में कानूनी सेवाएं प्रदान करने के प्रावधान शामिल हैं।

सरकार, जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों/न्यायाधीशों के लिए न्यायालय भवनों और आवासीय भवनों के निर्माण हेतु राज्य सरकारों के संसाधनों में वृद्धि करके न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु एक केंद्र प्रायोजित योजना भी क्रियान्वित कर रही है। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रस्तावित अवसंरचना का डिज़ाइन दिव्यांगजनों के अनुकूल हो। भवन का डिज़ाइन केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित अपेक्षित मानदंडों/सुगम्यता मानकों के अनुरूप होना चाहिए।

दूसरे, ई-कोर्ट परियोजना के तीसरे चरण के अंतर्गत, 24 घटक हैं जिनमें दिव्यांगजनों सहित नागरिकों के लिए एक सुदृढ़ और सुलभ डिजिटल अवसंरचना के निर्माण को बढ़ावा देने हेतु कई महत्वपूर्ण उपाय शामिल हैं। दिव्यांगजनों को उन्नत, सुलभ आईसीटी-सक्षम सुविधाएँ प्रदान करने के लिए 27.54 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय का प्रावधान किया गया है, और 752 न्यायालयों (उच्च न्यायालयों सहित) की वेबसाइटों को S3WaaS प्लेटफ़ॉर्म (सुरक्षित, स्केलेबल और सुगम्य वेबसाइट एज़ अ सर्विस) पर स्थानांतरित करने का प्रावधान किया गया है, जिससे वेबसाइट दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल बन सकें। इसके लिए 6.35 करोड़ रुपये का बजटीय परिव्यय रखा गया है। S3WaaS प्लेटफ़ॉर्म में आंशिक और पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित नागरिकों के लिए सामग्री की आसान दृश्यता की सुविधाएँ हैं।

*****

भारत सरकार

विधि एवं न्याय मंत्रालय

कानूनी मामलों का विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3308

21/08/2025 को उत्तर दिया गया

महिलाओं के लिए कार्यस्थल में समावेशिता

3308. डॉ. सिकंदर कुमार:

क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी कार्यालयों में महिला कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर स्वास्थ्य को संस्थागत बनाने के लिए कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

सामने अपने स्वास्थ्य तथा व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देने में आने वाली दैनिक चुनौतियों पर ध्यान दिया है , यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश भर में विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ फिट इंडिया आंदोलन के साथ तालमेल बिठाते हुए महिला कर्मचारियों के समग्र कल्याण को महत्व देने वाले समावेशी कार्य वातावरण के निर्माण हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) जी हाँ। सरकार ने कार्यस्थल पर समावेशिता, कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सरकारी सेवा में कार्यरत महिला कर्मचारियों के समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न महिला-केंद्रित पहल की हैं । इन उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ , निम्नलिखित शामिल हैं :

i. 730 दिनों का बाल देखभाल अवकाश (सीसीएल) प्रदान किया जाएगा।
ii. सरकारी कर्मचारी के लिए विकलांग बच्चे के मामले में 22 वर्ष की आयु सीमा हटा दी गई ।
iii. सीसीएल की न्यूनतम अवधि 15 दिन से घटाकर 5 दिन कर दी गई।
iv. सीसीएल के दौरान मुख्यालय छोड़ने और विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति।
v. सीसीएल के दौरान अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) की अनुमति देना।
vi. 180 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा।
vii. सरोगेसी के माध्यम से बच्चे के जन्म के मामले में मातृत्व एवं शिशु देखभाल अवकाश तथा पितृत्व अवकाश का विस्तार।
viii. मृत शिशु के जन्म या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु होने पर 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा।
ix. विकलांग महिला कर्मचारियों को बच्चे के जन्म से लेकर उसके दो वर्ष का होने तक बच्चे की देखभाल के लिए 3750 रुपये प्रति माह की दर से विशेष भत्ता प्रदान किया जाएगा।
x. अखिल भारतीय सेवा के पूर्वोत्तर कैडर की महिला अधिकारियों के लिए विशेष छूट।

xi. यौन उत्पीड़न की शिकायत के मामले में पीड़ित महिला सरकारी कर्मचारियों को 90 दिनों तक की छुट्टी का प्रावधान ।

xii. महिलाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं से शुल्क में छूट।

xiii. सिविल सेवकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लिंग संवेदीकरण मॉड्यूल को शामिल करना।

xiv. पति और पत्नी की एक ही स्टेशन पर पोस्टिंग।

xv. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ता 27,000 रुपये से दोगुना कर 54,000 रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है।

xvi. कल्याणकारी उपाय के रूप में सरकारी कर्मचारियों के लिए कार्यालयों/प्रमुख आवासीय क्षेत्रों/समाज सदनों या गृह कल्याण केंद्रों में डे केयर सेंटर/क्रेच स्थापित किए हैं ।

xvii. केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक एवं खेल बोर्ड (सीसीएससीएसबी), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) हर साल सरकारी कर्मचारियों के लिए विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन करता है। 2024-25 के दौरान, क्रमश: 1128 और 3738 महिला कर्मचारियों ने अंतर-मंत्रालयी खेल प्रतियोगिताओं और अखिल भारतीय सिविल सेवा खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया।

xviii. विधि कार्य विभाग ने 8 मार्च, 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया और इस अवसर पर महिला कर्मचारियों को सम्मानित और सशक्त बनाने के उद्देश्य से सभी महिला अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आगरा की यात्रा का आयोजन किया । 24 मार्च, 2025 को एक विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित महिलाओं के एक पैनल ने महिला अधिकारों और सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

xix. 18.07.2025 को विधि कार्य विभाग में महिला आरोग्यम कक्ष की स्थापना की गई है।

xx. विधिक मामलों के विभाग ने प्रतिष्ठित संगठनों के माध्यम से "कार्य-जीवन संतुलन", "मन की बात" और "स्वीकृति की कला" जैसे विषयों पर विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन किया, जिससे प्रतिभागियों, विशेषकर महिला कर्मचारियों को तनाव प्रबंधन, भावनात्मक कल्याण में वृद्धि और लचीलापन बनाने में मदद मिली।

******

भारत सरकार

विधि एवं न्याय मंत्रालय

विभाग का न्याय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3309

21/08/2025 को उत्तर दिया गया

न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रणाली

3309 **डॉ. एम. थंबीदुरई** :

विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

a. क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से न्यायाधीश इस देश में न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहे हैं, जो भारत के संविधान द्वारा समर्थित नहीं है;
b. यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
c. क्या यह सच है कि ऐसी मांगें उठ रही हैं कि न्यायाधीशों की गुणवत्ता के लिए इस प्रणाली को बदला जाना चाहिए;
d. यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
e. न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर सरकार द्वारा प्रस्तावित वैकल्पिक तंत्र; और
f. इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (च) : सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 224 द्वारा शासित होती हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया 6 अक्टूबर, 1993 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले (दूसरे न्यायाधीशों का मामला) के अनुसरण में 1998 में तैयार किए गए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में निर्धारित की गई है, जिसे 28 अक्टूबर, 1998 के उनके सलाहकार मत (तीसरे न्यायाधीशों का मामला) के साथ पढ़ा जाए। एमओपी के अनुसार , सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव की शुरुआत भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास है और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के

प्रस्ताव की शुरुआत संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास है। केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है जिनकी सिफारिश सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) द्वारा की जाती है।

संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है। इसके लिए राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन आवश्यक है।

सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को एक अधिक व्यापक, पारदर्शी और जवाबदेह नियुक्ति तंत्र से प्रतिस्थापित करने और इस प्रणाली में अधिक निष्पक्षता लाने के लिए, संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2014 और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014 को 13.04.2015 को प्रभावी किया गया था। हालाँकि, दोनों अधिनियमों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने 16.10.2015 के अपने निर्णय द्वारा दोनों अधिनियमों को असंवैधानिक और अमान्य घोषित कर दिया। संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2014 के लागू होने से पहले विद्यमान कॉलेजियम प्रणाली को प्रभावी घोषित किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 के WP(C) 13 में दिनांक 16.12.2015 के आदेश के तहत निर्देश दिया कि पात्रता मानदंड, पारदर्शिता, सचिवालय की स्थापना और शिकायतों के निपटान हेतु तंत्र को ध्यान में रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम (SCC) के परामर्श से मौजूदा प्रक्रिया ज्ञापनों (MoPs) को अंतिम रूप दिया जाए। तदनुसार, मौजूदा प्रक्रिया ज्ञापनों में कुछ बदलाव प्रस्तावित किए गए और मसौदा प्रक्रिया ज्ञापनों को दिनांक 22.03.2016 के पत्र द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश को भेज दिया गया।

एससीसी से प्रतिक्रियाएं 25.05.2016 और 01.07.2016 को प्राप्त हुईं। एससीसी के विचारों के जवाब में टिप्पणियां 03.08.2016 को भारत के मुख्य न्यायाधीश को बता दी गईं। एससीसी ने 13.03.2017 को मसौदा एमओपी पर अपनी टिप्पणियां प्रदान कीं । इसके बाद, कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के खिलाफ स्वत: संज्ञान अवमानना कार्यवाही में सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 04.07.2017 के फैसले में अन्य बातों के साथ-साथ न्यायाधीशों के चयन की प्रक्रिया पर फिर से विचार करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इसमें उठाए गए बिंदुओं पर सरकार के विचारों को 11.07.2017 के पत्र के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के महासचिव को बता दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के WP(C) 1236 के आदेश दिनांक 20.04.2021 में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नए मानदंड निर्धारित किए। तदनुसार, उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान करने वाले मौजूदा एमओपी के पैरा 24 को पूरक बनाने पर सरकार के विचार भी भारत के मुख्य न्यायाधीश को दिनांक 18.08.2021 के पत्र द्वारा सूचित किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश से दिनांक 06.01.2023 के पत्र द्वारा एमओपी से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने का अनुरोध किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने दिनांक 30.01.2025 के अपने आदेश के माध्यम से 2019 के डब्ल्यूपी(सी) 1236 में दिनांक 20.04.2021 के पूर्वोक्त निर्णय में आंशिक रूप से संशोधन किया है और अन्य बातों के साथ-साथ निर्देश दिया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय 2 से 5 के बीच लेकिन उच्च न्यायालय की स्वीकृत संख्या के 10% से अधिक नहीं, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 224ए का सहारा ले सकता है।

****

भारत सरकार

विधि एवं न्याय मंत्रालय

विभाग का न्याय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3310

21/08/2025 को उत्तर दिया गया

झारखंड में ई-कोर्ट परियोजना

3310 # श्री प्रदीप कुमार वर्मा:

विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

a. ई-कोर्ट परियोजना के चरण-1 और चरण-2 के तहत अब तक झारखंड राज्य में डिजिटलीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या;
b. इन न्यायालयों की संख्या कितनी है जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई-समन, ई-फाइलिंग जैसी सेवाएं लागू की गई हैं; और
c. क्या प्रत्येक जिले में ई-सेवा केन्द्र स्थापित किए गए हैं तथा उनकी कार्यप्रणाली की नियमित निगरानी की जाती है?

उत्तर

विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग): झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, ई-कोर्ट परियोजना के चरण-I और चरण-II के अंतर्गत, झारखंड राज्य के सभी ज़िला और उप-मंडल न्यायालयों को बीएसएनएल मल्टी-प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग (एमपीएलएस) वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, झारखंड के सभी न्यायालयों में लोकल एरिया नेटवर्क (लैन) कनेक्टिविटी उपलब्ध है। झारखंड उच्च न्यायालय ने मई, 2025 में न्यायिक अभिलेखों की स्कैनिंग और डिजिटलीकरण भी शुरू कर दिया है। इस उद्देश्य के लिए रांची, जामताड़ा , गुमला और बोकारो नामक चार ज़िला न्यायालयों को पायलट आधार पर चुना गया है।

राज्य के सभी 24 जिला और 6 उप-मंडल न्यायालयों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) सुविधा प्रदान की गई है। इन न्यायालयों में वीसी सुविधा के माध्यम से 7.23 लाख से अधिक मामलों की सुनवाई की जा चुकी है। राज्य के सभी न्यायालयों में ई-फाइलिंग संस्करण 3.0 चालू है। अब तक कुल 1037 मामले ई-फाइल किए गए हैं। इसके अलावा, ई-सेवा झारखंड राज्य के सभी 24 जिला और 06 अनुमंडल न्यायालयों में ई-सेवा केन्द्र कार्यरत हैं और उच्च न्यायालय द्वारा नियमित रूप से इनकी निगरानी की जा रही है ।

*****

भारत सरकार

विधि एवं न्याय मंत्रालय

कानूनी मामलों का विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3311

21/08/2025 को उत्तर दिया गया

तीन वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम

3311 **श्री नीरज शेखर:**

क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि **कानून और न्याय** यह बताने की कृपा होगी:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों/विधि महाविद्यालयों द्वारा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों सहित कार्यरत पेशेवरों के लिए तीन वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम की पेशकश की जा रही है और कक्षाएं ऑनलाइन मोड या छुट्टियों के माध्यम से आयोजित की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन एलएलबी पाठ्यक्रमों को न्यायालय में कानूनी प्रैक्टिस के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एलएलबी के माध्यम से सायंकालीन कक्षाएं पुनः शुरू की जाएंगी; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ङ): अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत, देश में कानूनी शिक्षा के लिए एक नियामक निकाय होने के नाते बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सूचित किया है कि, बार काउंसिल ऑफ इंडिया केंद्र सरकार के कर्मचारियों सहित कार्यरत पेशेवरों को ऑनलाइन

मोड या छुट्टियों के माध्यम से एलएलबी डिग्री प्रदान करने के लिए कक्षाओं का समर्थन या अनुमति नहीं देता है और इस रुख का औचित्य नीचे दिया गया है:

(i) एल.एल.बी. एक ऐसी डिग्री है जो व्यक्तियों को कानून का अभ्यास करने और न्याय प्रदान करने में सक्षम बनाती है, इसलिए इसे गौण या गैर-गंभीर कार्य नहीं माना जाना चाहिए। कानून के क्षेत्र में महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारियाँ शामिल हैं और यह नागरिकों के जीवन को प्रभावित करता है, इसलिए शिक्षा और प्रशिक्षण के उच्च मानकों को बनाए रखना आवश्यक है।

(ii) सीमित समय सीमा में व्यापक कानूनी शिक्षा प्रदान करना संभव नहीं है। एलएलबी एक पेशेवर डिग्री कोर्स है जिसके लिए गहन अध्ययन, मूट कोर्ट और इंटर्नशिप जैसे व्यावहारिक अनुभवों के साथ-साथ परीक्षा, होमवर्क और असाइनमेंट जैसे विभिन्न मूल्यांकनों की आवश्यकता होती है।

(iii) यदि कार्यरत पेशेवर एलएलबी की डिग्री प्राप्त करते हैं और अपनी पहली नौकरी से सेवानिवृत्ति के कई वर्षों बाद कानूनी पेशे में प्रवेश करते हैं, तो कानूनी मामलों को संभालने में उनकी विशेषज्ञता और तत्परता संदिग्ध होगी।

(iv) ऑनलाइन और अवकाश कक्षाएं सक्षम कानूनी चिकित्सकों को तैयार करने के लिए आवश्यक कठोरता और व्यापक प्रशिक्षण प्रदान नहीं कर सकती हैं।

इन कारणों के मद्देनजर, बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा ऐसी कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय कानूनी शिक्षा की अखंडता और गुणवत्ता को बनाए रखने की आवश्यकता के अनुरूप है, तथा यह सुनिश्चित करने के लिए भी है कि कानूनी पेशेवर अपने मुवक्किलों और न्याय प्रणाली को प्रभावी ढंग से सेवा देने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार हों।

(च) और (छ) वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रकार की कोई योजना नहीं बनाई जा रही है।

*****

भारत सरकार

विधि एवं न्याय मंत्रालय

विभाग का न्याय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3312

21/08/2025 को उत्तर दिया गया

न्यायिक लंबित मामले और लंबित मामले

3312. डॉ. सस्मित पात्राः

क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की वर्तमान संख्या कितनी है;

(ख) क्या लंबे समय से लंबित सिविल मामलों के लिए समयबद्ध निपटान तंत्र पर विचार किया जा रहा है;

(ग) सभी उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियों की स्थिति; और

(घ) क्या पारदर्शिता में सुधार के लिए राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) को उन्नत किया गया है?

उत्तर

विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख): राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 18.08.2025 तक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	न्यायालय का नाम	लंबित मामले
1.	सुप्रीम कोर्ट	87,138
2.	उच्च न्यायालयों	64,02,834

लंबित मामलों का समयबद्ध तरीके से निपटारा न्यायपालिका के विशेष अधिकार क्षेत्र में है। हालाँकि, केंद्र सरकार मामलों के शीघ्र निपटान के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र को सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य से, सरकार ने 2011 में न्याय प्रदान करने और कानूनी सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की, जिसके दोहरे उद्देश्य हैं: प्रणाली में देरी और बकाया को कम करके पहुँच बढ़ाना और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही बढ़ाना और प्रदर्शन मानकों और क्षमताओं को निर्धारित करना। मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध परिसमापन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, कम्प्यूटरीकरण सहित न्यायालयों के लिए बेहतर बुनियादी ढाँचा, अधीनस्थ न्यायपालिका की क्षमता में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटान के लिए अदालती प्रक्रिया का पुनर्रचना और मानव संसाधन विकास पर जोर शामिल है।

(ग): दिनांक 11.08.2025 तक सभी उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्ति की स्थिति **अनुलग्नक-*I* पर दी गई है** ।

घ **):** राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) को लंबित मामलों की पहचान, प्रबंधन और कमी करने के लिए एक निगरानी उपकरण के रूप में कार्य करने हेतु एक बेहतर डैशबोर्ड के साथ उन्नत किया गया है। यह लंबित मामलों की संख्या कम करने हेतु नीतिगत निर्णय लेने हेतु समय पर इनपुट प्रदान करता है। यह न्यायालय के प्रदर्शन की बेहतर निगरानी और कुशल संसाधन प्रबंधन के लिए प्रणालीगत बाधाओं की पहचान की सुविधा भी प्रदान करता है। एनजेडीजी राष्ट्रीय न्यायिक डेटा वेयरहाउस के रूप में कार्य करता है और विभिन्न श्रेणियों में विधिवत रूप से विभाजित, निपटाए गए और लंबित सिविल और आपराधिक मामलों के समेकित आंकड़े प्रदान करके पारदर्शिता में सुधार करता है। इसके अलावा, पोर्टल पर अपलोड और संकलित किए गए डेटा तक पहुँचा जा सकता है और उसका विश्लेषण किया जा सकता है ताकि विभिन्न संस्थानों और मुकदमे के मूल/अपीलीय/निष्पादन चरणों में मामलों का श्रेणीवार, वर्षवार, माहवार और राज्यवार निपटान दिखाया जा सके।

- आरोपी फरार
- गवाह
- दस्तावेजों की प्रतीक्षा में
- परामर्श उपलब्ध नहीं है
- उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई
- अधिक गवाह
- विविध अनुप्रयोग अवरुद्ध
- बार-बार अपील
- कारणों से रुके
- रुचि न रखने वाले पक्ष

- जिला न्यायालय द्वारा स्थगन
- रिकॉर्ड अनुपलब्ध
- कानूनी प्रतिनिधि रिकॉर्ड पर नहीं हैं
- डिक्री का निष्पादन

*****

अनुबंध-मैं

'न्यायिक लंबितता और लंबित मामले' के संबंध में दिनांक 21.08.2025 को उत्तर दिए जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3312 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

11.08.2025 तक सभी उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या, कार्यरत संख्या और रिक्तियां

क्रम सं.	उच्च न्यायालय	स्वीकृत शक्ति	कार्य शक्ति	रिक्तियां
1	इलाहाबाद	160	84	76
2	आंध्र प्रदेश	37	30	7
3	बंबई	94	66	28
4	कलकत्ता	72	48	24
5	छत्तीसगढ	22	16	6
6	दिल्ली	60	43	17
7	गुवाहाटी	30	25	5
8	गुजरात	52	39	13
9	हिमाचल प्रदेश	17	11	6
10	जम्मू और कश्मीर और लद्दाख	25	15	10
11	झारखंड	25	15	10
12	कर्नाटक	62	47	15
13	केरल	47	43	4
14	मध्य प्रदेश	53	44	9
15	मद्रास	75	56	19
16	मणिपुर	5	3	2

17	मेघालय	4	4	0
18	उड़ीसा	33	20	13
19	पटना	53	37	16
20	पंजाब और हरियाणा	85	59	26
21	राजस्थान	50	43	7
22	सिक्किम	3	3	0
23	तेलंगाना	42	29	13
24	त्रिपुरा	5	4	1
25	उत्तराखंड	11	9	2
	कुल	**1122**	**793**	**329**

भारत सरकार

विधि एवं न्याय मंत्रालय

विभाग का न्याय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3313

21/08/2025 को उत्तर दिया गया

संविधान पीठ के पास लंबित मामलों की संख्या

3313. डॉ. सस्मित पात्राः

विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में संविधान पीठ के समक्ष लंबित मामलों की संख्या कितनी है तथा अंतिम सुनवाई के बाद निर्णय सुनाने में औसतन कितना विलंब होता है;

(ख) क्या सरकार ने व्यापक संवैधानिक और सामाजिक प्रभाव वाले मामलों में निर्णय देने के लिए समय-सीमा का सुझाव दिया है या उस पर चर्चा की है;

(ग) क्या जनहित के मामलों को प्राथमिकता देने के लिए सरकार और न्यायपालिका के बीच कोई समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि लाखों नागरिकों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण निर्णय लंबे समय तक न्यायिक अधर में न लटके रहें?

उत्तर

विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

a. **(घ):** भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, वर्तमान में उसके पास लंबित संविधान पीठ के मामलों का विवरण निम्नानुसार है:

संविधान पीठ	लंबित मामलों की संख्या
पांच न्यायाधीशों की पीठ	21
सात न्यायाधीशों की पीठ	05
नौ न्यायाधीशों की पीठ	02

लंबित मामलों का समयबद्ध तरीके से निपटारा करना न्यायपालिका के विशेष अधिकार क्षेत्र में है। हालांकि, केंद्र सरकार मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। संविधान पीठ के मामलों में, कानून के जटिल मुद्दे शामिल होते हैं और हफ्तों से लेकर महीनों तक कई दिनों तक बहस होती है। इन मुद्दों के लिए गहन विश्लेषण और कानून की विस्तृत जांच की आवश्यकता होती है। इसलिए, भले ही संवैधानिक पीठ के मामलों के निर्णय के संबंध में सख्त मानदंड और समयसीमा निर्धारित करना वांछनीय न हो, सर्वोच्च न्यायालय इस तथ्य के प्रति सचेत है कि उक्त मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाना चाहिए और उनके शीघ्र निपटारे के लिए प्रयास कर रहा है। संविधान पीठ के मामलों में शामिल जटिलताओं के बावजूद, सर्वोच्च न्यायालय पिछले 2 वर्षों के दौरान 43 संविधान पीठ मामलों (35 पांच-न्यायाधीशों की पीठ, 05 सात-न्यायाधीशों की पीठ और 03 नौ-न्यायाधीशों की पीठ) का फैसला करने में सक्षम रहा है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बताया है कि यहां प्रतिदिन सुने जाने वाले मामलों की संख्या बेजोड़ है, जो विश्व भर में किसी भी अन्य न्यायिक संस्था से अधिक है ।

****

भारत सरकार

विधि एवं न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3314

21/08/2025 को उत्तर दिया गया

ओडिशा में उप-मंडल और जिला न्यायालय परिसरों का उन्नयन

3314 श्री निरंजन बिशी :

क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार के लिए ओडिशा के आकांक्षी जिलों में उप-मंडल और जिला न्यायालय परिसरों को उन्नत करने पर विचार करेगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख): केंद्र सरकार 1993-94 से न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) का क्रियान्वयन कर रही है। इस योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार न्यायालय कक्षों, आवासीय इकाइयों, अधिवक्ता कक्षों, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के निर्माण हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के संसाधनों में सहायता करती है। इस योजना के अंतर्गत मौजूदा न्यायालय भवनों के बड़े उन्नयन या नवीनीकरण की भी अनुमति है। हालाँकि, नियमित रखरखाव इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है।

1993-94 में इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक ओडिशा राज्य को 262.28 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है, जिसमें से 172.04 करोड़ रुपये 2014-15 से 31.07.2025 तक जारी किए गए। पिछले पाँच वर्षों के दौरान ओडिशा राज्य को आवंटित और जारी की गई धनराशि का विवरण इस प्रकार है: -

वित्तीय वर्ष	**आवंटन (करोड़ रुपये में)**	**रिलीज (करोड़ रुपये में)**
2021-22	27.93	0.00*
2022-23	36.24	31.49
2023-24	41.98	30.88
2024-25	34.48	51.48
2025-26 (31.307.2025 तक)	30.57	15.28

* राज्य के एकल नोडल एजेंसी *(*एसएनए*)* खाते में अप्रयुक्त धनराशि अनुमेय सीमा से अधिक होने के कारण धनराशि जारी नहीं की जा सकी, और इसलिए राज्य केन्द्रीय निधियों के नए अनुदान के लिए पात्र नहीं था।

31.07.2025 तक, ओडिशा राज्य में जिला एवं अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों के लिए 905 न्यायालय भवन और 769 आवासीय इकाइयाँ हैं। इसके अतिरिक्त, 156 न्यायालय भवन और 101 आवासीय इकाइयाँ निर्माणाधीन हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ओडिशा राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत 78 परियोजनाएँ प्रगति पर हैं। ओडिशा के आकांक्षी जिलों में चल रही परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध-I में दिया गया है।**

अनुबंध- मैं

21.08.2025 को उत्तर हेतु राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3314 के उत्तर में संदर्भित विवरण

क्र. सं.	परियोजना/कार्य का नाम (चल रहा है)	ज़िला	परियोजना आरंभ वर्ष	परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)
	गैर-आवासीय चालू परियोजनाएँ			
1	लक्ष्मणनाथ , जलेश्वर में नए न्यायालय भवन का निर्माण	बालासोर	2024	13.27
2	परलाखेमुंडी में जिला न्यायालय परिसर के लिए सुविधा केंद्र (जी+1) के साथ बार एसोसिएशन हॉल का निर्माण	गजपति	2023	2.88
3	आर. उदयगिरि में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के लिए न्यायालय भवन का निर्माण ।	गजपति	2022	5.38
4	सनखेमुंडी में ग्राम न्यायालय के न्यायालय भवन का निर्माण (डिजिटल कंप्यूटर कक्ष और शौचालय परिसर सहित)	गंजम	2023	5.39
5	सनखेमुंडी में जेएमएफसी कोर्ट के लिए बार एसोसिएशन हॉल का निर्माण	गंजम	2023	1.13
6	खल्लीकोट में बार एसोसिएशन हॉल का निर्माण	गंजम	2023	1.43
7	गंजम जिले के जगन्नाथप्रसाद में जेएमएफसी कोर्ट भवन	गंजम	2022	2.66
8	भंजनगर में न्यायालय भवन का निर्माण	गंजम	2023	22.07
9	भंजनगर में बार एसोसिएशन भवन का निर्माण	गंजम	2023	2.50
10	पोलसारा में न्यायालय भवन का निर्माण (शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर कक्ष सहित)	गंजम	2024	4.25
11	कुजंगा में सिविल जज (एसडी) और जेएमएफसी के लिए न्यायालय भवन का निर्माण	जगतसिंहपुर	2017	11.28

12	कुजांग में सिविल कोर्ट के लिए पहुंच मार्ग और आरसीसी गेट का निर्माण	जगतसिंहपुर	2023	1.16
13	कुजांग में बार एसोसिएशन भवन (वकील हॉल)-सह-कैंटीन का निर्माण	जगतसिंहपुर	2023	2.53
14	धर्मगढ़ में न्यायालय भवन का निर्माण (शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर कक्ष सहित)	कालाहांडी	2023	3.13
15	राजनगर में ग्राम न्यायाधिकारी के लिए न्यायालय भवन का निर्माण	केंद्रपाड़ा	2018	8.02
16	लामटापुट में जेएमएफसी भवन का निर्माण	कोरापुट	2023	4.54
17	बोरीगुम्मा में जेएमएफसी न्यायालय भवन का निर्माण	कोरापुट	2023	3.29
18	मैथिली में जेएमएफसी कोर्ट परिसर में बार एसोसिएशन हॉल और कैंटीन का निर्माण	मल्कानगिरी	2023	1.47
19	कुडुमुलुगुमा में जेएमएफसी कोर्ट परिसर में बार एसोसिएशन हॉल और कैंटीन का निर्माण	मल्कानगिरी	2023	1.48
20	कुडुमुलुगुमा में न्यायालय भवन का निर्माण (शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर कक्ष सहित)	मल्कानगिरी	2023	7.52
21	दासपल्ला में कैंटीन-सह-बार एसोसिएशन हॉल का निर्माण	नयागढ़	2023	2.32
22	रानपुर में न्यायालय भवन का निर्माण	नयागढ़	2019	7.11
23	खंडापाड़ा में जेएमएफसी के लिए न्यायालय भवन का निर्माण (डिजिटल कंप्यूटर कक्ष और शौचालय परिसर शामिल)	नयागढ़	2023	11.85

24	खंडापाड़ा में बार एसोसिएशन हॉल का निर्माण	नयागढ़	2023	2.22
25	नयागढ़ में जिला न्यायाधीश न्यायालय भवन के बार एसोसिएशन हॉल-सह-कैंटीन का निर्माण	नयागढ़	2023	4.71
26	नुआपाड़ा जिले में जिला न्यायालय भवन का निर्माण - दूसरी और तीसरी मंजिल का विस्तार	नुआपाड़ा	2024	15.36
27	कोणार्क में सिविल जज-सह-जेएमएफसी भवन का निर्माण (वकील हॉल भवन, डिजिटल कंप्यूटर कक्ष और शौचालय परिसर सहित)	पुरी	2023	9.64
28	पुरी में ग्राम न्यायालय का निर्माण	पुरी	2023	6.76
29	रायगढ़ में जिला न्यायालय भवन का निर्माण	रायगढ़	2022	47.93
आवासीय चालू परियोजनाएँ				
30	स्टेशन स्क्वायर, बालासोर में 2 सी प्रकार के डुप्लेक्स क्वार्टरों का निर्माण	बालासोर	2023	1.70
31	सनखेमुंडी में ग्राम न्यायाधिकारी-सह-जेएमएफसी के लिए डी-टाइप आवासीय क्वार्टरों का निर्माण	गंजम	2023	0.59
32	धर्मगढ़ में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के लिए बी-टाइप क्वार्टर का निर्माण	कालाहांडी		0.96
33	धर्मगढ़ में सिविल जज (वरिष्ठ डिवीजन) के सी-टाइप क्वार्टर का निर्माण	कालाहांडी	2023	0.94
34	धर्मगढ़ में जेएमएफसी के डी-टाइप क्वार्टरों का निर्माण	कालाहांडी	2023	0.84
35	धर्मगढ़ में एसडीजेएम के डी-टाइप क्वार्टरों का निर्माण	कालाहांडी	2023	0.84

36	केंद्रपाड़ा में न्यायिक अधिकारी कॉलोनी के अंदर 2 जुड़वां डी-टाइप आवासीय क्वार्टरों (एस+2एफ) का निर्माण	केंद्रपाड़ा	2024	3.71
37	लामटापुट में न्यायालय परिसर के भीतर जेएमएफसी के लिए डी प्रकार के क्वार्टरों का निर्माण	कोरापुट	2023	0.56
38	कुडुमुलुगुमा में जेएमएफसी के डी-टाइप क्वार्टरों का निर्माण	मल्कानगिरी	2023	0.60
39	खंडापाड़ा में सिविल जज (एसडी) के लिए सी टाइप क्वार्टर का निर्माण ।	नयागढ़	2023	0.68
40	खंडापाड़ा में जेएमएफसी के लिए डी प्रकार के क्वार्टरों का निर्माण ।	नयागढ़	2023	0.62
41	ओडागांव में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के सी टाइप क्वार्टर का निर्माण	नयागढ़	2023	1.00
42	नुआपाड़ा में जिला न्यायाधीश के लिए 1 बी प्रकार के क्वार्टर का निर्माण ।	नुआपाड़ा	2023	1.44
43	कोणार्क में सिविल जज-सह-जेएमएफसी के लिए डी-टाइप क्वार्टरों का निर्माण	पुरी	2023	0.80
44	ब्रह्मगिरि में ग्राम न्यायालय के 'डी' प्रकार के क्वार्टरों का निर्माण	पुरी	2023	0.42
45	न्यायाधिकारी, ग्राम्या के लिए “डी” प्रकार के क्वार्टरों का निर्माण न्यायालय कोलनारा .	रायगढ़	2022	0.45
46	संबलपुर में जिला न्यायाधीश के लिए बी-प्रकार के क्वार्टरों का निर्माण	संबलपुर	2023	1.06
47	रायराखोल में एसडीजेएम के लिए डी-टाइप क्वार्टरों का निर्माण	संबलपुर	2023	0.59

कुल योग (चल रही परियोजनाओं का मूल्य)	**231.03**

******